सत्यमेव जयते

Lokayukta Rajasthan

Annual Report 2022

Verge of completing Half Century

1st January, 2022 to 31st December, 2022

सत्यमेव जयते

लोकायुक्त राजस्थान

34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

अन्तर्गत धारा 12(4) राजस्थान लोकायुक्त तथा
उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973

01.01.2022 से 31.12.2022

पी.के.लोहरा
लोकायुक्त, राजस्थान

स्पष्टीकारक ज्ञापन

लोकायुक्त द्वारा राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अधीन अपने कृत्यों का 34वॉ वार्षिक समेकित प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया गया हैं। इस प्रतिवेदन में दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि सम्मिलित है।

प्रतिवेदित कालावधि के दौरान कालावधि के प्रारम्भ में अर्थात दिनांक 01.01.2022 को कुल 4,767 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2022 की अवधि में 2,200 परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार प्रतिवेदन की कालावधि के दौरान अर्थात दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक कुल 6,967 परिवाद प्राप्त हुए।

परिवादों का कुल योग 6,967 हुआ। कुल 6,967 परिवादों में से 3,031 परिवादों का निस्तारण किया जाकर दिनांक 31.12.2022 को 3,936 परिवाद लम्बित रहे, जो परिशिष्ट 1.1 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदित कालावधि के दौरान कालावधि के प्रारम्भ में अर्थात दिनांक 01.01.2022 को 28 प्रकरणों में अन्वेषण प्रकरण लम्बित थे। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 22 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। कुल 50 अन्वेषण प्रकरणों में से उक्त कालावधि में 03 प्रकरण नस्तीबद्व किये गये, 15 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन कालावधि में कुल 18 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात दिनांक 31.12.2022 को 32 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा, परिशिष्ट–1.2 एवं 1.3 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन कालावधि के प्रारम्भ मे अर्थात दिनांक 01.01.2022 को 25 प्रकरणों में प्रारम्भिक जांच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 02 और प्रारम्भिक जांच संस्थित की गई। उक्त कालावधि में प्रारम्भिक जांच के कुल 27 प्रकरणों में से 06 प्रकरण नस्तीबद्व किये गये, 01 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरण के शीर्ष में अन्तरित किये गये

इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 07 प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के उपरांत दिनांक 31.12.2022 को 20 प्रारम्भिक जांच लम्बित थी, जो परिशिष्ट–1.4 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन की कालावधि में 161 विभिन्न दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां की गई, जो परिशिष्ट 1.7 में प्रदर्शित है।

प्रतिवेदन कालावधि के दौरान 378 मामलों में परिवादियों को उनकी संतुष्टि के अनुरूप अनुतोष प्रदान किया गया, जो परिशिष्ट 1.8 में दर्शाया गया है।

प्रतिवेदन के अन्तिम भाग में लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त एवं सचिवगणों की पदस्थापन अवधि का विवरण, लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा, परिवादीगणों द्वारा प्रेषित आभार पत्र एवं कतिपय छाया चित्र को उद्धृत किया गया है।

प्रमुख शासन सचिव
कार्मिक विभाग

PREFACE

I feel honoured to present my 2nd Annual Report as Lokayukta, Rajasthan to the Hon'ble Governor of Rajasthan in adherence of sub-section(4) of section 12 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973. As per mandate of sub-section (4) of section 12 of the Act, the Lokayukta is required to submit a consolidated report every year indicating his performance and functions to Hon'ble the Governor. This report covers the activities of the Lokayukta Institution from 1st January, 2022 to 31st December, 2022.

It is indeed a matter of great pleasure that Lokayukta Institution in Rajasthan is completing 50 years in the forthcoming year. The Institution was established on 3rd February, 1973 and since then, it is making sincere endeavour to fulfill the aspirations of the residents of the State as well as print and electronic media. Since its inception, the Institution had taken a vow to carry-out its obligations in the best interest of the public at large. This year, out of 6967 complaints registered with the Institution, 3031 are decided with an affirmative result.

It is also noteworthy that while resolving disputes and deciding complaints, the Institution proposed recovery for embezzled public money from the delinquent public servants. The aforesaid action was proposed by the Institution after threadbare examination of the complaints with objectivity.

Yet another milestone is that proposal of the Institution has yielded encouraging results in as much as a whopping sum of **Rs. 4.03 crores** (Rupees Four Crore Three Lacs) approx. is recovered from the indicted public servants. The recovery of this huge amount has enriched public exchequer. Furthermore, during the course of the year, the Institution has indicted 161 public servants for their lapses in discharge of duties and proposed appropriate action against 48 delinquent public servants u/s 12(1) of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973. As an Institution, we are driven to build confidence that the public of Rajasthan reposed in us and ensure that the work undertaken by us would reflect our intentions.

Besides taking prompt and effective actions to redress the afflictions of the complainants regarding corruption, misuse of powers or inaction on the part of public servants, the Institution has also made sincere endeavour to act on humanitarian considerations. In the yesteryears, the Institution received many complaints from the victims of Silicosis disease. Out of these complaints, some were from the dependents of a deceased person and some by sufferers of the silicosis disease. In the respective complaints, the complainants craved for grant of compensation/ex-gratia payments. Giving priority to these complaints, the Institution made all efforts to gauge the wounds of the complainants. Eventually, persistent efforts by this Sachivalaya resulted in affirmative results paving the way for disbursement of substantial

amount of **Rs. 28 crores** approx. as compensation/ex-gratia to the victims.

Along with this report the history and background of the Institution of Lokayukta, jurisdiction of investigation, process of investigation and summary of such cases, is also included. In these reports, special reports numerous recommendations have been sent to the competent authority under various sections of the Act.

I appreciate all of the Lokayukta staff members, as well as the Secretary, Deputy Secretary, OSD(J), OSD(R) and other officials for working hard with full dedication to improve the quality of work disposed of by this Institution and handling complaints relating to investigation at the same time.

It is my firm belief that this Institution will achieve the cherished object of combating corruption, high-handed actions and deliberate inactions on the part of public servants/administration, paving the way for citizen's access to good governance and to ensure improvement in their standard of living. The Institution is committed to make efforts for ensuring an egalitarian society within the State.

Without the assistance of various government departments, it would not have been possible for this Institution to carry out its onerous and demanding duties in a healthy and efficient manner. With very few exceptions, several officers and authorities of the State Government have been cooperative in resolving/redressing

the complaints /grievances of the aggrieved complainants. I want to use this occasion to express my gratitude for all the help/assistance offered by them. Given that the goal of this Institution is to support and contribute towards eradication of corruption and the State's excellent governance, it is just and reasonable to assume that all of these authorities/establishments will provide their full cooperation to this Institution whenever necessary in the future as well.

Before parting, I must say that without the unwavering support of the disciplined staff members of this Institution, despite their proportionate paucity, it would not have been possible for me to fulfill objectives of this Institution. My mission to fulfill the objectives of this Institution and duties in line would not have been simpler without their commitment/dedication in discharging duties effectively and efficiently. The Institution should be able to succeed in performing its duties in the upcoming year(s) with staff members' sustained collaboration and the cooperation of the Government authorities/establishments.

Place : Jaipur
Date : January 02, 2023

(P.K. Lohra)
Lokayukta, Rajasthan

अनुक्रमणिका

	विवरण		पृष्ठ संख्या
लोकायुक्त संस्था का परिचय			1–20
	इतिहास एवं पृष्ठभूमि		1
	अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ		4
	जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया		5
	प्रशासनिक स्थिति एंव बजट		9
	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ		11
	तुलनात्मक विवरण		12
	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं		14
अध्याय–1	सम्पादित कार्य		21–50
		सम्पादित कार्य	21
	1.1	लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण	24
	1.2	धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण	26
	1.3	अन्वेषण प्रकरणों का विवरण	27
	1.4	प्रारिम्भक जाँच प्रकरणों का विवरण	28
	1.5	विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या	29
	1.6	धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची	31
	1.7	दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची	35

	1.8	विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या	46
	1.9	इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण	48
	1.10	इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप सिलिकोसिस पीड़ितो को भुगतान की गई राशि का विवरण	50
अध्याय–2	अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गतं प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण		**51–66**
अध्याय–3	इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर लोकसेवकों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण		**67–94**
अध्याय–4	अनुतोष के प्रकरण		**95–262**
विविध			**263–272**
	लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि		263
	सचिव की पदस्थापन अवधि		266
	लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा		267
	परिवादीगण से प्राप्त आभार पत्र		268–272

लोकायुक्त
संस्था
का परिचय

- इतिहास एवं पृष्ठभूमि
- अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ
- जांच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया
- प्रशासनिक स्थिति एवं बजट
- आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ
- तुलनात्मक विवरण
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं

लोकायुक्त संस्था का परिचय

इतिहास एवं पृष्ठभूमि

विश्व के अधिकांश देशों में जिस संस्था को 'ऑम्बुड्समैन' कहा जाता है, उसे भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। इस संस्था को लोकपाल या लोकायुक्त नाम मशहूर कानूनविद् डॉ.एल.एम. सिंघवी ने वर्ष 1963 में दिया था। लोकपाल शब्द संस्कृत भाषा के शब्द लोक (लोगों) और पाल (संरक्षक) से बना है।

लोकपाल या ऑम्बुड्समैन नामक संस्था ने प्रशासन के प्रहरी बने रहने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है। सर्वप्रथम इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में की गई जहाँ वर्ष 1713 में किंग चार्ल्स XII ने कानून का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने के लिए अपने एक सभासद को नियुक्त किया। स्वीडन में जब नया संविधान बना तो इस हेतु गठित संविधान सभा के सदस्यों का आग्रह रहा कि इस सम्बन्ध में पूर्व व्यवस्था से भिन्न उनका ही एक अधिकारी जाँच का कार्य करे जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। इस पर वर्ष 1809 में स्वीडन के संविधान में 'ऑम्बुड्समैन फॉर जस्टिस' के रूप में सर्वप्रथम इस संस्था की व्यवस्था की गयी। इस संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि, नियमों तथा विनियमों के उल्लंघन तथा अपालना से सम्बन्धित प्रकरणों की जाँच करना था।

स्वीडन के बाद धीरे–धीरे आस्ट्रिया, डेनमार्क तथा अन्य स्केण्डीनेवियन देशों और फिर अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में भी 'ऑम्बुड्समैन' संस्था का गठन किया गया। संस्था की लोकप्रियता दिनों–दिन बढ़ते जाने पर फिनलैण्ड में वर्ष 1919, डेनमार्क में 1954, नार्वे में 1961 व ब्रिटेन में 1967 में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से ऑम्बुड्समैन संस्था की स्थापना की गई। अब तक 135 से अधिक देशों में 'ऑम्बुड्समैन' की नियुक्ति की जा चुकी है।

'ऑम्बुड्समैन' स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ लोगों का प्रतिनिधि या एजेन्ट होता है। वस्तुतः 'ऑम्बुड्समैन' का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जिसे पारदर्शिता के साथ कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, विलम्ब, अकुशलता, अकर्मण्यता एवं पद के

दुरूपयोग से नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु नियुक्त किया जाता है। 'ऑम्बुड्समैन' को ब्रिटेनिका–विश्वकोश में नागरिकों द्वारा नौकरशाही की शक्तियों के दुरूपयोग के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों की जाँच करने हेतु व्यवस्थापिका द्वारा नियुक्त 'आयुक्त' बताया गया है।

विभिन्न देशों में 'ऑम्बुड्समैन' को भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। उदाहरणार्थ–ब्रिटेन, डेनमार्क एवं न्यूजीलैण्ड में यह संस्था 'संसदीय आयुक्त' (Parliamentary Commissioner) के नाम से जानी जाती है। रूस में इसे वक्ता अथवा प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है।

इस संस्था की आवश्यकता व उपादेयता के बारे में देश के कई न्यायाधीशगण व चिन्तकों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। उदाहरण के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गड़कर ने अपनी पुस्तक ''लॉ, लिबर्टी एण्ड सोशियल जस्टिस'' में यह उल्लेख किया कि जब तक हम भारत में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी संस्था का विकास नहीं करते और संविधान में संशोधन करके अथवा विधायी प्रक्रिया के माध्यम से इस संस्था को सांविधिक दर्जा प्रदान नहीं करते, तब तक देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो सकेगा।

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है और आज प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। इसे समाप्त करने के लिए समय–समय पर अनेक प्रयास किये गये हैं। राजस्थान में वर्ष 1963 में प्रशासनिक सुधार समिति ने अपने प्रतिवेदन में 'ऑम्बुड्समैन' जैसी एक कानूनी संस्था के गठन की सिफारिश की थी, जिसका कार्य, कार्यपालिका की कार्यवाहियों पर नजर रखना तथा ऐसे मामलों, जिनमें सरकार की किसी भी एजेन्सी द्वारा की गई कार्यवाही जो अवैध, अन्यायपूर्ण या मनमानी हो, विद्यमान नियमों या स्थापित प्रक्रिया से विपरीत या इनके उल्लंघन में हो, पर कार्यवाही करते हुए उन शिकायतों जिनमें भ्रष्टाचार का स्पष्ट आरोप लगाया गया हो, के सम्बन्ध में समुचित अन्वेषण करना हो।

हमारे देश में 5 जनवरी, 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने ''प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेसल

ऑफ सिटीजन्स ग्रीवन्सेज'' से सम्बन्धित अपने प्रतिवेदन में व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, चारों ओर फैली अकुशलता तथा जन आकांक्षाओं के प्रति प्रशासन की संवेदनशून्यता के विरूद्ध प्रायः उभरने वाले आक्रोश पर विचार कर यह सिफारिश की थी कि जन अभियोग निवारण हेतु तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जाँच के लिए केन्द्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक सांविधिक संस्था की स्थापना की जाये किन्तु इस सिफारिश को लम्बे समय तक स्वीकार नहीं किया गया। अब इसे स्वीकार तो किया गया है किन्तु वस्तुतः इसकी क्रियान्विति अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है।

जहाँ तक हमारे देश में लोकायुक्त संस्था का प्रश्न है, सर्वप्रथम ओडिशा में वर्ष 1971 में लोकायुक्त की स्थापना हुई, जहाँ वर्ष 1995 में पुनः नया 'लोकायुक्त अधिनियम' बना और तदुपरान्त ओडिशा विधानसभा ने अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रावधानों को समाहित करते हुए ओडिशा लोकायुक्त बिल 2014 पारित कर दिया है। वर्ष 1971 में महाराष्ट्र और वर्ष 1973 में राजस्थान में लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। इसके उपरान्त लगभग 20 से अधिक राज्यों में लोकायुक्त संस्था की स्थापना हुई। इसके पूर्व भी राजस्थान में जन अभियोगों की निगरानी के लिए जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था, किन्तु सरकार के इस तन्त्र में किसी ऐसी संस्था का समावेश नहीं था जिसके माध्यम से मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार और निष्क्रियता की शिकायतों की जांच तथा अन्वेषण किया जा सके। फलस्वरूप जनता में विश्वास और सन्तोष की भावना की अभिवृद्धि करने के लिये तथा स्वच्छ, ईमानदार, सक्षम और संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने हेतु मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरूद्ध पद के दुरूपयोग, भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता आदि की शिकायतों को देखने एवं उनमें अन्वेषण करने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी का सृजन करना तुरन्त आवश्यक समझा गया और इस उद्देश्य की अभिप्राप्ति हेतु वर्ष 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अध्यादेश 3 फरवरी, 1973 से प्रभाव में लाया गया। इसे 26 मार्च, 1973 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और तब से यह 'लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973' के रूप में प्रदेश में प्रभावी है।

अन्वेषण की अधिकारिता एवं शक्तियाँ

राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अन्तर्गत लोकायुक्त को राज्य–सरकार के मंत्रियों, सचिवों, अधिकारियों तथा अन्य लोकसेवकों के विरूद्ध निम्न अभिकथनों के अन्वेषण की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं :

1. लोकसेवक ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अभिलाभ या अनुग्रह अभिप्राप्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित अपहानि या कष्ट पहुँचाने के लिए ऐसे लोकसेवक के रूप में अपनी स्थिति का दुरूपयोग किया है;
2. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में व्यक्तिगत हित अथवा अनुचित या भ्रष्ट हेतुओं से प्रेरित था;
3. लोकसेवक अपनी पदीय हैसियत में भ्रष्टाचार या सच्चरित्रता की कमी का दोषी है;

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 में ''मंत्री'', ''सचिव'', ''अधिकारी'' एवं ''लोकसेवक'' को परिभाषित किया गया है।

"मंत्री'' से राजस्थान राज्य की मंत्री परिषद का कोई सदस्य (मुख्यमंत्री के अतिरिक्त) अभिप्रेत है, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अर्थात् मंत्री, राज्य–मंत्री या उप–मंत्री;

"सचिव'' से राजस्थान सरकार का सचिव अभिप्रेत है और इसमें विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव एवं संयुक्त सचिव सम्मिलित हैं।

"अधिकारी'' से राजस्थान राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी लोक सेवा में या लोक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

"लोकसेवक'' से तात्पर्य निम्न में से किसी भी प्रकार के व्यक्ति से है:–

1. प्रत्येक मंत्री;
2. प्रत्येक सचिव एवं अधिकारी;
3. जिला परिषद का प्रत्येक प्रमुख/उप–प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान/उप–प्रधान एवं पंचायती राज अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी भी स्थाई समिति का अध्यक्ष;

4. नगर निगम का प्रत्येक महापौर/उप–महापौर, नगर परिषद का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष।
5. निम्नलिखित की सेवा में या वेतनभोगी के रूप में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति :–
   (i) राजस्थान राज्य में कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है;
   (ii) किसी राज्य अधिनियम के अधीन या द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई भी निगम (जो स्थानीय प्राधिकरण न हो);
   (iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अन्तर्गत कोई भी सरकारी कम्पनी, जिसमें समादत्त अंशपूजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है, या कोई भी कम्पनी जो किसी भी ऐसी कम्पनी की सहायक है जिसमें समादत्त अंशपूंजी का इक्यावन प्रतिशत से अन्यून राज्य सरकार द्वारा धारित है;
   (iv) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी सोसाइटी, जो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है और जिसे राज–पत्र में सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है।

जाँच एवं अन्वेषण की प्रक्रिया

इस सचिवालय में विहित प्रारूप में सत्यापित शपथ–पत्र सहित प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर सम्बन्धित विभाग के उच्च/उच्चतर अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट/टिप्पणी आवश्यक अभिलेख सहित मँगवाई जाती है। इसके बाद उसका गहन परीक्षण करने पर यदि यह पाया जाता है कि रिपोर्ट/टिप्पणी अधूरी है या अन्य सुसंगत दस्तावेज भी आवश्यक हो तो पुनः पूर्ण रिपोर्ट/टिप्पणी मय सुसंगत

दस्तावेज/अभिलेख मँगवाई जाती है। तदुपरान्त परिवाद के सन्दर्भ में प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी व अभिलेख/दस्तावेज आदि का पुनः परीक्षण किया जाता है तथा आवश्यक होने पर विभाग से प्राप्त रिपोर्ट/टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में परिवादी से उसकी टिप्पणी/आपत्ति माँगी जाती है।

यदि विभाग द्वारा किन्हीं लोकसेवकों को दोषी पाया जाना सूचित किया जाता है तो उनके विरूद्ध की गई/प्रस्तावित कार्यवाही से अवगत करवाने हेतु लिखा जाता है। यदि इस सचिवालय द्वारा पाया जाता है कि परिवाद में लगाए गए आरोप परीक्षणोपरान्त प्रमाणित नहीं हो या कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है तो परिवादी को सूचित करते हुए परिवाद नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। यदि प्रथमदृष्ट्या यह पाया जाता है कि किसी लोकसेवक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग अथवा भ्रष्टाचार का कोई कृत्य या कार्यवाही की गई है या अकर्मण्यता की गई है तो इस हेतु प्रारम्भिक जाँच की जाती है। प्रारम्भिक जाँच में परिवादी व अन्य आवश्यक समझे जाने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य के लिए बुलाया जाता है तथा उनसे आवश्यक अभिलेख या दस्तावेज भी मँगवाये जाते हैं।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत जाँच/अन्वेषण के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी सिविल न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तियाँ लोकायुक्त को प्राप्त है जैसेः–

1. किसी भी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर करना और उसकी शपथ पर परीक्षा करना;
2. किसी दस्तावेज के प्रकटन और प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना;
3. शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक–अभिलेख की या उसकी प्रतिलिपि की अध्यपेक्षा करना;
5. साक्षियों या अभिलेखों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;
6. अन्य ऐसे मामले, जो विहित किये जायें।

प्रारम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप यदि किसी लोकसेवक के विरूद्ध आरोप के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पाई जाती है तो लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध अन्वेषण की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। इस कार्यवाही में उस अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों एवं सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को परिवाद/प्रारम्भिक जाँच की रिपोर्ट व अन्वेषण के आधारों का विवरण भेजा जाता है। अपचारी लोकसेवक/लोकसेवकों को इन पर अपना प्रतिवाद/स्पष्टीकरण मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। तत्पश्चात् अन्वेषण की कार्यवाही में ऐसे अपचारी लोकसेवक को, अपने बचाव में स्वयं की साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य वह साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव में प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करने व परिवादी व उसके साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर भी दिया जाता है।

इसके पश्चात् दोनों पक्षों को व्यक्तिशः सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है एवं अन्वेषण की इस समस्त कार्यवाही के पूर्ण होने पर उपलब्ध समस्त रिकॉर्ड/साक्ष्य/अभिलेख का परिशीलन के उपरान्त विश्लेषण एवं विवेचन करते हुए अन्वेषण की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है तो परिवादी को सूचित करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध करने का आदेश दिया जाता है। यदि किसी आरोप के सम्बन्ध में अन्वेषण के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि ऐसे आरोप को पूर्णतः या अंशतः सिद्ध किया जा सकता है तो धारा 12 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के सहित लिखित प्रतिवेदन द्वारा अपना निष्कर्ष तथा सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की जाती है। प्रतिवेदन प्राप्ति के दिवस से 03 माह के भीतर प्रतिवेदन के आधार पर की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी से माँगी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही की गई सिफारिश के अनुरुप है तो प्रकरण नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं और इसकी सूचना परिवादी, सम्बन्धित लोकसेवक एवं सक्षम प्राधिकारी को दी जाती है। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही की गई सिफारिश के अनुरुप/सन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो धारा 12 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत प्रकरण में माननीय राज्यपाल महोदय को

''**विशेष प्रतिवेदन**'' भेजा जाता है। इसकी सूचना सम्बन्धित परिवादी को भी दिये जाने का प्रावधान है।

लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (4) के अन्तर्गत लोकायुक्त द्वारा सम्पादित कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय को ''**वार्षिक प्रतिवेदन**'' प्रस्तुत किया जाता है। धारा 12 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उप–धारा (3) के अधीन ''**विशेष प्रतिवेदन**'' एवं उप–धारा (4) के अधीन प्राप्त ''**वार्षिक प्रतिवेदन**'' की एक प्रतिलिपि को स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखवाये जाने का प्रावधान है।

यह भी उल्लेखनीय है कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 11(3) के अन्तर्गत उनके समक्ष होने वाली कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही मानी गई है।

प्रशासनिक स्थिति एवं बजट

लोकायुक्त सचिवालय में प्रतिवेदनाधीन अवधि में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :–

कालावधि दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी	रिक्त पद
1	सचिव	01	01	00
2	उप सचिव	01	01	00
3	संयुक्त विधि परामर्शी	01	01	00
4	सहायक सचिव	01	01	00
5	निजी सचिव	02	02	00
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	01	00
7	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	01	01	00
8	अतिरिक्त निजी सचिव	03	03	00
9	अनुभाग अधिकारी	04	00	04
10	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय	01	01	00
11	जन सम्पर्क अधिकारी	01	00	01
12	कनिष्ठ लेखाकार	01	01	00
13	सहायक अनुभागाधिकारी	04	04	00
14	निजी सहायक	03	03	00
15	आशुलिपिक	03	03	00
16	सहायक प्रोग्रामर	03	03	00
17	सूचना सहायक	05	01	04
18	लिपिक ग्रेड–प्रथम	07	07	00
19	लिपिक ग्रेड–द्वितीय	17	15	02
20	वाहन चालक	06	06	00
21	जमादार	02	02	00
22	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21	19	02
23	प्रोसेस सर्वर	04	04	00
कुल		93	80	13

वित्तीय वर्ष 2022—2023 में लोकायुक्त सचिवालय हेतु मूल आवंटित/संशोधित बजट एवं इसके मुकाबले 01.01.2022 से 31.12.2022 तक हुए वास्तविक व्यय का मदवार विवरण नीचे दिया जा रहा हैः—

क्र.सं.	बजट शीर्ष	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2022 तक व्यय	दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक व्यय
1	01—संवेतन	6,60,00,000	6,65,00,000	1,50,37,654	4,98,72,545
2	03—यात्रा भत्ता	1,00,000	3,00,000	5,500	47,550
3	04—चिकित्सा भत्ता	4,00,000	3,50,000	35,944	2,31,630
4	05—कार्यालय व्यय	13,21,000	15,50,000	4,14,260	10,67,093
5	06—वाहनों का क्रय	1000	1000	00	00
6	07—कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1,20,000	3,20,000	1,21,287	2,69,532
7	08—वृतिक एवं विशिष्ट सेवाएँ	1,00,000	50,000	00	4,000
8	11—विज्ञापन, विक्रय, प्रचार और प्रसार व्यय	25,000	10,000	7,982	2,172
9	14—सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	10,000	30,000	6,854	18,903
10	20—कार्यकलाप सम्बन्धी वाहनों का संचालन एवं संधारण	1,20,000	2,50,000	29,730	1,12,663
11	21—अनुरक्षण एवं मरम्मत	2,00,000	4,00,000	00	00
12	31—पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	50,000	50,000	28,672	11,918
13	36—वाहनों का किराया	1,000	1,000	4,800	00
14	37—वर्दियां तथा अन्य सुविधाएँ	51,000	51,000	00	50,550
15	41—संविदा व्यय	6,00,000	15,10,000	00	10,56,720
16	62—कम्प्यूटराइजेशन एवं तत्सम्बंधी संचार व्यय	1,000	1,000	00	00
	कुल राशि	**6,91,00,000**	**7,13,74,000**	**1,56,92,683**	**5,27,45,276**

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

1. **संविधान की प्रस्तावना पट्टिका का लोकापर्ण** : लोकायुक्त सचिवालय के 50 वें वर्ष में प्रवेश के उपलब्ध में दिनांक 24 मार्च, 2022 को माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् प्रतापकृष्ण लोहरा, लोकायुक्त, राजस्थान की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अशोक कुमार गौड़ के कर कमलों द्वारा किया गया।
2. वर्ष 2022 से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन देशपर्व पर लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारीगण को पूरे वर्ष के दौरान किये गये उल्लेखनीय कार्य के लिए विशिष्ट योग्यता प्रशस्ति–पत्र देकर माननीय लोकायुक्त महोदय के कर कमलों द्वारा सम्मानित किया जाना। इस वर्ष लोकायुक्त सचिवालय के 11 कार्मिकों (अधिकारी व कर्मचारीगण) को माननीय लोकायुक्त महोदय के कर कमलों से विशिष्ट योग्यता प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
3. गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस का देशपर्व समारोह सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की उपस्थिति में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा उनके निवास पर झंडारोहण कर सामूहिक रूप से मनाया जाना।
4. लोकायुक्त सचिवालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर पदोन्नति का कोटा 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया गया। जो कि पूर्व के नियम में 10 प्रतिशत था।
5. **आगंतुक पंजिका की शुरूआत** : इस वर्ष बाहर से आने वाले सभी आगंतुकों के लिए आगंतुक पंजिका की शुरूआत की गई है जिसमें उनका नाम, पूर्ण पता एवं अधिकारी से मिलने का उद्‌देश्य, हस्ताक्षर आदि अंकित किये जाते हैं। इसके बाद परिवादी को अपने परिवाद के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी हेतु सम्बन्धित अधिकारी से मिलवाया जाता है।
6. लोकायुक्त सचिवालय के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण की उपस्थिति के सम्बन्ध में उपस्थिति पंजिका के अलावा प्रातः एवं सायं नियमित चैकिंग हेतु प्रपत्र तैयार कर सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिससे उपस्थिति लगभग शत–प्रतिशत बनी रहती है।

तुलनात्मक विवरण

	दिनांक 8.3.2019 से 31.12.2021	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022
परिवाद का विवरण	दिनांक 08.03.2019 को 3814 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2021 की अवधि में 5996 परिवाद और प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 9810 परिवादों में से 5043 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2021 को 4767 परिवाद लम्बित रहे।	दिनांक 01.01.2022 को 4767 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2022 की अवधि में 2200 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 6967 परिवादों में से 3031 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2022 को 3936 परिवाद लम्बित रहे।
अनुतोष के प्रकरण	दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में 192 प्रकरणों में परिवादीगणों को अनुतोष दिलाया गया।	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 378 प्रकरणों में परिवादीगणों को अनुतोष दिलाया गया।
प्रारम्भिक जाँच प्रकरण	दिनांक 08.03.2019 को 37 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में 05 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। उक्त कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 42 प्रकरणों में से 13 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये एवं 04 प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार कुल 17 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2021 को 25 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।	दिनांक 01.01.2022 को 25 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 02 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई। इस प्रकार कुल 27 प्रकरणों में से 06 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 01 प्रकरण में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार कुल 07 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2022 को 20 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

अन्वेषण प्रकरण	दिनांक 08.03.2019 को 27 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में 11 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 38 प्रकरणों में से 06 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 04 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 10 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2021 को 28 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।	दिनांक 01.01.2022 को 28 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 22 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 50 प्रकरणों में से 03 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 15 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 18 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2022 को 32 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।
अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंषा प्रतिवेदन के प्रकरण	दिनांक 08.03.2019 से 31.12.2021 तक की कालावधि में कुल 04 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में कुल 15 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्था के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकताएं व अपेक्षाएं

कुप्रशासन एक दीमक की तरह है जो धीरे–धीरे राष्ट्र की नींव को नष्ट कर देता है और प्रशासन को अपना कार्य पूरा करने से रोकता है। भ्रष्टाचार इस समस्या का मूल कारण है जिसका हमारा देश सामना कर रहा है। हालांकि भारत में कई भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ विद्यमान हैं लेकिन इनमें से अधिकांश भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियाँ मुश्किल से स्वतंत्र हैं। यहां तक कि सीबीआई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "**पिंजरे का तोता**" और "**मालिक की आवाज**" के रूप में लेबल किया गया है।

वास्तव में अगर देखा जाए तो इन एजेंसियों में से कई तो केवल सलाहकार निकाय मात्र हैं, जिनके पास भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कोई प्रभावी शक्ति ही नहीं है और उनके मार्गदर्शन का शायद ही कभी पालन किया जाता हो। आंतरिक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की समस्या भी मौजूद है और इसके अलावा, इन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई प्रभावी और अलग तंत्र भी नहीं है।

यह एक सामान्य अनुभव है कि आम नागरिकों को अक्सर सरकारी एजेंसियों के साथ व्यवहार करने में अनुचित देरी, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए दर–दर भटकने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन लोकायुक्त संस्था ही एक ऐसी संस्था है जो सामान्य रूप से प्रेषित की गई शिकायत/पत्रादि पर भी ध्यान देती है। यह संस्था एक ओर भ्रष्टाचार, पद का दुरूपयोग या अकर्मण्यता बरतने वाले लोकसेवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक साक्ष्य जुटाती है और पीड़ित को त्वरित और सस्ती

राहत/न्याय दिलाने में मदद करती है, वही दूसरी ओर दोषी लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही भी करती है।

राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और इससे व्यापक रूप से पीड़ित जनमानस को समुचित राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 में किए गए विभिन्न प्रावधान तत्समय की परिस्थितियों में प्रासंगिक और पर्याप्त हो सकते थे, किन्तु लगभग 49 वर्ष पश्चात् आज की परिवर्तित परिस्थितियों में ये सर्वथा अपर्याप्त है। अतः समय की मांग है कि लोकायुक्त संस्था को एक अनुशंषा निकाय के आवरण से बाहर निकालकर, स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए सक्षम और सुदृढ बनाया जावे। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को व्यापक किया जावे और उसे आवश्यक संगठनात्मक संरचना और वित्तीय स्वायत्तता उपलब्ध कराई जावे।

लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान की स्थापना से लेकर अब तक निरन्तर रूप से, प्राप्त शिकायतों की संख्या में बहुगुणा वृद्धि हुई है। वर्ष 1973–83 के दशक में जहां लगभग 600 नई शिकायतें औसतन प्रतिवर्ष प्राप्त हुई, वहीं वर्ष 2021 में लगभग 1,500 एवं वर्ष 2022 में लगभग 2200 नवीन शिकायतें इस सचिवालय में प्राप्त हुई। अतः स्पष्ट है कि वर्ष 1973–83 के दशक में औसतन प्रतिवर्ष प्राप्त शिकायतों की तुलना में वर्तमान में लगभग 3½ गुणा से भी अधिक नई शिकायतें प्रतिवर्ष प्राप्त हो रही हैं, लेकिन इन अधिक शिकायतों की तुलना में इस सचिवालय के स्टॉफ और संरचना में आनुपातिक वृद्धि नगण्य ही रही है।

संगठनात्मक वृद्धि के अलावा, इस सचिवालय का सीमित क्षेत्राधिकार भी लोकसेवकों द्वारा कारित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की प्रभावी रोकथाम में प्रमुख बाधा साबित हो रहा है। विगत अनुभव एवं आंकड़े इस ओर इंगित करते हैं कि गंभीर दुराचरण में लिप्त लोकसेवक या अपने कर्तव्य निर्वहन में गंभीर कोताही बरतने वाले

लोकसेवक, क्षेत्राधिकार के अभाव में लोकायुक्त की जांच और दाण्डिक कार्यवाही से, न केवल बच निकलते है अपितु अन्य लोकसेवकों के लिए उदाहरण बन जाते है। उदाहरणार्थ, पंचायती राज विभाग की विभिन्न लाभकारी एवं जन–कल्याणकारी योजनाओं में प्राप्त होने वाली धनराशि का पंचायत स्तर पर दुरूपयोग करने की अनेकानेक शिकायतें इस सचिवालय में प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच में लोकसेवकों/जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीर अनियमितताएं बरतने और राजकोष को हानि पहुंचाने के ठोस सबूत होने के बावजूद भी, आरोपियों के विरूद्ध क्षेत्राधिकार के अभाव में इस सचिवालय द्वारा कार्यवाही न करने की बाध्यता रही है, जिससे न केवल दोषी लोकसेवकों को अनुचित प्रोत्साहन मिल रहा है अपितु गबन/वित्तीय अनियमितता की राशि की प्रभावी वसूली भी उनसे संभव नहीं हो पा रही है।

लोकायुक्त संस्था की राज्य सरकार से प्रमुख अपेक्षाएं

(क) संगठनात्मक संरचना में सुधार

(ख) क्षेत्राधिकार का विस्तार

(ग) प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता

(क) संगठनात्मक संरचना में सुधार

लोकायुक्त अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं विधिवत परीक्षण और अन्वेषण के लिए, संगठन को निम्नलिखित चार कार्यात्मक विंगों में विभाजित किया जाना चाहिए :–

(1) प्रशासनिक और पूछताछ अनुभागः

अनुभाग का नेतृत्व सचिव द्वारा किया जाता है। जो सम्पूर्ण संगठन के लिए विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। उसकी सहायता के लिए उप

सचिव, संयुक्त सचिव, सहायक सचिव, लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी और अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं।

(2) **परीक्षण / जांच अनुभागः**

परिवादों के परीक्षण व जांच हेतु लोकायुक्त और उप–लोकायुक्त की सहायता के लिए, जिला न्यायाधीश के स्तर के अधिकारियों को विशेषाधिकारी के रूप में तैनात किया जाना चाहिए और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों को उसके सहायक के रूप में तैनात किया जाना चाहिए। ये अधिकारी उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर लिये जा सकते हैं।

(3) **विशेष पुलिस स्थापना (Special Police Establishment [SPE]):**

ऐसे अपराधों की जांच के लिए एसपीई का गठन किया जाना चाहिए, जो लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। इसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक / अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी करें। उनकी मदद पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपनिरीक्षक, और अन्य रैंक के पुलिसकर्मी हो। एसपीई द्वारा की जाने वाली जांच की निगरानी सीधे रूप से लोकायुक्त के पास होनी चाहिए।

(4) **तकनीकी सेलः**

तकनीकी सेल, तकनीकी प्रकृति की शिकायतों के परीक्षण / जांच से संबंध रखती है। उक्त परीक्षण / जांच अधिशाषी अभियन्ता द्वारा की जाकर अधीनस्थ के बतौर सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियन्ता और तकनीकी सहायक नियुक्त किये जा सकते हैं।

सार रूप में, भ्रष्टाचार की प्रभावी रोकथाम हेतु वर्तमान परिस्थितियों में उक्त संगठनात्मक संरचना का सुदृढ़ीकरण अनिवार्य है और इस हेतु लोकायुक्त, राजस्थान को विद्यमान स्टॉफ के अलावा, निम्न अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपलब्ध कराये जाने वांछनीय है–

क्रस	विवरण	वर्तमान संख्या	प्रस्तावित संख्या	वृद्धि
(अ)	**प्रशासनिक और पूछताछ अनुभागः**			
1.	उप सचिव	1	3	2
2.	सहायक सचिव	1	3	2
3.	अनुभाग अधिकारी	4	6	2
4.	सहायक अनुभाग अधिकारी	4	6	2
(ब)	**परीक्षण/जांच अनुभाग :**			
1.	निदेशक (जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर का अधिकारी)	–	1	1
2.	सीनियर सिविल जज रेंक का अधिकारी	–	2	2
3.	सिविल जज रेंक का अधिकारी	–	2	2
(स)	**विशेष पुलिस स्थापना (एस.पी.ई.)**			
1.	पुलिस अधीक्षक	–	1	1
2.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	–	1	1
3.	उप पुलिस अधीक्षक	–	2	2
4.	पुलिस निरीक्षक	–	3	3
5.	सहायक पुलिस निरीक्षक	–	5	5
6.	हैड कांस्टेबल/कांस्टेबल	–	15	15
(द)	**तकनीकी सेल :**			
1.	अधिशाषी अभियन्ता	–	1	1
2.	सहायक अभियन्ता	–	2	2
3.	कनिष्ठ अभियन्ता	–	2	2
4.	सहायक नगर नियोजक/तकनीकी सहायक	–	2	2

(ख) क्षेत्राधिकार का विस्तार

(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम में परिभाषित '**लोकसेवक**' की परिभाषा को और व्यापक बनाया जाना चाहिए तथा इसमें निम्न को सम्मिलित किया जाना चाहिए–

(अ) सरपंच एवं उप सरपंच।

(ब) को–ऑपरेटिव सोसायटियों व नगर निगम के चैयरमेन, उप–चेयरमेन, प्रबन्ध निदेशक और सदस्य।

(स) नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम इत्यादि स्थानीय निकायों के पार्षद।

(द) राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, रजिस्ट्रार व स्टॉफ।

(य) सरकार द्वारा वित्तपोषित समस्त गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) के समस्त पदाधिकारी

(2) विद्यमान प्रावधानों के अनुसार एक लोकसेवक इस सचिवालय में शिकायत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। अतः लोकसेवकों को भी लोकायुक्त में शिकायत करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश और केरल के लोकायुक्त अधिनियमों में ऐसा प्रावधान है।

(3) देश के अन्य लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानानुरूप लोकायुक्त, राजस्थान को भी सम्पत्ति एवं दस्तावेजों के सर्च एण्ड सीजर हेतु वारण्ट जारी करने की शक्तियां प्रदत्त की जानी चाहिए।

(4) केरल लोकायुक्त अधिनियम की भाँति लोकायुक्त, राजस्थान को भी सीपीसी के प्रावधानानुसार मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निषेधाज्ञा पारित करने हेतु सक्षम बनाया जाना चाहिए।

(5) महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं केरला लोकायुक्त अधिनियमों के प्रावधानानुरूप लोकायुक्त, राजस्थान द्वारा की गई जाँच उपरान्त लोकसेवकों के सम्बन्ध में की गई या अन्य सुधारात्मक सिफारिशें भी बाध्यकारी की जानी चाहिए।

(स) प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता

उक्त प्रशासनिक एव संगठनात्मक संरचना का सम्पूर्ण प्रबन्धन और नियन्त्रण एकल रूप से लोकायुक्त में निहित किया जाकर, स्वायत्तता होनी चाहिए। इस हेतु समय–समय पर आवश्यक वित्तीय संसाधनों की मांगनुरूप तत्काल उपलब्धता राज्य सरकार स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

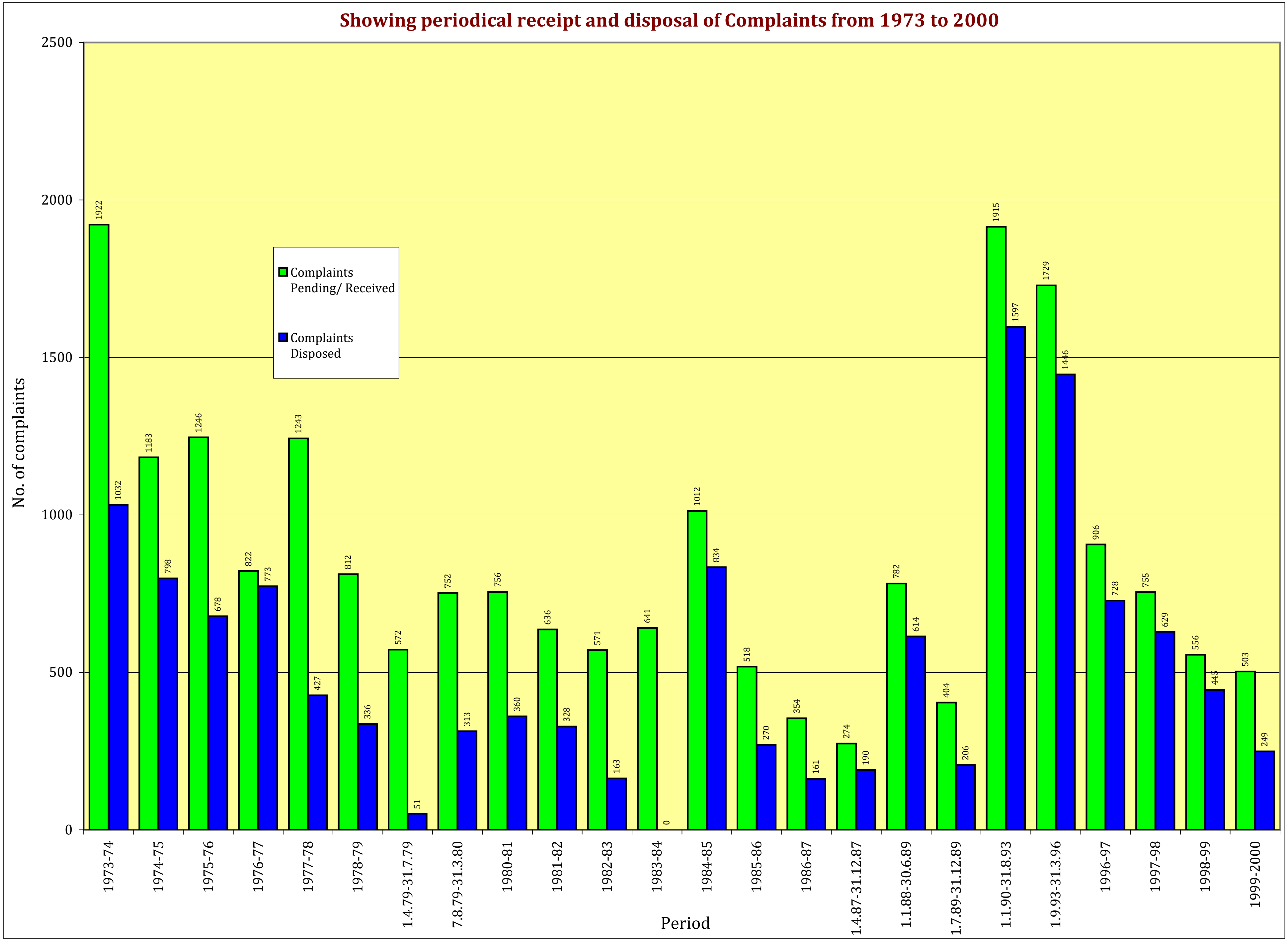
Showing periodical receipt and disposal of Complaints from 1973 to 2000
No. of complaints
Period
Complaints Pending/ Received
Complaints Disposed
2500
2000
1500
1000
500
0
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1.4.79-31.7.79
7.8.79-31.3.80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1.4.87-31.12.87
1.1.88-30.6.89
1.7.89-31.12.89
1.1.90-31.8.93
1.9.93-31.3.96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-2000
1922
1032
1183
798
1246
678
822
773
1243
427
812
336
572
51
752
313
756
360
636
328
571
163
641
0
1012
834
518
270
354
161
274
190
782
614
404
206
1915
1597
1729
1446
906
728
755
629
556
445
503
249

Showing periodical receipt and disposal of Complaints from 2001 to 2022

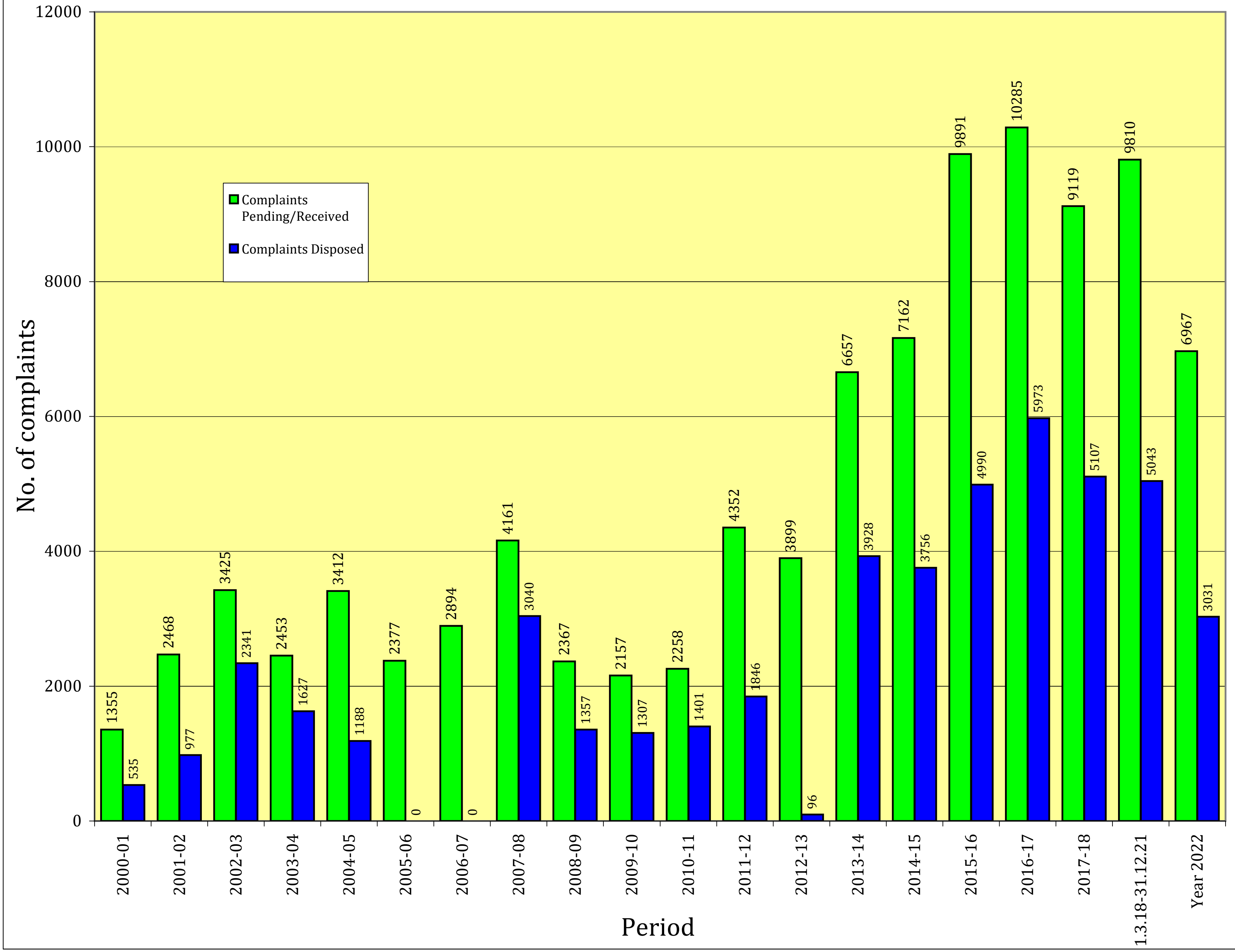

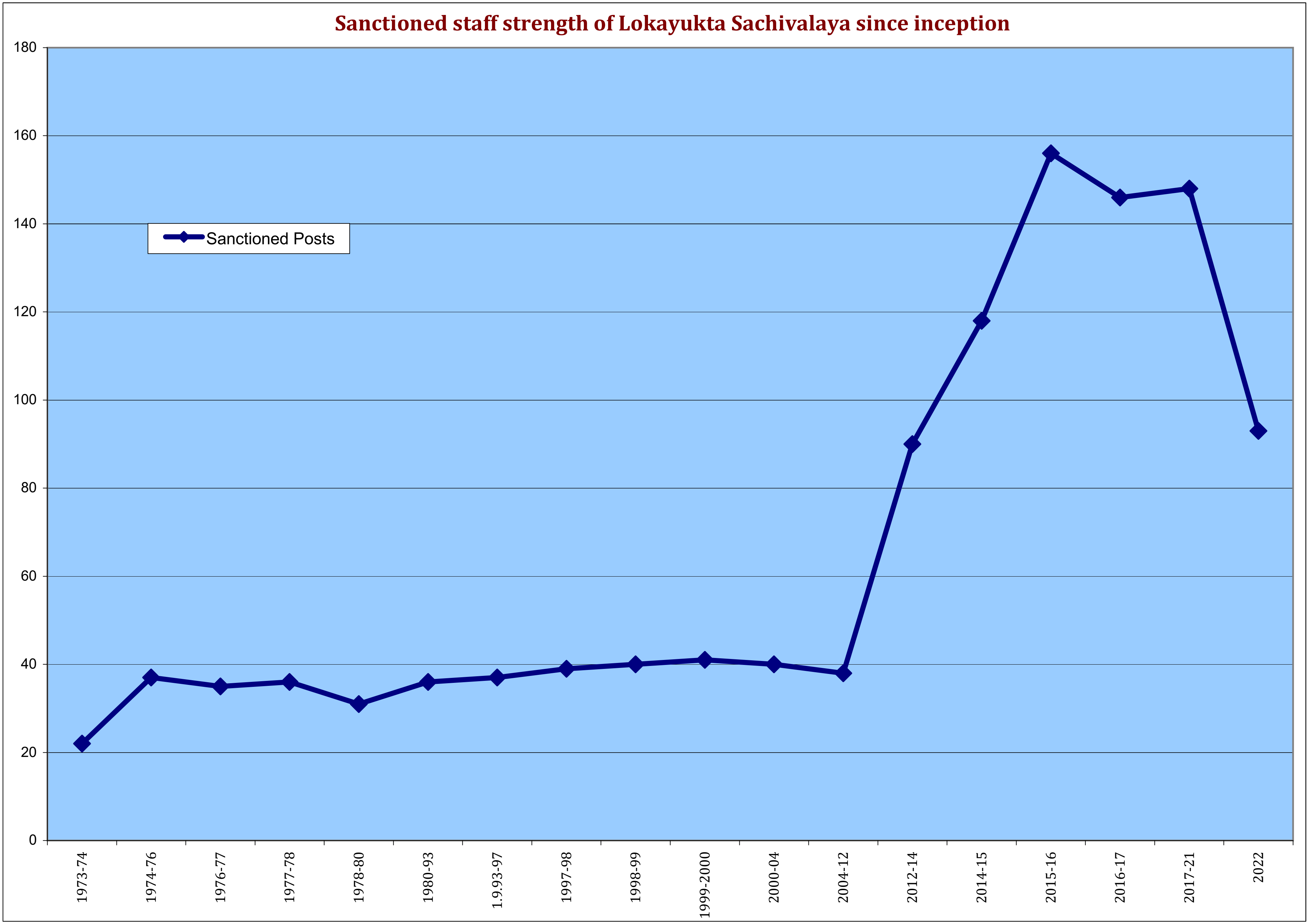
Sanctioned staff strength of Lokayukta Sachivalaya since inception
Sanctioned Posts
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1973-74
1974-76
1976-77
1977-78
1978-80
1980-93
1.9.93-97
1997-98
1998-99
1999-2000
2000-04
2004-12
2012-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-21
2022

अध्याय - 1

सम्पादित कार्य

- **परिवादों का विवरण**
- **परिशिष्ट** 1.1 लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.2 धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.3 अन्वेषण प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.4 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.5 विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या
- **परिशिष्ट** 1.6 धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची
- **परिशिष्ट** 1.7 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण
- **परिशिष्ट** 1.8 विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
- **परिशिष्ट** 1.9 इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण
- **परिशिष्ट** 1.10 इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप सिलिकोसिस पीड़ितो को भुगतान की गई राशि का विवरण

अध्याय–1

सम्पादित कार्य

इस अध्याय में प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022) में सम्पादित कार्यों का विवरण दिया जा रहा है।

परिवादों का विवरण

दिनांक 01.01.2022 को 4,767 परिवाद कार्यवाही हेतु लम्बित थे एवं उक्त दिनांक से 31.12.2022 की अवधि में 2,200 नवीन परिवाद प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल परिवादों 6,967 में से 3,031 परिवादों का निस्तारण करने पर दिनांक 31.12.2022 को 3,936 परिवाद लम्बित रहे।

इनका विभागवार विवरण परिशिष्ट–1.1 में दिया गया है।

अन्वेषण पश्चात् धारा 12(1) में सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित अनुशंषा प्रतिवेदन के प्रकरण

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में कुल 15 प्रकरणों में अन्वेषण के पश्चात् सक्षम प्राधिकारियों को अनुशंषा–प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकरणों का **संक्षिप्त विवरण अध्याय 2** में दिया गया है।

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट–1.2 में दिया गया है।

अन्वेषण प्रकरण

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित अन्वेषण प्रकरणों का विवरण दिया गया है जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2022 को कुल 28 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित था। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 22 और प्रकरणों में अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार उक्त कालावधि में अन्वेषण के कुल 50 प्रकरणों में से 03 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 15 प्रकरणों में अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत अनुशंषा प्रतिवेदन प्रेषित किये गये। इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन अवधि में कुल 18 अन्वेषण प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.12.2022 को 32 प्रकरणों में अन्वेषण लम्बित रहा।

अन्वेषण प्रकरणों का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट–1.3 में दिया गया है।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरण

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में लम्बित, संस्थित एवं निस्तारित प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार दिनांक 01.01.2022 को 25 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित थी। दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 02 और प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच संस्थित की गई।

इस प्रकार उक्त कालावधि में प्रारम्भिक जाँच के कुल 27 प्रकरणों में से 06 प्रकरण नस्तीबद्ध किये गये और 01 प्रकरण अन्वेषण प्रारम्भ कर दिये जाने के कारण अन्वेषण प्रकरणों के शीर्ष में अन्तरित किया गया। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल 07 प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का निस्तारण किये जाने के पश्चात् दिनांक 31.12.2022 को 20 प्रकरणों में प्रारम्भिक जाँच लम्बित रही।

प्रारम्भिक जाँच प्रकरणों का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट–1.4 में दिया गया है।

इस सचिवालय की कार्यवाही पर विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर लोकसेवकों के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय की कार्यवाही पर 115 प्रकरणों में विभागों द्वारा 161 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई जिनमें से कुछ प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण **अध्याय 3** में दिया गया है।

परिशिष्ठ–1.5 में जिन लोकसेवकों पर अनुशासनिक कार्यवाही की गई है, उनके विभागों का शीर्ष अनुसार विवरण दिया गया है।

परिशष्ट–1.6 में इस सचिवालय द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत किये गये अन्वेषण पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) में दोषी पाये गये लोकसेवकों की सूची दी गई है।

परिशष्ट–1.7 में जिन लोकसेवकों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है उनके नाम, पदनाम एवं विभागीय स्तर पर की गई कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

इस सचिवालय की कार्यवाही पर परिवादीगण को प्राप्त अनुतोष के प्रकरण

दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में 378 प्रकरणों में परिवादीगण को अनुतोष दिलाया गया। जिनका संक्षिप्त विवरण **अध्याय 4** में दिया गया है।

इनका विभागवार विवरण परिशिष्ट–1.8 में दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि कुल लगभग 4.03 करोड़ रुपये ।

विवरण परिशिष्ट–1.9 में दिया गया है।

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप सिलिकोसिस पीड़ितों को कुल 28.00 करोड़ रुपये का मुआवजा / अनुदान का भुगतान करवाया गया

विवरण परिशिष्ट–1.10 में दिया गया है।

परिशिष्ट 1.1

लम्बित, संस्थित और निस्तारित परिवादों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

हैड	**Department Name**	विभाग का नाम	31.12.2021 तक कुल लम्बित शिकायतें	01.01.2022 से 31.12.2022 तक प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	01.01.2022 से 31.12.2022 तक निस्तारित की गई शिकायतें	दिनांक 31.12.2022 को लम्बित शिकायतें
2	Agriculture	कृषि	33	16	49	32	17
3	Police	पुलिस	350	347	697	465	232
4	Co-Operative	सहकारिता	43	21	64	36	28
5	Education	शिक्षा	129	74	203	107	96
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	15	9	24	12	12
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	36	9	45	22	23
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	87	43	130	63	67
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	43	21	64	32	32
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	80	48	128	85	43
11	Revenue	राजस्व	666	440	1106	617	489
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	958	464	1422	558	864
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	-		-	-	-
14	Transport	परिवहन	5	10	15	6	9
15	Forest	वन	39	10	49	23	26
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	802	263	1065	270	795
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	215	74	289	124	165

18	Excise	आबकारी	8	8	16	9	7
19	Industries	उद्योग	14	6	20	8	12
20	Printing & Stationary	मुद्रण	-	-	-	-	-
21	Animal Husbandary	पशुपालन	2	5	7	5	2
22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	14	-	14	3	11
23	Irrigation	सिंचाई	12	8	20	12	8
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	1	-	1	-	1
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	594	-	594	2	592
26	Colonnization	उपनिवेशन	6	-	6	3	3
28	Judiciary	न्याय	-	6	6	5	1
29	Jails	कारागार	2	-	2	2	-
30	Labour	श्रम	21	4	25	17	8
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी	46	23	69	23	46
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	18	25	43	25	18
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	6	2	8	4	4
34	Secretariat	शासन सचिवालय	17	11	28	10	18
35	Miscellaneous	विविध	302	150	452	259	193
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	9	1	10	5	5
41	Ayurved	आयुर्वेद	8	2	10	5	5
42	Devsthan	देवस्थान	8	6	14	7	7
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	3	8	11	8	3
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	3	3	6	4	2
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	41	13	54	17	37
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	-	2	2	1	1
47	Insurance	बीमा	128	65	193	141	52
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	3	3	6	4	2
Total			4767	2200	6967	3031	3936

परिशिष्ट–1.2

धारा 12(1) के प्रकरणों का विवरण जिनमें सक्षम प्राधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिए अनुशंषा की गई।

कालावधि – दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

क्र.सं.	विवरण
1	11(35)/लोआस/2018
2	16(335)लोआस/2014
3	3(53)लोआस/2019
4	14(12)लोआस/2017
5	3(655)लोआस/2017
6	16(558)लोआस/2015
7	17(195)लोआस/2017
8	16(270)लोआस/2015
9	3(390)लोआस/2018
10	16(78)लोआस/2017
11	16(227)लोआस/2018
12	5(25)लोआस/2018
13	17(11)लोआस/2017
14	3(120)/लोआस/2019
15	35(346)/लोआस/2018

परिशिष्ट—1.3

अन्वेषण प्रकरणों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

क्र. सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.01.2022 को लम्बित	28
2	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक की कालावधि में संस्थित प्रकरण	22
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	50
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के आधार पर नस्तीबद्ध	0
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण नस्तीबद्ध	0
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	0
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	01
8	आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण नस्तीबद्ध	02
9	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	0
10	सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण	15
11	कुल निस्तारित अन्वेषण प्रकरण (योग क्रम संख्या 4—10)	18
12	दिनांक 31.12.2022 को लम्बित अन्वेषण प्रकरण	32

परिशिष्ट–1.4

प्रारम्भिक जांच प्रकरणों का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

क्र.सं.	विवरण	प्रकरण संख्या
1	दिनांक 01.01.2022 को लम्बित	25
2	दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 की अवधि में संस्थित	02
3	योग (क्रम संख्या 1 व 2)	27
4	अभिकथन सिद्ध नहीं होने के कारण नस्तीबद्ध	0
5	विभाग द्वारा पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के कारण	0
6	अन्वेषण के पर्याप्त आधार होना नहीं पाये जाने से नस्तीबद्ध	05
7	मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नस्तीबद्ध	01
8	अन्य कारणों से नस्तीबद्ध	0
9	प्रारम्भिक जांच से अन्वेषण में अन्तरित	01
10	राज्य सरकार को सुझाव भेजकर नस्तीबद्ध	0
11	सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित सुझाव/अनुशंषा के प्रकरण	0
12	कुल निस्तारित प्रारम्भिक जांच (योग क्रम संख्या 4–11)	07
13	दिनांक 31.12.2022 को लम्बित प्रारम्भिक जांच	20

परिशिष्ट–1.5

विभागवार अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों की संख्या
कालावधि दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

हैड	**Department Name**	विभाग का नाम	संख्या
2	Agriculture	कृषि	05
3	Police	पुलिस	22
4	Co-Operative	सहकारिता	01
5	Education	शिक्षा	06
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	-
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	02
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	01
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	-
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	-
11	Revenue	राजस्व	09
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	41
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	-
14	Transport	परिवहन	-
15	Forest	वन	03
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	18
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	-
18	Excise	आबकारी	01
19	Industries	उद्योग	-
20	Printing & Stationary	मुद्रण	-
21	Animal Husbandary	पशुपालन	-

22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	-
23	Irrigation	सिंचाई	-
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	-
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	-
26	Colonnization	उपनिवेशन	-
28	Judiciary	न्याय	-
29	Jails	कारागार	-
30	Labour	श्रम	-
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी	-
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	-
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	-
34	Secretariat	शासन सचिवालय	-
35	Miscellaneous	विविध	05
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	-
41	Ayurved	आयुर्वेद	01
42	Devsthan	देवस्थान	-
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	-
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	-
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	-
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	-
47	Insurance	बीमा	-
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	-
Total			**115**

परिशिष्ट–1.6

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत किये गये अन्वेषण पश्चात् राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) में दोषी पाये गये कुल 48 लोकसेवकों की सूची। (01.01.2022 से 31.12.2022 तक)

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम	पदनाम
1.	11(35)/लोआस/2018	श्री प्रवीण कुमार	तत्कालीन उप पंजीयक, अजमेर द्वितीय
		श्री राजवीर सिंह	तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक, ग्राम पंचायत गगवाना, जिला अजमेर
		श्री सुनील कुमार शर्मा	तत्कालीन पटवारी, ग्राम पंचायत, गगवाना, जिला अजमेर
2.	16(335)लोआस/2014	श्री ओमप्रकाश गुर्जर	तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर,
		श्री प्रेमचंद धामाणी	तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर
		श्री सोहन सिंह नरूका	तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर
		श्री राजवीर सिंह यादव	तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर,
		श्री ओमप्रकाश शर्मा	तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर
		श्री विनीत नगायच	तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद अलवर
		श्री मुकेश कुमार तिवारी	तत्कालीन अतिक्रमण शाखा प्रभारी
		श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा	तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, अलवर,
		श्री मुरारीलाल वर्मा	तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद, अलवर
		श्री मोहनदान रत्नू	तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, जिला अलवर

3.	3(53)लोआस / 2019	डॉ. रूपेन्द्र झा	चिकित्सक अधीक्षक, जनाना अस्पताल, भरतपुर
		श्री भोजाराम	थानाधिकारी, पुलिस थाना रूपवास, जिला भरतपुर
4.	14(12)लोआस / 2017	श्री वकताराम	तत्कालीन परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय दूदू
		श्री अमर सिंह मीणा	तत्कालीन उप निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय कोटपूतली
		श्री अशोक बसेन्द्रा	तत्कालीन उप निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर
		श्री घनश्याम सिंह	तत्कालीन उप निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, करौली
		श्री विजेन्द्र मीणा	तत्कालीन उप निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर
		श्री समुन्द्र सिंह कोठारी	तत्कालीन उप निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर
5.	3(655)लोआस / 2017	श्री महेन्द्र सिंह	तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना करधनी जयपुर
		श्री श्रवणलाल	सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना करधनी, जयपुर
		श्री अनिल जसोरिया	तत्कालीन पुलिस निरीक्षक
6.	16(558)लोआस / 2015	श्री आशीष कुमार शर्मा,	तत्कालीन आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा
		श्री शान्तिलाल आमेटा	तत्कालीन सहायक अभियन्ता / कार्यवाहक आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा,
		श्री ललितेन्द्र शर्मा	तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, नाथद्वारा,
		श्री रामचन्द्र तिवारी	तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, नाथद्वारा
		श्रीमती तनुजा सोलंकी	तत्कालीन आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा

7.	17(195)लोआस/2017	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	आर.ए.एस,
		श्री आशीष कुमार	आर.ए.एस (तत्कालीन उपायुक्त, जोन–10, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर)
		श्री हनुमान सहाय जाट	तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन–10, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
8.	16(270)लोआस/2015	श्रीमती अनिता खींचड	तत्कालीन सचिव, नगर परिषद, झुन्झुनू,
		श्री संजय माथुर	तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुन्झुनू,
		श्री रोहित चौधरी	तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनू
		श्री ओमप्रकाश जांगिड	तत्कालीन तहसीलदार, झुन्झुनूं
9.	3(390)लोआस/2018	डॉ. गौरव त्यागी	चिकित्सा अधिकारी, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हथवारी, ब्लॉक राजाखेडा, जिला धौलपुर
10.	16(78)लोआस/2017	श्री भंवरलाल सोनी	तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, सुजानगढ,
		श्री शुभकरण	तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, सुजानगढ
		श्री हंसराज मेघवाल	तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, सुजानगढ
		श्री पवन कुमार शर्मा	कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद सुजानगढ,
		डॉ. विजयराज शर्मा	तत्कालीन सभापति, नगरपरिषद, सुजानगढ
		श्रीमती पूजा शर्मा,	तत्कालीन राजस्व अधिकारी, नगर परिषद, सुजानगढ
11.	16(227)लोआस/2018	श्रीमती प्रियंका बुढानियां	तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खण्डेला, जिला सीकर
12.	5(25)लोआस/2018	श्री सौरभ स्वामी	तत्कालीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
13.	17(11)लोआस/2017	श्री आलोक गौतम	तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन–4, जविप्रा

14.	3(120)/लोआस/2019	श्री संजय वर्मा	तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना, प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर
15.	35(346)/लोआस/2018	डॉ. रवि कुमार सुरपुर	आई.ए.एस. (तत्कालीन जिला कलक्टर, भीलवाड़ा)

परिशिष्ट–1.7

प्रतिवेदन अवधि के दौरान इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप विभागों द्वारा कुल 161 दोषी लोकसेवकों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर की गई अनुशासनिक कार्यवाही की सूची। (01.01.2022 से 31.12. 2022 तक)

क्र. सं.	पत्रावली संख्या	लोकसेवक का नाम / पदनाम	विवरण
1.	12(610) / लोआस / 2016	• श्रीमती कविता, ग्राम सेवक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
2.	7(24) / लोआस / 2018	• श्री राहुल माथुर, कनिष्ठ लिपिक	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
3.	11(37) / लोआस / 2019	• श्री मुकेश कुमार मीणा, तत्कालीन तहसीलदार • श्री घनश्याम सिंह देवल, भू–अभिलेख निरीक्षक • श्री राजेश मीणा, पटवारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
4.	12(448) / लोआस / 2017	• श्री रिद्धकरण रैगर, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव • श्रीमती नरेन्द्र कुमावत, लिपिक ग्रेड – ।।	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
5.	3(110) / लोआस / 2020	• श्री मुकेश मीणा, थानाधिकारी • श्री अर्जुन सिंह, सहायक उप निरीक्षक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
6.	3(112) / लोआस / 2020	• श्री कोमल, हैड कान्स्टेबल • श्री धन्नालाल, हैड कान्स्टेबल	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
7.	35(57) / लोआस / 2020	• श्रीमती माया यादव, कनिष्ठ सहायक	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
8.	12(27) / लोआस / 2019	• ग्राम विकास अधिकारी श्री नारायणलाल शर्मा	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
9.	5(35) / लोआस / 2014	• श्री राजेन्द्र बैरवा, पदेन सचिव	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

10.	12(30)/लोआस/2021	• श्री रामेश्वर प्रसाद जाट, ग्राम विकास अधिकारी • श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
11.	12(147)/लोआस/2017	• श्री मांगीलाल सैनी, पंचायत प्रसार अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
12.	12(558)/लोआस/2016	• श्री चन्द्रशेखर, अधिशाषी अभियंता ईजीएस, • श्री मोहनलाल मीणा, सहायक अभियंता, • श्री सत्यनारायण गौतम, ग्राम सेवक • श्री प्रभूलाल मीणा, तकनीकी सहायक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
13.	3(412)/लोआस/2019	• श्री बृजराज सिंह, ए. एस.आई.	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
14.	3(399)/लोआस/2019	• श्री युवराज सिंह, एच. सी. संख्या 617	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
15.	3(400)/लोआस/2019	• श्री जोधराज सिंह, एच.सी. नम्बर 332	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
16.	41(3)/लोआस/2021	• डॉ0 पंकज, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
17.	12(438)/लोआस/2016	• श्री गोपाल सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
18.	3(303)/लोआस/2019	• श्री प्रहलाद, हैड कानि. संख्या 163	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
19.	3(480)/लोआस/2019	• श्री रजनीश कुमार, सहायक उप निरीक्षक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
20.	3(451)/लोआस/2019	• श्री इन्द्र सिंह हैड कान्स्टेबल नम्बर 314	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
21.	3(490)/लोआस/2019	• श्री सैयद शखावत अली एच.सी. संख्या 308	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

22.	12(260)/लोआस/2020	• श्री महावीर प्रसाद शर्मा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव • श्रीमती रिंकू कुमारी, कनिष्ठ लिपिक • श्री घासीलाल मीणा, तत्कालीन सहायक अभियंता • श्री नरेश कुमार बोहरा, तत्कालीनसहायक अभियंता • श्री किशनसिंह राठौड़, तत्कालीन विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
23.	3(413)/लोआस/2019	• श्री शिवराज, एच.सी. संख्या 793	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
24.	35(335)/लोआस/2018	• श्री मेघाराम, पूर्व पटवारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
25.	35(81)/लोआस/2017	• श्री पुरखाराम, कनिष्ठ अभियंता, • श्री योगेश आचार्य, वरिष्ठ लिपिक • श्री बिशन चन्द, वरिष्ठ लिपिक • श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ लिपिक • श्री विनय बोडा, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता • श्री सुरेश चंद, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
26.	12(248)/लोआस/2016	• श्री गोपाल सिंह, तत्कालीन सचिव • श्री रविन्द्र कुमार, सचिव • श्री राजेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

27.	3(275)/लोआस/2021	• श्री रामसहाय, कान्स्टेबल संख्या 358	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
28.	3(495)/लोआस/2019	• श्री प्रहलाद, मुख्य आरक्षक नम्बर 163	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
29.	3(403)/लोआस/2019	• श्री सत्यनारायण पाराशर, ए.एस.आई.	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
30.	12(49)/लोआस/2018	• श्री इसबूदीन डायर, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
31.	2(4)/लोआस/2019	• श्री ओमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन सचिव	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
32.	5(143)/लोआस/2017	• श्री नाथूराम प्रजापत, प्रधानाचार्य	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
33.	12(106)/लोआस/2017	• श्री राजकुमार सोनी, कनिष्ठ अभियंता	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
34.	16(666)/लोआस/2014	• श्री ओमप्रकाश साहू, कनिष्ठ अभियंता (हाल अधिशाषी अभियंता	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
35.	3(50)/लोआस/2018	• श्री रामस्वरूप सैनी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका,	धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 13(1)(डी) पी.सी.एक्ट के तहत चार्जशीट न्यायालय में पेश की जा चुकी है।
36.	2(37)/लोआस/2018	• श्री सुरेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत कार्मिक • श्री ओमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन मण्डी सचिव	वरिष्ठ सहायक के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पदावनत किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
37.	12(95)/लोआस/2019	• श्री प्रहलाद बैरवा, कनिष्ठ सहायक	एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश पारित किया गया है।
38.	12(352)लोआस/2018	• श्री रामनिवास रणवा, कनिष्ठ अभियंता	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

39.	35(64)लोआस / 2021	• श्री प्रहलाद सिंह, ए. एस.आई.	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
40.	2(29) / लोआस / 2017	• श्री ओमप्रकाश शर्मा (सहायक निदेशक), तत्कालीन सचिव	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
41.	3(429) / लोआस / 2019	• श्री प्रहलाद सिंह, हैड कान्स्टेबल	पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु चेतावनी दी गई।
42.	3(560) / लोआस / 2018	• श्री मनीष चारण, थानाधिकारी • श्री दिनेश चन्द, थानाधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
43.	12(49) / लोआस / 2010	• श्री रामनारायण जादम, ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
44.	12(403) / लोआस / 2015	• श्री नारायण सिंह सक्सेना	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
45.	12(525) / लोआस / 2017	• श्री ओमप्रकाश, कनिष्ठ सहायक • श्री गिरधारीराम, ग्राम रोजगार सहायक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
46.	16(645) / लोआस / 2017	• श्री बृजेश मेहरा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव • श्री सुरेश कपूर, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी • श्री सलीम मोहम्मद, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
47.	5(36) / लोआस / 2019	• श्री पवन कुमार, वरिष्ठ सहायक	एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।
48.	35(469) / लोआस / 2018	• श्री विजय सिंह चौहान, विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
49.	12(486) / लोआस / 2019	• श्री भारत सिंह देवड़ा, विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

50.	2(8)/लोआस/2022	• श्री रजनीश कुमार सिंह, सचिव, कृ.उ.म. जैसलमेर • श्री राकेश कुमार सिंगरिया, सचिव, कृ. उ.म. जैसलमेर	स्पष्टीकरण जारी किया गया
51.	2(13)/लोआस/2019	• श्री ओमप्रकाश शर्मा, सचिव, कृ.उ.म. मालपुरा	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
52.	3(460)/लोआस/2019	• श्री तनेराव सिंह, स.उ. नि. पुलिस • श्री मोहनलाल, कानि.	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
53.	3(141)/लोआस/2020	• श्री भंवरलाल, स.उ.नि. पुलिस	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
54.	3(201)/लोआस/2020	• श्री मुकेश कुमार यादव, उ.नि. पुलिस	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
55.	3(87)/लोआस/2021	• श्री जितेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
56.	3(115)/लोआस/2021	• श्री कपिल, कानि.	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
57.	3(27)/लोआस/2022	• श्री रामशरण, उ.नि. पुलिस	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
58.	4(5)/लोआस/2019	• श्री अमित कुमार शर्मा, शाखा प्रबन्धक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
59.	5(56)/लोआस/2021	• श्री महेश चन्द रजवानी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
60.	5(4)/लोआस/2020	• श्री हंसराज, तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
61.	5(30)/लोआस/2021	• श्रीमती पिंकी मीणा, अध्यापिका रा.उ.प्रा.वि.,	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
62.	7(3)/लोआस/2019	• श्री रामप्रसाद मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला रसद कार्यालय,	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
63.	8(29)/लोआस/2020	• डॉ0 रविन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, यूरोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही

64.	11(102)/लोआस/2020	• श्री कल्पेश कुमार जैन, तहसीलदार	एसीबी में विचाराधीन
65.	11(164)/लोआस/2021	• श्रीमती अस्मिता सिंह, तहसीलदार	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
66.	11(36)/लोआस/2019	• श्री भागीरथ मल, पटवारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
67.	11(470)/लोआस/2018	• श्री मोहन लाल प्रतिहार, उपखण्ड अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
68.	11(116)/लोआस/2021	• श्री महेश पंचाल, पटवारी • श्री हिम्मत सिंह, भू–अभिलेख निरीक्षक	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
69.	11(207)/लोआस/2021	• श्री हरिसिंह शेखावत, तत्कालीन तहसीलदार • श्री जीतूसिंह, पटवारी • श्री सुनील कुमार, तहसील राजस्व लेखाकार	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
70.	11(102)/लोआस/2022	• श्री भीख सिंह, पटवारी, इन्दों का बास, तहसील आऊ,	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
71.	11(113)/लोआस/2022	• श्री दीपक शर्मा, पटवारी, दोलतपुरा, तहसील आमेर	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
72.	12(406)/लोआस/2018	• श्री महेन्द्रपाल, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
73.	12(251)/लोआस/2021	• श्री ओमप्रकाश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
74.	12(303)/लोआस/2021	• श्री ललित कुमार गर्ग, विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
75.	12(43)/लोआस/2022	• श्री सीताराम जाखड़, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
76.	12(96)/लोआस/2022	• श्री भुपेश पाटीदार, ग्राम विकास अधिकारी • श्री पवन कुमार तलाईच, सहायक विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही

77.	12(433)/लोआस/2019	• श्री कन्हैयालाल जटिया, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
78.	12(202)/लोआस/2019	• श्री लखमाराम, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
79.	12(221)/लोआस/2019	• श्री मोहित वर्मा, सहायक अभियंता, पंचायत समिति, जालसू,	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
80.	12(222)/लोआस/2019	• श्री प्रेम सिंह, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत खाटां, पंचायत समिति रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
81.	12(323)/लोआस/2019	• श्री विरेन्द्र भल्ला, ग्राम विकास अधिकारी • श्री मुकेश मीणा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
82.	12(356)/लोआस/2019	• श्री देवकीनन्दन शर्मा, सहायक विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
83.	12(397)/लोआस/2019	• श्री सत्यप्रकाश चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
84.	12(27)/लोआस/2020	• श्री गोविन्द प्रसाद तम्बोली, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
85.	12(36)/लोआस/2020	• श्री बलवन्त सिंह बैगड़, सहायक अभियंता, ग्राम पंचायत अजीतपुरा,	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
86.	12(132)/लोआस/2020	• श्री प्रकाश चन्द सैनी, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
87.	12(164)/लोआस/2020	• श्री रवि कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत टोड़ा, पंचायत समिति कठूमर	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
88.	12(184)/लोआस/2020	• श्री जगदीश शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

89.	12(223)/लोआस/2020	• श्री प्रकाश चन्द सैनी, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
90.	12(246)/लोआस/2020	• श्री रामसुख बहादुर, ग्राम विकास अधिकारी • श्री समुरे राम मेघवाल, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
91.	12(267)/लोआस/2020	• श्री धर्मराज मीणा, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत, टोंकड़ा, बूंदी • श्री विजय कुमार मीणा, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
92.	12(16)/लोआस/2021	• श्री गोपाल सिंह, विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
93.	12(95)/लोआस/2021	• श्री प्रभुराम मीणा, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
94.	12(107)/लोआस/2021	• श्री विनोद कुमार शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
95.	12(123)/लोआस/2021	• श्री मोहम्मद अहसान, ग्राम विकास अधिकारी	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
96.	15(12)/लोआस/2019	• श्री नरेश चन्द्र शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप वन संरक्षक, जयपुर • श्री घनश्याम सिंह, सहायक वनपाल, उप वन संरक्षक (उत्तर), जयपुर • श्री सुभाष सक्सैना, वनपाल, उप वन संरक्षक (उत्तर)	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
97.	15(10)/लोआस/2020	• श्री लोकेश कुमार शर्मा, सहायक वन संरक्षक,उप वन संरक्षक, अजमेर	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
98.	15(2)/लोआस/2021	• श्री विष्णुराम, पटवारी, सिणधरी, बाड़मेर	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
99.	16(7)/लोआस/2019	• श्री दिनेश कांवत, कनिष्ठ अभियंता, नगर पालिका, चौमूं	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

		• श्री बिहारी लाल, सफाई कर्मचारी, कार्यवाहक जमादार, नगर पालिका, चौमूं	
100.	16(453)/लोआस/2017	• श्री रामकिशोर मीणा, अभियंता (सिविल), नगर पालिका, लालसोट, दौसा	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
101.	18(4)/लोआस/2021	• श्री मांगीलाल विश्नोई, आबकारी निरीक्षक, वृत सुजानगढ़, चूरू	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
102.	16(209)/लोआस/2018	• अनिल कुमार, फायरमैन • श्रीमती सरिता, अधिशाषी अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
103.	16(367)/लोआस/2013	• मनोज वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता	सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही
104.	16(519)/लोआस/2018	• सलीम खांन, अधिशाषी अधिकारी • दिनेश कुमार सैनी, कनिष्ठ लिपिक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
105.	16(798)/लोआस/2015	• श्रीमती ममता नागर, अधिशाषी अधिकारी • श्री सुरेश कुमार मीणा, अधिशाषी अधिकारी • श्री फतेह सिंह, अधिशाषी अधिकारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
106.	16(475)/लोआस/2015	• महेन्द्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
107.	16(763)/लोआस/2015	• रोहित मीणा, कनिष्ठ अभियन्ता	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
108.	16(845)/लोआस/2015	• नवनीत कुमार, अधिशाषी अधिकारी • रणजीत सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता • सुमित कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता • ललित कुमार, स्वास्थ्य निरीक्षक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
109.	16(1008)/लोआस/2015	• मानकचंद नवल, भूमि शाखा प्रभारी	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

110.	16(193) / लोआस / 2018	• राजेन्द्र प्रसाद, कनिष्ठ सहायक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
111.	16(203) / लोआस / 2018	• सुशील कुमार सैनी, सफाई जमादार • अमित कुमार, फायरमैन	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
112.	16(213) / लोआस / 2018	• धीरज कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
113.	16(293) / लोआस / 2018	• सलीम खान, अधिशाषी अधिकारी • दिनेश कुमार सैनी, कनिष्ठ लिपिक	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
114.	16(404) / लोआस / 2018	• लाखन सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही
115.	16(428) / लोआस / 2018	• दीपक नागर, आयुक्त, नगर परिषद	सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही

परिशिष्ट–1.8

विभागवार अनुतोष प्रकरणों की संख्या
कालावधि – दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

हैड	Department Name	विभाग का नाम	संख्या
2	Agriculture	कृषि	2
3	Police	पुलिस	29
4	Co-Operative	सहकारिता	0
5	Education	शिक्षा	9
6	College Education	महाविद्यालय शिक्षा	1
7	Food & Civil Supply	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	3
8	Medical & Health	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	4
9	P.W.D.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	4
10	R.R.V.V.N.Ltd.	रा0रा0वि0वि0 निगम लि0	8
11	Revenue	राजस्व	61
12	Panchayat & Development	पंचायती राज	41
13	Famine & Relief	आपदा प्रबन्धन	0
14	Transport	परिवहन	1
15	Forest	वन	2
16	L.S.G.	स्वायत्त शासन विभाग	32
17	U.D.H	नगरीय विकास एवं आवासन	13
18	Excise	आबकारी	0
19	Industries	उद्योग	0
20	Printing & Stationary	मुद्रण	0
21	Animal Husbandary	पशुपालन	0

22	Govt. Enquiries	राजकीय जॉच	0
23	Irrigation	सिंचाई	0
24	I.G.N.P	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	0
25	Mines Allotment Enquiry	खान आवंटन जॉच	0
26	Colonnization	उपनिवेशन	1
28	Judiciary	न्याय	0
29	Jails	कारागार	0
30	Labour	श्रम	3
31	P.H.E.D.	जन स्वा0 अभियांत्रिकी2	2
32	Social Welfare	सामाजिक न्याय अधिकारिता	0
33	Settlement	भू–प्रबन्ध	1
34	Secretariat	शासन सचिवालय	0
35	Miscellaneous	विविध	46
40	AC Department	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो	0
41	Ayurved	आयुर्वेद	0
42	Devsthan	देवस्थान	0
43	R.S.R.T.C.	रा0रा0पथ परिवहन निगम	0
44	Commercial Taxes	वाणिज्यिक कर	0
45	Mines & Geology	खान एवं भूविज्ञान	1
46	Sanskrit Education1	संस्कृत शिक्षा	0
47	Insurance	बीमा	114
48	Technical Education	तकनीकी शिक्षा	0
Total			**378**

परिशिष्ट–1.9

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप आरोपी लोकसेवकगण से वसूल करवाई गई राशि का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

क्रम	पत्रावली संख्या	वसूल की गई राशि (लाखों में)
1.	11(198)/लोआस/2020	218.66
2.	12(30)/लोआस/2014	1.83
3.	12(47)/लोआस/2014	3.61
4.	12(523)/लोआस/2014	2.27
5.	12(434)/लोआस/2015	4.30
6.	12(456)/लोआस/2015	1.74
7.	12(466)/लोआस/2015	0.95
8.	12(5)/लोआस/2016	0.92
9.	12(324)/लोआस/2016	0.84
10.	12(436)/लोआस/2016	0.53
11.	12(624)/लोआस/2016	0.17
12.	12(635)/लोआस/2016	1.24
13.	12(706)/लोआस/2016	0.04
14.	12(717)/लोआस/2016	1.5
15.	12(780)/लोआस/2016	3.15
16.	12(7)/लोआस/2018	0.45
17.	12(49)/लोआस/2017	0.11
18.	12(199)/लोआस/2017	3.3
19.	12(201)/लोआस/2017	1.17
20.	12(243)/लोआस/2017	3.63
21.	12(417)/लोआस/2017	1.26

22.	12(501)/लोआस/2017	21.93
23.	12(505)/लोआस/17	8.75
24.	12(648)/लोआस/2017	0.15
25.	12(655)/लोआस/2017	14.99
26.	12(662)/लोआस/2017	14.99
27.	12(677)/लोआस/2017	0.96
28.	12(87)/लोआस/2012	45.98
29.	12(84)/लोआस/2013	10.50
30.	12(78)/लोआस/2022	0.01
31.	12(233)/लोआस/2019	4.98
32.	12(360)/लोआस/2019	0.04
33.	12(128)/लोआस/2020	1.26
34.	12(164)/लोआस/2020	4.60
35.	12(197)/लोआस/2018	2.13
36.	12(206)/लोआस/2018	2.31
37.	12(224)/लोआस/2018	1.32
38.	12(225)/लोआस/2018	9.91
39.	12(242)/लोआस/2018	1.93
40.	12(417)/लोआस/2018	0.26
41.	12(418)/लोआस/2018	0.02
42.	12(446)/लोआस/2018	0.05
43.	12(582)/लोआस/2018	2.27
44.	12(623)/लोआस/2018	0.62
45.	12(12)/लोआस/2019	0.36
46.	12(175)/लोआस/2019	0.60
47.	12(253)/लोआस/2018	0.12
	कुल राशि	**402.68**

परिशिष्ट–1.10

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप सिलिकोसिस पीड़ितो को भुगतान की गई राशि का विवरण

कालावधि – दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

क्रम	पत्रावली संख्या – जिला	वसूल की गई राशि (करोड़ों में)
1.	35(140) / लोआस / 2017 – भरतपुर	0.71
2.	35(140) / लोआस / 2017 – दौसा	11.46
3.	35(140) / लोआस / 2017 – जयपुर	1.07
4.	35(140) / लोआस / 2017 – उदयपुर	1.00
5.	35(140) / लोआस / 2017 – बीकानेर	1.18
6.	35(140) / लोआस / 2017 – राजसमन्द	1.08
7.	35(140) / लोआस / 2017 – धौलपुर	9.30
8.	35(140) / लोआस / 2017 – अजमेर	1.98
9.	35(140) / लोआस / 2017 – अलवर	0.22
	कुल राशि	**28.00**

अध्याय - 2

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण

अध्याय–2

अन्वेषण पश्चात् सक्षम प्राधिकारी को धारा 12(1) राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत प्रेषित अनुशंषा के प्रकरण

एफ 11(35)लोआस / 2018

परिवादी श्री अभिषेक बंसल पुत्र स्व.श्री दीपचंद बंसल, निवासी 17 / 429, गर्ग मोहल्ला, घसेटी नगर, तहसील व जिला अजमेर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसके पिता की सम्पति को पटवारी व आइ.एल.आर, गगवाना जिला अजमेर द्वारा जालसाजी से अन्य लोगो के नाम नामान्तकरण खोल दिया गया था ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं समस्त लोकसेवको के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) श्री प्रवीण कुमार, तत्कालीन उप पंजीयक, अजमेर द्वितीय, (2) श्री राजवीर सिंह, तत्कालीन भू–अभिलेख निरीक्षक, ग्राम पंचायत गगवाना एवं (3) श्री सुनील कुमार शर्मा, तत्कालीन पटवारी, ग्राम पंचायत, गगवाना, जिला अजमेर के विरूद्व भ्रष्ट हेतु से पदीय शक्ति का दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 16(335)लोआस / 2014

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री शिवदयाल जैन, निवासी राजेश भवन, सिविल लाईन, जिला अलवर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि वे मोहल्ला सिविल लाईन, अलवर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में

प्रश्नगत भवन में स्वीकृति के विपरीत बिना अनुमति व्यावसायिक निर्माण होने तथा इसके विरूद्व समय पर कोई ठोस व प्रभावी कार्यवाही नगर विकास न्यास, अलवर के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नहीं की गई और जिस कारण उनके मकान के पूर्व में रहने वाले श्री अजय कुमार सिंघल पुत्र श्री पुखराज सिंघल तथा श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी श्री सुनील खण्डेलवाल ने अपने मकान को तोड़कर वहां बेंसमेंट तथा व्यावसायिक भवन का निर्माण प्रारम्भ किया था, जिससे उसके मकान के पूर्व की तरफ निर्माण में काफी नुकसान हुआ था और कमरों में पानी भर गया था ।

परिवादी के उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री ओमप्रकाश गुर्जर, तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर, हाल–तहसीलदार बसवा, (2) श्री प्रेमचंद धामाणी, तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर, हाल सेवानिवृत्त (3) श्री सोहन सिंह नरूका, तत्कालीन अतिकमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर, हाल भूमि अवाप्ति अधिकारी, (4) श्री राजवीर सिंह यादव तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर, (5) श्री ओमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर, हाल सेवानिवृत्त (6) श्री विनीत नगायच, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद अलवर, हाल– अधिशाषी अभियन्ता, नगर परिषद, भिवाड़ी, (7) श्री मुकेश कुमार तिवारी, तत्कालीन अतिक्रमण शाखा प्रभारी हाल सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, अलवर, (8) श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, अलवर, (9) श्री मुरारीलाल वर्मा, तत्कालीन आयुक्त नगर परिषद, अलवर एवं (10) श्री मोहनदान रत्नू, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद अलवर के विरूद्व पदीय शक्ति का दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु उनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 3(53)लोआस / 2019

परिवादी श्री हरभान सिंह प्रजापत, पुत्र श्री तुलाराम, निवासी ग्राम खानसूरजपुर, पुलिस थाना रूपवास, जिला भरतपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसके पुत्र जालिम सिंह ने पुलिस थाना रूपवास पर एफ.आई.आर संख्या 100/2018 दर्ज करायी थी । अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमों को बचाने के आशय से एफ.आर. न्यायालय में पेश कर दी गई एवं इस बाबत प्रोटेस्ट पेश करने पर न्यायालय ने पुनः अनुसंधान करने हेतु दिनांक 14.12.2018 को आदेश पारित करने के बाद भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमों के विरूद्व कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

परिवादी के उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवकों के स्पष्टीकरण व साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक (1) डॉ. रूपेन्द्र झा, चिकित्सक अधीक्षक, जनाना अस्पताल, भरतपुर एवं (2) श्री भोजाराम, थानाधिकारी, पुलिस थाना रूपवास, जिला भरतपुर के विरूद्व पेशेवर लापरवाही एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्ण उदासीनता का मामला प्रमाणित इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु उनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ.14(12)लोआस / 2017

परिवादी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री कपूर चंद, निवासी ग्राम लुधाबाई, जिला भरतपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि भरतपुर परिवहन विभाग, लुधाबई टोल प्लाजा पर एक ही जगह खड़े होकर इन्सपेक्टर एवं उनके भाई द्वारा खुले आम चौथ वूसली की जा रही है।

परिवादी के उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए (1) श्री वकताराम, तत्कालीन परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय दूदू,

(2) श्री अमर सिंह मीणा, तत्कालीन उप निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय कोटपूतली, (3) श्री अशोक बसेन्द्रा, तत्कालीन उप निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर, (4) श्री घनश्याम सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, करौली, (5) श्री विजेन्द्र मीणा, तत्कालीन उप निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अलवर एवं (6) श्री समुन्द्र सिंह कोठारी, तत्कालीन उप निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अलवर के विरूद्व पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु उनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 3(655)लोआस/2017

परिवादी श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री कैलाश सैनी, निवासी नेहरू कॉलोनी, वार्ड संख्या 17, कस्बा लालसोट, जिला दौसा द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि पुलिस थाना करधनीपर दर्ज एफ.आई.आर संख्या 3/2013 में अनुसंधान के बाद एफ.आर. लगा देने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2016 को पुनः अनुसंधान किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने के उपरान्त भी उक्त प्रकरण में थानाधिकारी श्री अनिल जसोरिया एवं अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह द्वारा पुनः सही अनुसंधान नहीं किया गया था।

परिवादी के उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवकों के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री महेन्द्र सिंह, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना करधनी, जयपुर एवं (2) श्री श्रवणलाल, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना करधनी, जयपुर के विरूद्व पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने एवं लोकसेवक (3) श्री अनिल जसोरिया, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक की उक्त प्रकरण में पर्यवेक्षणीय लापरवाही होना प्रमाणित पाये जाने पर इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशानिक

नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 16(558)लोआस/2015

परिवादी श्री जयेश लोढा पुत्र श्री मनोहर लाल लोढ़ा, निवासी द्वितीय तल, श्रीजी काम्पलेक्स, न्यू रोड, चूरू द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उनके द्वारा मै.जयदीप एण्टरप्राईजेज के नाम से एक भूखण्ड खरीदा गया था जिस पर निर्माण स्वीकृति हेतु नगरपालिका, नाथद्वारा में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, किन्तु उन्हे सम्बन्धीत विभाग से निर्माण स्वीकृति नहीं दी गई थी तथा जलदाय विभाग का उक्त भूखण्ड पर कोई स्वामित्व नहीं होते हुए भी जलदाय विभाग द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपने स्वामित्व बाबत अपना बोर्ड अनाधिकृत एवं अवैध रूप से लगा रखा था। परिवादी द्वारा नगरपालिका, नाथद्वारा एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना अपने उक्त परिवाद के माध्यम से की गई थी।

परिवादी के उक्त आरोपो के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवको के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए (1) श्री आशीष कुमार शर्मा, तत्कालीन आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा, (2) श्री शान्तिलाल आमेटा, तत्कालीन सहायक अभियन्ता/कार्यवाहक आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा, (3) श्री ललितेन्द्र शर्मा, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, नाथद्वारा, (4) श्री रामचन्द्र तिवारी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगरपालिका, नाथद्वारा एवं (5) श्रीमती तनुजा सोलंकी, तत्कालीन आयुक्त, नगरपालिका, नाथद्वारा के विरूद्व पदीय शक्ति का दुरूपयोग एवं अपने कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षा/अकर्मण्यता के व्यवहार का मामला प्रमाणित होने से इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु उनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 17(195)लोआस / 2017

परिवादी डॉ. विवेक भार्गव, निवासी विवेकानंद मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि उसकी व उसकी पत्नी एवं रवि खण्डेलवाल, मनीष खण्डेलवाल व मनीषा खण्डेलवाल की शामलाती खातेदारी कृषि भूमि 10 बीघा 1 बिस्वा के सम्बन्ध में जरिये इकरारनामा बिचौती दिनांक 13.12.2016 रवि खण्डेलवाल, मनीष खण्डेलवाल व मनीषा खण्डेलवाल द्वारा उनके साथ धोखाधडी करने व उक्त खातेदारी कृषि भूमि के सम्बन्ध में बोबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा अवैध पट्टे जारी करने के संदर्भ में थाना ब्रह्मपुरी पर दर्ज एफ आई आर संख्या 410/2017 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा उक्त खातेदारी भूमि एवं उससे लगी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किए जाने की शिकायत जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में किये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

परिवादी के उक्त आरोपो के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवको के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए (1) श्री देवेन्द्र कुमार जैन, आर.ए.एस, (2) श्री आशीष कुमार, आर.ए.एस (तत्कालीन उपायुक्त, जोन–10, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर) एवं (3) श्री हनुमान सहाय जाट, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन–10,जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विरूद्व पदीय दायित्व व कर्तव्य में अकर्मण्यता कारित का मामला प्रमाणित होने से इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 16(270)लोआस / 2015

परिवादी श्री मोहम्मद इकबाल पुत्र श्री मोहम्मद अकरम अली निवासी फतेहपुरिया मस्जिद के पास, वार्ड संख्या 29 जिला झुन्झुनू द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन

किया गया था कि नगर परिषद सभापति श्री सुदेश अहलावत एवं आयुक्त श्री राजेन्द्र सींगड द्वारा मण्डावा रोड पर जिला स्टेडियम के मुख्य द्वार के पास सार्वजनिक भूमि एवं आम रास्ते की भूमि पर बडा व्यवसायिक कॉम्पलेक्स का अवैध निर्माण करवाया जा रहा था।

परिवादी के उक्त आरोपो के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवको के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए (1) श्रीमती अनिता खींचड, तत्कालीन सचिव, नगर परिषद, झुन्झुनूँ, (2) श्री संजय माथुर, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, झुन्झुनूँ, (3) रोहित चौधरी, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, झुन्झुनूँ एवं (4) श्री ओमप्रकाश जांगिड, तत्कालीन तहसीलदार, झुन्झुनूँ के विरूद्व पदीय दायित्व व कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षा एवं लापरवाही का मामला प्रमाणित होने से इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 3(390)लोआस/2018

परिवादी श्री भरत सिंह जाटव पुत्र श्री रूसीराम जाटव, निवासी ग्राम मछरिया, तहसील राजाखेडा, जिला धौलपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था, कि दिनांक 29.08.2018 को आरोपियों द्वारा घर पर आकर मारपीट करने के संबंध में पुलिस थाना दिहोली पर एफ.आई.आर संख्या 121/2018 उनके द्वारा दर्ज करवायी गई थी तथा उनके द्वारा अपने परिवाद में यह भी अवगत कराया कि मारपीट में आई चोटो का मेडिकल मुआयना डॉ. गौरव त्यागी द्वारा किया गया था, जो उनके द्वारा सही नहीं किया गया था ।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक डॉ. गौरव त्यागी, चिकित्सा अधिकारी, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य

केन्द्र, हथवारी, ब्लॉक राजाखेडा, जिला धौलपुर के भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर व मुलजिमान को अनुचित लाभ पहुंचाने/बचाने के आशय से अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरतने का मामला प्रमाणित होने से इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 16(78)लोआस/2017

परिवादी श्री मुकेश कुमार दायमा पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, निवासी नया बाजार रोड, व्यापारियो का मोहल्ला, वार्ड संख्या 36, कस्बा सुजानगढ, जिला चूरू द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि कस्बा सुजानगढ में सब्जी मण्डी के पास स्थित अवैध व्यावसायिक सुमेरू कॉम्लेक्स के आगे श्री ओमप्रकाश तुनवाल, श्री शंकर सामरिया एवं श्री जयप्रकाश भोजक द्वारा नगर परिषद की सडक को अवैध रूप से तोड दिये जाने, सुमेरू कॉम्पलेक्स व उससे सटकर बने अवैध कॉम्पलेक्स जो कि आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक निर्माण है तथा बिना भू–परिवर्तन व बिना स्वीकृति के बनवाये जा रहे है, के संबंध में शिकायत करने पर भी आयुक्त, सभापति, कनिष्ठ अभियन्ता, सफाई निरीक्षक, नगर परिषद, सुजानगढ द्वारा कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया हैं।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवको के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवकगण (1) श्री भंवरलाल सोनी, तत्कालीन आयुक्त, नगर परिषद, सुजानगढ, (2) श्री शुभकरण, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद, सुजानगढ (3) श्री हंसराज मेघवाल, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, सुजानगढ (4) श्री पवन कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक, नगर परिषद सुजानगढ, (5) डॉ. विजयराज शर्मा, तत्कालीन सभापति, नगरपरिषद, सुजानगढ एवं (6) श्रीमती पूजा शर्मा, तत्कालीन राजस्व अधिकारी, नगर परिषद, सुजानगढ के विरूद्व पदीय शक्ति का दुरूपयोग का

मामला प्रमाणित होने से, इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ 16(227)लोआस/2018

परिवादी श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी हांसपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि परिवादी की कम्पनी, ''सुभाष कंस्ट्रक्शन कम्पनी'', हांसपुर द्वारा नगरपालिका, खण्डेला के कार्यादेश संख्या 2112 दिनांक 17.01.2018 द्वारा फायर स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

परिवादी ने अपने उक्त परिवाद के माध्यम से प्रश्नगत निर्माण का द्वितीय रनिंग बिल 12,12,921/रूपये रिश्वत की मांग व हठधर्मिता के कारण अधिशाषी अधिकारी व लेखा लिपिक, नगरपालिका, खण्डेला द्वारा भुगतान नहीं किये जाने का आरोप उन पर लगाया हैं।

परिवादी के उक्त आरोपो के संबंध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवको के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए प्रकरण में अपचारी लोकसेवक श्रीमती प्रियंका बुढानियां, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, खण्डेला, जिला सीकर के विरूद्व पदीय शक्ति का दुरूपयोग का मामला स्पष्टतः प्रमाणित होने से, इनके विरूद्व राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 12(1) के अधीन, विद्यमान व प्रवृत अनुशानिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने हेतु इनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई ।

एफ 5(25)लोआस/2018

परिवादी ओमप्रकाश तिवारी (एड.), निवासी 85–बी, मालवीय नगर, एयरफोर्स एरिया, जोधपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया था कि श्रीमती मनोज कुमारी चौधरी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मादासर–बायतू द्वारा बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय छोडकर रोज जोधपुर आना–जाना एवं बिना विद्यालय में आये ही अपनी उपस्थिति दर्ज की गई थी।

परिवाद पत्र में प्रभारी कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप दोषी कार्मिक श्रीमती मनोज कुमार चौधरी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये गये है तथा उक्त आरोप पत्र पत्र लोकसेविका द्वारा प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर प्रकरण को सक्षम स्तर से समाप्त किया गया हैं, जबकि उक्त लोकसेविका द्वारा प्रकरण में अपने आरोपों के सम्बन्ध में स्वैच्छया स्वीकारोक्त्ति दी गई है।

प्रकरण में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी श्री सौरभ स्वामी, तत्कालीन निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के विरूद्व उनके द्वारा पदीय शक्ति के दुरूपयोग किये जाने बाबत राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10 के अंतर्गत अन्वेषण किये जाने के आदेश प्रदान किये गये ।

प्रश्नगत प्रकरण में अभिलेख पर आए तर्क, विवेचन एवं लोकसेवक श्री सौरभ स्वामी, आई.ए.एस से प्राप्त उनके स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में प्रमुख सचिव, (माननीय मुख्यमंत्री महोदय), सक्षम प्राधिकारी, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर को निम्नानुसार पत्र जारी किया जाकर प्रकरण को इस सचिवालय स्तर पर समाप्त किया गया हैं ।

"From the threadbare examination of facts, objective analysis of the documentary evidence and other material available on record,

reasoning and legal position, taking a benevolent view in the matter, the delinquent public servent Shri Sourabh Swami, IAS, the then Director, Secondary Education, Bikaner is prima-facie not found guilty for corruption or high-handed action in pasing the order dated 16-09-2020. Suffice it to emphasis here that the said order was not in accordance with law.

Accordingly, the investigation proceedings against Mr. Sourabh Swami, IAS, at this Sachivalaya leval may be dropped with a word of caution to him for acting more carefully in future while exercising powers as disciplinary authority, strictly in adherence of law."

एफ.17(11)लोआस/2017

परिवादी श्री सांवरलाल द्वारा इस सचिवालय को परिवाद प्रेषित कर अभिकथित किया गया कि भूखण्ड सं. एस–105, आदिनाथ नगर, जयपुर में परिवार सहित निवास करता है जिसके लगता हुआ भूखण्ड सं. एस–92 (279.49 वर्गगज) आया हुआ है जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जविप्रा) से अनुमोदित है। भूखण्ड सं. एस–92 के स्वामी द्वारा जविप्रा भवन विनियमन, 2010 व जविप्रा अधिनियम, में वर्णित प्रावधानों के विपरीत अवैध रूप से जीरो सेटबेक पर भवन का निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायतें दिनांक 30.03.2017 व 11.04.2017 को आयुक्त, जविप्रा, जयपुर को की गई, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। जविप्रा के सम्बन्धित जोन के कर्मचारी/प्रवर्तन शाखा के अधिकारी अवैध निर्माण को रोकने के बजाय उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। अतः अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

परिवादी के उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए लोकसेवक श्री आलोक गौतम, तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, जोन–4, जविप्रा के विरूद्ध पदीय शक्ति

का दुरूपयोग एवं अपने कर्त्तव्य निर्वहन में कदाचार एवं भ्रष्टाचार कारित कर, पदीय शक्ति के दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से, उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिये उनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

एफ.3(120)/लोआस/2019

परिवादी श्री नरेश कुमार सैनी ने सचिवालय के समक्ष इस आशय का परिवाद प्रस्तुत किया गया कि उसकी दादी बीपीएल परिवार की विधवा बुजुर्ग महिला है जिसके पास एक पुख्ता कच्चे टिन का मकान वार्ड नं. 12 मालियों की ढाणी, किला ऊपर, ग्राम पंचायत, पावटा में स्थित है। आज से लगभग 6 माह पूर्व पुलिस थाना, प्रागपुरा के एसआई श्री संजय वर्मा ने परिवाद के सदस्यों को बेवजह थाने बुलाकर नजरबन्द रखा और पाँच लाख रु. में उक्त मकान बेचान करने की हिदायत दी। इसकी शिकायत पुलिस उपाधीक्षक, कोटपूतली को करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 17.04.2019 को घर पर कोई पुरूष सदस्य मौजूद नहीं था तो भू–माफियाओं ने 25–30 गुण्डों के साथ शराब पीकर व धारदार हथियार लेकर दादी, माता, चाची व बहिनों पर जानलेवा हमला कर दिया एवं बिना नम्बर की जेसीबी से दादी के मकान को ध्वस्त कर दिया। घटना की सूचना स्थानीय थाने पर बार–बार दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रकरण की जाँच श्री संजय वर्मा, एसआई को सौंपी गई तो उन्होंने भू–माफियाओं से मिलकर उन्हें ही डराकर व धमकाकर पाबन्द कर दिया। अतः कार्यवाही की जाये।

परिवादी के उक्त आरोपों के सम्बन्ध में अभिलेख पर आए साक्ष्य, तर्क, विवेचन एवं लोकसेवक के स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य में प्रकट स्थिति को देखते हुए लोक सेवक श्री संजय वर्मा, तत्कालीन उप निरीक्षक, पुलिस थाना, प्रागपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर के विरूद्ध पदीय शक्ति का दुरूपयोग का मामला प्रमाणित होने से उनके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 (1) के अधीन

विद्यमान व प्रवृत अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के लिये उनके सक्षम प्राधिकारी को सिफारिश की गई।

35(346)लोआस/2018

परिवादी श्री सुनिल आगीवाल पुत्र श्री पी.डी. आगीवाल, निवासी म.नं. 2–आर–7, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाडा ने यह सशपथ परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भीलवाडा शहर के नजदीक स्थित चित्तौड रोड़ पर 58.17 बीघा भूमि निजी खातेदारों से सरकार ने अधिग्रहित करके, राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट प्रा.लि. को विहित शर्तों के तहत औद्योगिक ईकाई स्थापना हेतु आवंटित की थी, जिस पर उक्त संस्थान ने डालडा मिल के रूप में डालडा घी का उत्पादन प्रारंभ किया। बाद में उक्त ईकाई बन्द हो गई तथा बी.आई.एफ.आर. ने उक्त संस्थान को केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 भीलवाडा को बेचने की अनुमति दे दी और विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया। राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने उक्त संस्थान को 60.12 बीघा भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान कर दी जिसमें 1.15 बीघा सरकारी भूमि भी सम्मिलित थी। उक्त 51.51 बीघा भूमि लीजी की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, इसके बावजूद भी लोकसेवकों ने मिलीभगतपूर्वक उक्त भूमि की लीज केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 के नाम पर दर्ज कर दी।

परिवादी ने यह भी आरोप लगाया कि मास्टर प्लान 2035 भीलवाडा में यह सम्पूर्ण 60.12 बीघा भूमि औद्योगिक दर्ज है किन्तु जिला कलेक्टर, भीलवाडा व अन्य अधिकारीगणों ने आपसी षडयंत्रपूर्वक विधिविरूद्ध रूप से राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन), 1959 के नियम 14(1) के अनुसार इस भूमि को रिवर्ट बैक की अनुमति प्रदान कर दी जबकि नियमानुसार रिर्वट बैक सिर्फ मूल खातेदार को ही दी जा सकती थी न कि लीज होल्डर को। ऐसी स्थिति में प्रासंगिक भूमि को राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन), 1959 के नियम 14(1) के अनुसार गलत रूप से रिवर्ट बैक कर दिया गया।

प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सर्वप्रथम परिवाद की प्रति जिला कलेक्टर, भीलवाडा को प्रेषित करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट आहूत की गई। अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में जिला कलेक्टर, भीलवाडा ने अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि की जांच के संबंध में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। जांच समिति की रिपोर्ट दिनांक 9.7.2019 के अनुसार समिति ने मूल आवंटन आदेश और तत्कालीन राजस्व रिकार्ड की जांच से निष्कर्षतः यह पाया कि खातेदारों से भूमि अधिग्रहण के पश्चात् प्रश्नगत भूमि मैसर्स राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स प्रा.लि. के नाम खातेदारी में दर्ज न होकर बिलानाम सरकार रही। राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स प्रा.लि. से मैसर्स केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 के नाम लीज होल्ड हस्तान्तरण के पश्चात् भी यह भमि बिलानाम सरकार एवं लीजी केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 के नाम दर्ज रही। केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0, राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन), 1959 के नियम 14(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके भूमि को पुनः कृषिमय दर्ज करवाकर अपनी खातेदारी में रिकार्ड अंकन करवाने का पात्र नहीं था क्योंकि यदि वह भविष्य में उद्योग चलाने में असफल रहता या यदि वह उद्योग का अन्तरण कर देता, दोनों ही स्थितियों में इस औद्योगिक भूमि का केवल लीज होल्ड हस्तान्तरण ही संभव था। इस प्रकार मैसर्स केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 खातेदारी स्वत्व नहीं रखने के कारण उक्त नियम के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर औद्योगिक भूमि को रिवर्ट बैक करवाने का अधिकारी नहीं था।

इस प्रकार पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया यह प्रकट हुआ कि डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आईएएस, तत्कालीन जिला कलेक्टर, भीलवाडा ने भ्रष्ट हेतुक से प्रेरित होकर अपनी पदीय हैसियत का दुरूपयोग करते हुए राजस्थान भू–राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन), 1959 के नियम 14(1) की गलत व्याख्या करते हुए मैसर्स केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 के पक्ष में प्रश्नगत 51–15 बीघा भूमि का रिवर्ट बैक (कृषि भूमि) दर्ज करने हेतु पारित आदेश दिनांक 22.12.2014 नियम विरूद्ध था।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले में माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा उक्त लोकसेवक के विरूद्ध लोकायुक्त एवं उप—लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 के तहत अन्वेषण करने का निर्णय लिया गया।

अन्वेषण के दौरान लोकसेवक डॉ. रवि कुमार सुरपुर, तत्कालीन जिला कलेक्टर, भीलवाडा (हाल पदस्थापित— आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राज., जयपुर) को राजस्थान लोकायुक्त तथा उप—लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 10(1)(क) के अन्तर्गत परिवाद की छाया प्रति, नोटिस एवं अन्वेषण के आधारों का विवरण प्रेषित किया जाकर, स्पष्टीकरण/जवाब तलब किया गया। इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को भी दी गई। साथ ही प्रकरण के संबंध में अन्य आवश्यक सूचनाएं/दस्तावेज भी संबंधित विभागों से मंगवाये गये।

उपर्युक्त रूप से आरोपी लोकसेवक का समग्र मामला, उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं पत्रावली पर आई दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित होने से, उपलब्ध अभिलेख एवं सम्बन्धित विधि/नियमों का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर, आरोपी लोकसेवक को सुना गया।

अन्वेषण जांच के दौरान प्रकाश में आए तथ्यों के सूक्ष्म विश्लेषण, दस्तावेजी साक्ष्य की गहन समीक्षा एवं रेकार्ड पर उपलब्ध सामग्री, तर्कों व विधिक स्थिति के आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपी लोकसेवक लोकसेवक डॉ. रवि कुमार सुरपुर, आईएएस, तत्कालीन जिला कलेक्टर, भीलवाडा ने अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए, संबंधित नियमों की अनदेखी कर, मनमानीपूर्वक कार्य कर, मैसर्स केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 को लाभ पहुंचाने के आशय से दुराचरण किया है। उक्त लोकसेवक ने संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, विधिविरूद्ध रूप से अपने आदेश दिनांक 22.12.2014 द्वारा अपने विहित क्षेत्राधिकार से परे जाकर, कृषि प्रयोजनार्थ मैसर्स केप्रिकॉन क्रेडिट प्रा0लि0 के पक्ष में प्रश्नगत मूल्यवान सरकारी भूमि को रिवर्ट—बैक कर दिया। इस प्रकार डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने अपने कर्तव्यपालन में गंभीर लोप किया।

लोकसेवक डॉ. रवि कुमार सुरपुर के विरूद्ध उपर्युक्तानुसार मामला प्रमाणित होने से उसके विरूद्ध राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12(1) के अधीन विद्यमान व प्रवृत्त अनुशासनिक नियमों के तहत वांछित अनुशासनिक कार्यवाही की जाकर इस सचिवालय को अवगत करवाने की अनुशंसा की गई।

साथ ही, राज्य सरकार से भी यह अपेक्षा की गई कि वह इस मामले की गहनता से जांच करवाकर, आदेश दिनांक 22.12.2014 के अनुक्रम में की गई कार्यवाही को निरस्त करवाने की कार्यवाही करे। यदि उक्त भूमि का आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कर दिया गया हो, तो भी जनहित में, उक्त आदेशों को निरस्त करने हेतु समुचित कार्यवाही की जावे।

अध्याय - 3

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर लोकसेवकों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण

अध्याय–3

इस सचिवालय द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर लोकसेवकों के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण

एफ.2(37)लोआस/2018

परिवादी सुश्री अमीषा जैन पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार जैन, निवासी 118/154, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा में 32 भूखण्डों के आवंटन में फर्जीवाड़ा किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेश चन्द्र जैन, सेवानिवृत कार्मिक को वरिष्ठ सहायक के पद से कनिष्ठ सहायक के पद पदावनत किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन मण्डी सचिव, मालपुरा की तीन वार्षिक वेतन वृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुरेश चन्द्र जैन, श्री राजेन्द्र जैन एवं श्री अशोक जैन के विरूद्ध धारा 457, 380 भा.दं.सं. के अपराध प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम श्री सुरेश जैन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया एवं श्री राजेन्द्र जैन की तलाश जारी है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप उपरान्त प्रकरण में दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की गई।

एफ.2(4)लोआस/2019

परिवादी श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामदयाल, निवासी पुरानी तहसील मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि कृषि निदेशालय के निदेशक श्री ताराचन्द मीणा द्वारा विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के साबित अपराधों को जांच के नाम पर लम्बित रखा गया एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा के विरूद्ध सीसीए नियम 16 की चार्जशीट होने के

बावजूद कार्मिक विभाग के निर्देशों के विपरीत उसे फील्ड पोस्टिंग दी गई व कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा, टोंक में द्वितीय चरण की शर्तो के आधार पर तीन भूखण्ड डीएलसी दर 15,307/–रू. के स्थान पर 9184/–रू. पर आवंटित किये गये।

इस सम्बन्ध में निदेशक, कृषि विपणन, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोक सेवक श्री ओमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन सचिव, मण्डी समिति, मालपुरा के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अधीन अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री शर्मा की तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं श्री सुरेश चन्द जैन, तत्कालीन आवंटन लिपिक, कृषि उपज मण्डी, मालपुरा को वरिष्ठ सहायक से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदावनत किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप उपरान्त प्रकरण में दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की गई।

एफ.3(50)लोआस/2018

परिवादी श्री राजकुमार सोनी पुत्र श्री विश्वनाथ सोनी, निवासी वार्ड नम्बर 20/22, कोर्ट परिसर के पास, चिड़ावा, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि पुलिस थाना, चिड़ावा में लोकसेवक रामस्वरूप सैनी के विरूद्ध धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 13(1)(डी) पी.सी.एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग संख्या 229/2015 में अनुसंधान अधिकारी श्री सौरभ तिवाड़ी, उप पुलिस अधीक्षक, चिड़ावा द्वारा अरोपी लोकसेवक से मिलीभगत एवं अपने पद का दुरूपयोग कर कार्यवाही नहीं का जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त श्री रामस्वरूप सैनी, तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक, नगर पालिका, चिड़ावा के विरूद्ध धारा 409 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 13(1)(डी) पी.सी. एक्ट के तहत चार्जशीट न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

इस प्रकार लोकसेवक के विरूद्ध कार्यवाही करा परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(110)लोआस / 2020

परिवादी श्री ललित कुमावत पुत्र श्री भवानी शंकर निवासी वार्ड नम्बर 16, शीतला गली छत्रपुरा, बूंदी का अभिकथन था कि पुलिस थाना, बूंदी में परिवादी की मामी बिरजू की लज्जा भंग व फावड़े से की गई मारपीट के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी की रिपोर्ट के अनुसार थानाधिकारी मुकेश मीणा एवं सहायक उप निरीक्षक अर्जुन सिंह के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और पुनरावेदन) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार उक्त दोनों लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(112)लोआस / 2020

परिवादी श्री पूनम चंद जैन पुत्र श्री धर्म चन्द जैन निवासी बटक भैरू पाड़ा, बूंदी का अभिकथन था कि हैड कान्स्टेबल कोमल व धन्नालाल द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर चालान बनाया गया है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी की रिपोर्ट के अनुसार हैड कान्स्टेबल श्री कोमल व श्री धन्नालाल के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर चेतावनी दी गई।

इस प्रकार उक्त दोनो लोकसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(275)लोआस / 2021

परिवादी श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 3, राजाखेड़ा, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि उन्हें रामसहाय कान्स्टेबल द्वारा धमकियां दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कान्स्टेबल श्री रामसहाय, 358 के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही की गई एवं उसे परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(303)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भेरू पाड़ा, जिला बून्दी का अभिकथन था कि श्री प्रहलाद हैड कान्स्टेबल संख्या 163 द्वारा गलत रूप से चालान किया गया व सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवायी गयी है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रहलाद, मुख्य आरक्षक संख्या 163, पुलिस लाईन, बून्दी के विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(399)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि श्री युवराज सिंह, एच.सी. संख्या 617 द्वारा गलत रूप से चालान किया गया एवं सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवायी गयी।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(400)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि श्री जोधराज सिंह, एच.सी. नम्बर 332 द्वारा गलत रूप से चालान किया गया एवं सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवायी गयी।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(403)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि श्री सत्यनारायण पाराशर, ए.एस.आई. द्वारा विधि द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन कर कार्य के प्रति लापरवाही की जा रही है एवं राजकोष को हानि पहुंचाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री सत्यनारायण पाराशर, ए.एस.आई. को सीसीए नियम 17 के अधीन आरोप प्रमाणित मानते हुए परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(412)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि श्री बृजराज सिंह, ए.एस.आई., पुलिस थाना, सदर, बूंदी द्वारा गलत रूप से चालान किया गया एवं सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवायी गयी।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(413)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनम चंद जैन पुत्र श्री धर्म चन्द जैन निवासी बटक भैरू पाड़ा, बूंदी का अभिकथन था कि श्री शिवराज एच.सी. संख्या 793 द्वारा गलत रूप से चालान किया गया व सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवायी गयी है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री शिवराज एच.सी. संख्या 793 के विरूद्ध सीसीए नियम 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया।

इस प्रकार दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(451)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बून्दी का अभिकथन था कि श्री इन्द्र सिंह, हैड कान्स्टेबल नम्बर 314 द्वारा गलत रूप से चालान किया गया व सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवायी गयी है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी को सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया एवं कार्मिक को चेतावनी दी गयी।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(480)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी आर.टी.आई. कार्यकर्ता, बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि श्री राजनीश कुमार, एएसआई, यातायात शाखा, बूंदी द्वारा श्री लोकेश पुत्र श्री प्रहलाद द्वारा सिलोर रोड़, बूंदी पर लालबत्ती का उल्लंघन करने पर चालान किया गया। जबकि सिलोर रोड़, बूंदी पर कोई लालबत्ती नहीं है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी श्री राजनीश कुमार, सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(490)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बून्दी का अभिकथन था कि श्री शखावत अली एच.सी. संख्या 308 द्वारा चालान संख्या

1983393 व 1983397 को कम्पाउण्ड किया गया जबकि एक्ट के तहत वह कम्पाउण्ड करने के लिये अधिकृत नहीं है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी को सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर कार्मिक का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(495)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि श्री प्रहलाद, मुख्य आरक्षक नम्बर 163 द्वारा जबरन अवैध वसूली एवं कार्य के प्रति लापरवाही की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री प्रहलाद, मुख्य आरक्षक नम्बर 163 के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अधीन आरोप पत्र जारी किया जाकर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं कर विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राजकार्य करने हेतु चेतावनी दी गई।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(35)लोआस / 2014

परिवादी श्री रतन नाथ कालबेलिया पुत्र श्री सरदार नाथ कालबेलिया, निवासी गांव बरावलों का खेड़ा, पोस्ट गोरख्या, वाया करेड़ा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि श्री रोशनलाल, प्रबोधक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालरा, ग्राम पंचायत गोरख्या

वाया करेड़ा, जिला भीलवाड़ा की पत्नी द्वारा जिला प्रमुख के नाम का दुरूपयोग कर मिड–डे मिल, शौचालय निर्माण, भर्ती व नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रोशनलाल के माता–पिता की वृद्धावस्था पेंशन गलत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में पदेन सचिव श्री राजेन्द्र बैरवा के विरूद्ध सीसीए नियम–17 के तहत कार्यवाही की गई एवं पेंशन बन्द कर वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, टोंक के निर्णय अनुसार राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत बाकीदार श्री अमरदीप से घटिया शौचालय निर्माण की एवज में 1,23,756/– रूपये की वसूली का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप से गलत पेंशन जारी करने वालों से वसूली की गई और पदेन सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा घटिया शौचालय निर्माणकर्ता के विरुद्ध राशि वसूली का प्रमाण पत्र जारी किया जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(143)लोआस/2017

परिवादी श्री कैलाशराम पुत्र श्री झुमरराम, निवासी ग्राम धारणवास, ग्राम पंचायत लालावास, पंचायत समिति खींवसर, जिला नागौर का अभिकथन था कि श्री नाथूराम प्रजापत, प्रधानाचार्य (पीईईओ), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लालावास, जिला नागौर द्वारा पंचायत सहायक भर्ती में धांधली कर अपने भाई के लड़के का चयन किया गया।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री नाथूराम प्रजापत, प्रधानाचार्य के विरूद्ध विभागीय स्तर पर सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर श्री नाथूराम को 3 वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(24)लोआस/2018

परिवादी श्री बनवारी लाल पारीक पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी मु.पो. आमेसर, तहसील आसींद, भीलवाड़ा का अभिकथन था कि जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा व कनिष्ठ लिपिक श्री राहुल माथुर द्वारा अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्धेश्य से नियम विरूद्ध कार्यवाही कर उसकी राशन डीलरशिप निरस्त कर दी।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कनिष्ठ लिपिक श्री राहुल माथुर को दोषी पाते हुए उनके विरूद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

इस प्रकार दोषी लोक सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करवाकर परिवादी को राहत प्रदान की गई।

एफ.11(37)लोआस/2019

परिवादी श्री शिवचरण बलाई पुत्र श्री कन्हैया लाल बलाई, निवासी शयोला बाबा की ढ़ाणी, गुढा सुरजन, जयपुर का अभिकथन था कि पटवारी हल्का मांग्यावास एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा बिना विधिक सुनवाई किए नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 29.03.2019 को पहले स्वीकृत कर बाद में खारिज कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार श्री मुकेश कुमार मीणा, भू–अभिलेख निरीक्षक, श्री घनश्याम सिंह देवल एवं पटवारी राजेश मीणा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दण्डित किया गया।

इस प्रकार दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाकर दण्डित कर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया। नामान्तकरण की अपील

संख्या 58/2019 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम, जयपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।

एफ.12(106)लोआस/2017

परिवादी श्री पाबूदान सैनी पुत्र श्री रामस्वरूप सैनी, निवासी वार्ड नम्बर 3, इस्लामपुर, तहसील झुंझुनू, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि विकास अधिकारी, झुंझुनू और ग्राम पंचायत, इस्लामपुर के सचिव द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अपने चहेते व्यक्ति, जो कि सरकारी कर्मचारी है, उन्हें ग्राम पंचायत, इस्लामपुर में शौचालय निर्माण हेतु राशि का भुगतान कर राजकोष को हानि कारित की है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच श्रीमती राशिदा, वर्तमान सरपंच श्री आशाराम को आरोप पत्र जारी किये जा चुके है तथा कनिष्ठ अभियंता श्री राजकुमार सोनी सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस दिया जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम सेवक जीवराज सिंह सेवानिवृत्त को चुका है तथा ब्लॉक समन्वयक श्री गोवर्धन सिंह ने संविदा पर कार्यरत था, जिसने पद त्याग दिया है तथा सम्पूर्ण राशि की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करवाई जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(352)लोआस/2018

परिवादी श्री गिरधारी राम जाट पुत्र श्री कानाराम जाट, निवासी ग्राम लक्खीराम, पोस्ट बांसा, तहसील डीडवाना, जिला नागौर का अभिकथन था कि जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, डीडवाना के कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास रणवा की मिलीभगत से ठेकेदार द्वारा किये गये टांका निर्माण में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सामग्री के स्थान पर घटिया सामग्री उपयोग की गई तथा सीमेन्ट, बजरी व लोहे का सही अनुपात में मिश्रण नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के खेत में कराये गये टांका निर्माण कार्य का मौका निरीक्षण एवं जांच उपरान्त कमियां पाये जाने पर संवेदक मैसर्स प्रकाश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के मार्फत् कमियों को ठीक करवाया गया। साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर कनिष्ठ अभियंता श्री रामनिवास रणवा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अधीन कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर एवं प्रश्नगत निर्माण में रही कमियों को दुरूस्त करवाया जाकर, परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(27)लोआस / 2019

परिवादी श्री रामगोपाल जाट पुत्र श्री रामलाल जाट, निवासी जालिया द्वितीय, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत जालिया द्वितीय, पंचायत समिति मसूदा में नियम विरूद्ध किये गये निविदा कार्यों में हुये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं का जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी सरपंच को 5 वर्ष तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित किया जा चुका है एवं दोषी लोकसेवक ग्राम विकास अधिकारी श्री नारायणलाल शर्मा के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार दोषी लोक सेवकगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(30)लोआस / 2021

परिवादी श्री सीताराम शर्मा पुत्र श्री बन्शीधर शर्मा, निवासी गोविन्दपुरा धाबाई, पंचायत समिति विराटनगर, जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम विकास अधिकारी श्री रामेश्वर प्रसाद जाट द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना में भ्रष्टाचार कर एक ही परिवार के एक से अधिक जोब कार्ड बनाकर राजकीय कोष का दुरूपयोग किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री रामेश्वर प्रसाद जाट, ग्राम विकास अधिकारी व श्री विरेन्द्र कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत गोविन्दपुरा धाबाई, पंचायत समिति विराटनगर से कुल राशि 78,538/– कार्यालय पंचायत समिति विराटनगर में जमा करवा दिये गये है एवं दोनो लोकसेवकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर आरोप पत्र जारी किये जा चुके है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(49)लोआस / 2018

परिवादी श्री छोटूलाल जाट पुत्र श्री रामकिशन जाट, निवासी रामपुरा, पोस्ट सनगारी, तहसील फुलिया कला, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बी.पी.एल. आवास योजना वर्ष 2013–14 में आवास स्वीकृत हुआ था तथा प्रथम किश्त की राशि मेरे बैंक खाते में हस्तान्तरित की जा चुकी थी। मेरे द्वारा बैंक में जाकर पासबुक में इन्द्राज करवाने पर पता चला कि कोई राशि बैंक खाते में प्राप्त नहीं हुई है। ग्राम सेवक से सम्पर्क करने पर सुविधा शुल्क की मांग की गई। मेरे द्वारा राशि नहीं देने पर कहा कि जब तक सुविधा शुल्क नहीं होगे तब तक कोई किश्त नहीं मिलेगी जिसकी शिकायत विकास अधिकारी को की तो वहाँ से मुझे डाटकर भगा दिया गया। इसके बावजूद विकास अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया कि आवास की

प्राप्त राशि मय ब्याज के वसूल की जावेगी। जब उक्त आवास की किश्त प्राप्त ही नहीं हुई तो मैं कार्य कैसे चालू कर सकता हूँ।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सनगारी के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री इसबूदीन डायर ने परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भुगतान प्राप्त कर उसे पंचायत समिति शाहपुरा में जमा नहीं करवाया है, इसलिये उसके विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई। आवास योजना की प्रथम किश्त आरोपी लोकसेवक द्वारा राजकोष में जमा करा दी गई है। आरोपी लोकसेवक को भविष्य में सतर्कता से कार्य करने की हिदायत के साथ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर एवं नियमानुसार राशि वसूली कर, परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(147)लोआस / 2017

परिवादी श्री बुन्दू खान लोहार पुत्र श्री गुलाब लोहार, निवासी पोस्ट गुहाला, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत गुहाला, तहसील नीमकाथाना के सचिव द्वारा श्री छगनलाल पुत्र श्री मातादीन महाजन को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है।

इस सम्बन्ध में विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त आदेश अनुसार लोकसेवक श्री मांगीलाल सैनी, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, नीमकाथाना को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया एवं प्रश्नगत पट्टे को निरस्त करवा दिया गया है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(248)लोआस / 2016

परिवादी श्री भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री भानसिंह, निवासी गांव व पोस्ट सौंख, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सौंख में पानी की टंकी का निर्माण करवाये बिना श्री उदयचन्द, सरपंच एवं श्री गोपाल, सचिव द्वारा फर्जी बिलों के द्वारा भुगतान उठाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री रविन्द्र कुमार, सचिव, ग्राम पंचायत सौंख के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड एवं श्री गोपाल सिंह, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत सौंख के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड एवं श्री राजेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता, पंचायत समिति, कठूमर को विभागीय कार्यवाही में दोषी पाते हुये तीन वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया जा चुका है एवं दोषी जनप्रतिनिधियों सरपंच, ग्राम पंचायत सौंख श्री उदयचन्द शर्मा एवं अन्य द्वारा कार्य संपादित किये जाने के सम्बन्ध में उठायी गई भुगतान राशि को अनियमित भुगतान पाते हुये उनसे वसूल किये जा चुके है।

इस सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री उदयचन्द शर्मा को सरपंच पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने के आदेश किये गये है।

इस प्रकार उक्त दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर एवं अनियमित भुगतान की वसूली करा, परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(260)लोआस / 2020

परिवादी श्री बाबूलाल माली, संचालक मण्डल सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत जसनगर, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि प्रकरण में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, किन्तु कमेटी द्वारा जांच करने पर दोषी पाये गये किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री महावीर प्रसाद शर्मा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत जसनगर, पंचायत समिति रियाबड़ी, नागौर एवं श्रीमती रिंकू कुमारी, कनिष्ठ लिपिक, ग्राम पंचायत जसनगर, पंचायत समिति रियाबड़ी, नागौर के विरूद्ध **सीसीए नियम 16** के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। श्री घासीलाल मीणा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पंचायत समिति रियाबड़ी, नागौर एवं श्री नरेश कुमार बोहरा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पंचायत समिति रियाबड़ी एवं श्री किशनसिंह राठौड़, तत्कालीन विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति रियाबड़ी, नागौर को **सीसीए नियम 17** के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। श्रीमती सन्तो देवी, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत जसनगर पंचायत समिति रियाबड़ी, नागौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री श्यामल कुमार मण्डल, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति रियाबड़ी, नागौर की संविदा सेवायें महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुबंध की शर्त संख्या 6(1) के तहत दुराचरण की श्रेणी में मानते हुए समाप्त की गई। ग्राम सेवा सहकारी समिति जसनगर के व्यवस्थापक के विरूद्ध सेवा नियमों व सीसीए नियमों के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र जारी किया गया।

इस प्रकार प्रकरण के सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(438)लोआस/2016

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मण राम, निवासी मुकाम पोस्ट दूधवालों की बास, तहसील खण्डेला, जिला सीकर का अभिकथन था कि तत्कालीन ग्राम सेवक श्री गोपाल सिंह व सरपंच श्री मुरारीलाल द्वारा पद का दुरूपयोग कर सरकारी राशि से निजी खातेदारी भूमि में टंकी का निर्माण करवाया गया।

इस सम्बन्ध में शासन उप सचिव–द्वितीय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री गोपाल सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दूधवालों का बास, पंचायत समिति खण्डेला हाल सहायक विकास अधिकारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही की जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गयी एवं सरपंच श्री मुरारीलाल को 05 वर्ष की कालावधि तक चुने जाने का पात्र नहीं होने का आदेश पारित किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक/जनप्रतिनिधि के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(448)लोआस/2017

परिवादी श्री मुरारीलाल जाट पुत्र श्री रामलाल जाट, निवासी मंगरा पोस्ट करड़, तहसील दांतारामगढ़, सीकर का अभिकथन था कि ग्राम सेवकगण श्रीमती नरेन्द्र व रिद्धकरण रैगर तथा सरपंच श्रीमती मन्नी देवी द्वारा वर्ष 2015–17 तक विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं की गई।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोप प्रमाणित पाये जाने पर श्री रिद्धकरण रैगर एवं श्रीमती नरेन्द्र कुमावत के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत एक–एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(558)लोआस/2016

परिवादी श्री मुकेश नागर, निवासी धाकड़ भवन, ग्राम सिसोला, तहसील नैनवा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सीसोला में स्थान चार घर हाली मार्डन तालाब कार्यस्थल पर फर्जी कार्य दिखाकर 64 फर्जी श्रमिकों की फर्जी मस्टरोल भरकर किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्द्रशेखर, अधिशाषी अभियंता ईजीएस, श्री मोहनलाल मीणा, सहायक अभियंता, श्री सत्यनारायण गौतम, ग्राम सेवक एवं श्री प्रभूलाल मीणा, तकनीकी सहायक के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर भविष्य में कार्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी जा चुकी है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(610)लोआस/2016

परिवादी श्री जयकरण मेघवाल पत्रु श्री नानगराम मेघवाल, निवासी हमीदवास, पोस्ट अगवाना खुर्द, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत अगवानाखुर्द की सरपंच एवं सचिव श्रीमती कविता द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से आंगनबाड़ी केन्द्र, हमीरवास हेतु पट्टे जारी किए गए हैं।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अवैद्य जारी पट्टा निरस्त कर

दिया गया है और दोषी सचिव श्रीमती कविता के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही कर 'चेतावनी' दी गई।

इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा निरस्त करवा एवं दोषी सचिव को दण्डित करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(666)लोआस/2014

परिवादी श्री सत्यनारायण गर्ग पुत्र स्व0 श्री रामगोपाल, निवासी 1/13, पटटी कटला गणेश चौक, जिला अजमेर का अभिकथन था कि श्री चन्द्रशेखर राठौड़ व श्रीमती सुधा राठौड़ द्वारा चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, अजमेर में अजमेर नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध होटल व दुकानें बनाई गई तथा उस प्रकरण में भारी लेन देन हुआ है।

इस सम्बन्ध में सहायक निदेशक (सतर्कता), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री ओमप्रकाश साहू, कनिष्ठ अभियंता (हाल अधिशाषी अभियंता, नगर निगम, अजमेर) के विरूद्ध इस सचिवालय की अनुशंषा के आधार पर सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई एवं श्री साहू को तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(64)लोआस/2021

परिवादी श्री शीशराम पुत्र श्री गोपालराम, निवासी गांव कुमावास वाया डूमरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2021 पुलिस थाना नवलगढ़ में एएसआई श्री प्रहलाद एवं अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपी श्री अनिल कुमार पुत्र श्री रामकरण का नाम पृथक कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपी लोकसेवक श्री प्रहलाद सिंह के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(57)लोआस / 2020

परिवादी श्री जयकुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण राम शर्मा, निवासी चंगोई तहसील तारानगर, चुरू का अभिकथन था कि सरपंच व ग्राम सेवक लिपिक ने मिलकर वर्ष 2019 में उनके खेत में फर्जी खरंजा निर्माण दिखाकर, उनके पिताजी श्री लक्ष्मण राम शर्मा की मृत्यु वर्ष 2011 में होने के उपरान्त भी वर्ष 2019–20 में उनकी झूठी उपस्थिति दिखाकर अनियमित भुगतान प्राप्त कर लिया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चुरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती माया यादव, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत मिखाला, पंचायत समिति तारानगर, जिला चुरू को दोषी पाये जाने पर इनके विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर आरोप पत्र जारी कर दिये गये है।

इस प्रकार दोषी कर्मी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(81)लोआस / 2017

परिवादी श्री महावीर जैन पुत्र स्व0 श्री हीरालाल जैन, निवासी 109, रूपनगर द्वितीय, साई मंदिर के पीछे, पाल रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि नगर परिषद, बाड़मेर के नाम दर्ज भूमि का फर्जी तरीके से कब्जा काश्त प्रमाण पत्र जारी

कर तथा नगर परिषद द्वारा उक्त भूमि का तेजाराम के वारिसान के नाम फर्जी पट्टा जारी किया गया।

इस सम्बन्ध में सचिवालय द्वारा की गयी निरन्तर कार्यवाही के फलस्वरूप दोषी कार्मिकों श्री पुरखाराम, कनिष्ठ अभियंता, श्री योगेश आचार्य व श्री बिशन चन्द, वरिष्ठ लिपिकगण व श्री मनोज कुमार, कनिष्ठ लिपिक, श्री विनय बोडा व श्री सुरेश चंद, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता को नगर परिषद, बाड़मेर द्वारा निलम्बित किया जाकर उनके विरूद्ध सीसीए नियम–16 के अन्तर्गत आरोप पत्र व ज्ञापन जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवकगण के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(335)लोआस / 2018

परिवादी श्री खेमसिंह राजपूत पुत्र श्री गणपतसिंह राजपूत, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि श्री मेघाराम पूर्व पटवारी, पटवार मण्डल धाधियां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर द्वारा फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री मेघाराम पूर्व पटवारी, पटवार मण्डल धाधियां, तहसील लूणी, जिला जोधपुर द्वारा फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.41(3)लोआस / 2021

परिवादी श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री चन्दजीराम, निवासी कोर्ट परिसर बहरोड़, जिला अलवर का अभिकथन था कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, पिलानी में कार्यरत आयुर्वेद चिकित्सक डॉ0 श्री पंकज द्वारा राजकीय सेवा में रहकर प्राईवेट कम्पनी में कार्य किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डॉ0 श्री पंकज, आयुर्वेद चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय, पिलानी के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(95)लोआस / 2019

परिवादी श्री रामनिवास पुर्विया पुत्र श्री नाथू पुर्विया, निवासी ग्राम दतोब, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम दतोब, तहसील टोडारायसिंह, टोंक के सार्वजनिक छोटा तालाब, जो ग्राम पंचायत के अधीन है, उसकी गैर मुमकिन पाल पर श्री शंकर पुत्र नारायण ने अवैध रूप से शौचालय का निर्माण कर लिया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण की जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति, टोडारायसिंह से करवाई गई, जिसमें तत्कालीन विकास अधिकारी श्री प्रहलाद बैरवा एवं कनिष्ठ सहायक को दोषी पाये जाने पर राशि वसूली की गई, जो ग्राम पंचायत में जमा करवा दी गई एवं राजकार्य में लापरवाही बरतने तथा राजकार्य का निष्पादन नहीं करने के कारण दोषी लोकसेवक की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्डादेश पारित किया गया है।

इस प्रकार उक्त दोषी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर एवं अनियमित भुगतान की राशि की वसूली करा, परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.2(29)लोआस / 2017

परिवादी श्री चम्पालाल जैन पुत्र श्री छीतर मल जैन, निवासी गांधी पार्क के पास, मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि कृषि उपज मण्डी समिति मालपुरा में अवैध/फर्जी आवंटन कर करोड़ो रूपये के राजस्व नुकसान करने वाले भ्रष्ट अधिकारी के कृत्यों की जांच करवाई जाकर दण्डित नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोक सेवक श्री ओमप्रकाश शर्मा (सहायक निदेशक), तत्कालीन सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर दोषी लोकसेवक को तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(429)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचन्द जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बून्दी का अभिकथन था कि श्री प्रहलाद सिंह, हैड कान्स्टेबल द्वारा गलत रूप से चालान किया गया व सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवाई गई।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी श्री प्रहलाद सिंह, हैड कान्स्टेबल संख्या 163 को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु चेतावनी दी गई।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(560)लोआस / 2018

परिवादी श्री ताज मोहम्मद पुत्र श्री रफीक मोहम्मद, निवासी 605, 6वॉ तल, लुहाड़िया टावर, अशोक मार्ग, सी—स्कीम, जिला जयपुर का अभिकथन था कि एफ.आई. आर. नम्बर 375/18 व 377/78 पुलिस थाना, विधायकपुरी में थानाधिकारी श्री मनीष चारण द्वारा निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर कारागृह भिजवाया गया।

इस संबंध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवकगण श्री मनीष चारण एवं श्री दिनेश चन्द को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत ज्ञापन दिया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर दोषी मानते हुये दण्ड दिया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(36)लोआस / 2019

परिवादी श्री जल सिंह पुत्र श्री हरचन्द, निवासी टपूकड़ा पुलिस थाने के सामने, तहसील तिजारा, जिला अलवर का अभिकथन था कि श्री पवन कुमार, सहायक कार्यालय अधीक्षक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जयपुर की तीन संतान होने के बावजूद भी दो संतान होने का झूठा शपथ पत्र पेश कर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के तिवरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर द्वारा श्री पवन कुमार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजगढ़, अलवर के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनको एतद्द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(49)लोआस / 2010

परिवादी श्री घीसू लाल भारती, पत्रकार एवं पूर्व सरपंच, ग्राम भवानीखेड़ा, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत, भवानीखेड़ा श्री रामनारायण जादम द्वारा भवानीखेड़ा स्थित आबादी भूमि खसरा नम्बर 1214, 929 एवं 2663 पर से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के संबंध में दोषी लोकसेवक श्री रामनारायण जादम, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही की जाकर एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(403)लोआस / 2015

परिवादी श्री गणेश लाल खैर पुत्र श्री देवा खैर, निवासी बागदरा छाली, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत ढ़ीगाल के सरपंच व सचिव द्वारा उनकी फर्म के वर्ष 2013–14 व 2014–15 के सामग्री प्रदाय के बिलों का भुगतान नहीं किया गया तथा भुगतान के बदले रिश्वत मांगी गयी।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री विवेक कुमार शर्मा, तत्कालीन तकनीकी सहायक, महानरेगा से राशि वसूल की जाकर राजकोष में जमा करवाये जा चुके है। श्री सवालाल, रोजगार सहायक के विरूद्ध जांच कार्यवाही कर पंचायत समिति, गोगुन्दा द्वारा उसका अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया है। श्री नारायण सिंह सक्सेना के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत विभागीय कार्यवाही की जाकर राशि वसूली पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 16353 / 2017 में स्थगन आदेश पारित किया गया। श्रीमती सज्जर कंवर पत्नी स्व0 श्री

राजेन्द्र सिंह के द्वारा दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 7360/2019 में भी उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(525)लोआस/2017

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम चौधरी, निवासी प्लाट नम्बर 39, खसरा संख्या 124, लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत समिति ओसियां में नये राशन कार्ड जारी करते समय उपभोक्ताओं से शिक्षा कर के रूप में नियत राशि से अधिक राशि वसूल की गई तथा इसे विकास अधिकारी ओसियां व संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा मिलीभगत कर अपराधिक षड्यन्त्र रचकर शिक्षा कर के रूप में उपभोक्ता से वसूल की गई राशि को राजकोष में जमा नहीं करवाया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी कार्मिकों को सीसीए 17 में आरोप पत्र दिये जाने पर श्री ओमप्रकाश, कनिष्ठ सहायक तथा श्री गिरधारीराम, ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वसूली योग्य राशि राजकोष में जमा करवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(645)लोआस/2017

परिवादी श्री मनोज कुमार खाती पुत्र श्री कन्हैयालाल खाती, निवासी वार्ड नम्बर 27, गुर्जर मोहल्ला, सुकेत, तहसील रामगंजमण्ड, जिला कोटा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सुकेत द्वारा दशहरा मैदान में शमशान घाट पर चल रहे इन्टरलोकिंग कार्य में बिना वर्क आर्डर व बिना सिक्योरिटी राशि जमा करवाये ठेकेदार से कार्य करवाने एवं कार्य में प्रधान श्री भगवान सिंह की फेक्ट्री से इन्टरलोकिंग ब्लॉक लेकर

उपयोग में लिये जाने व उक्त ब्लॉकों के अन्य निर्माण कार्य में लगाने पर जे0टी0ए0 द्वारा घटिया बताये जाने पर भी इनका उपयोग किया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री बृजेश मेहरा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, श्री सुरेश कपूर, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी तथा श्री सलीम मोहम्मद, ग्राम विकास अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर पांच वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(469)लोआस/2018

परिवादी श्री वीरेन्द्र सिंह पुरावत पुत्र श्री रूपनाथ पुरावत, निवासी महावीर मार्ग, मन्दसोर, मध्य प्रदेश का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत जाजली, तहसील अरनोद, जिला प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विधवा पेंशन, विकलांग तथा वृद्धा पेंशन एवं गरीबी रेखा को दी जाने वाली पेंशन में भारी भ्रष्टाचार करने वाले लोकसेवकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी लोकसेवक श्री विजय सिंह चौहान, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, अरनोद के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(486)लोआस/2019

परिवादी श्री प्रभु लाल गुर्जर पुत्र श्री नन्दा गुर्जर, निवासी फान्दु की झुपड़िया, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि उनके क्षेत्र में सचिव व

सरपंच ने मिलीभगत कर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ एवं बिलानाम भूमि के फर्जी पट्टे जारी कर दिये है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये जाने में तत्कालीन विकास अधिकारी श्री भारत सिंह देवड़ा के विरूद्ध सीसीए नियम–17 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में दोषी पाये जाने पर उन्हें 03 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

अध्याय – 4

अनुतोष के प्रकरण

अध्याय–4

इस अध्याय में उन प्रकरणों का विवरण दिया जा रहा है जिनमें इस सचिवालय में प्राप्त परिवादों में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप–लोकायुक्त अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर परिवादी की शिकायत का नियमानुसार निराकरण करवाते हुए उसे अनुतोष प्रदान करवाया गया है।

अनुतोष के प्रकरण

कालावधि दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022

माह जनवरी 2022

एफ.3(154)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती रोशनी देवी बावरिया पत्नी श्री नरेश कुमार, निवासी धाना तन पचेरल कलां, झुंझुनू का अभिकथन था कि पुलिस थाना पचेरी कला में बलात्कार के आरोप में दर्ज मुकदमा संख्या 82/2019 में पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जांच उपरान्त अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी गई।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(37)लोआस / 2020

परिवादी श्री बंसा सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह, निवासी बुध सिंह वाला, तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि लाईनमेन को रिश्वत नहीं देने के कारण उनका विद्युत कनेक्शन रोक दिया गया।

इस सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत विद्युत खाता परिवादी की माता के नाम से था और 11861/– रूपये बकाया होने के कारण विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया था। परिवादी द्वारा बकाया राशि जमा करवा देने पर विद्युत सम्बन्ध पुनः स्थापित कर दिया गया।

इस प्रकार विद्युत आपूर्ति पुनःस्थापित करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(72)लोआस/2020

परिवादी श्री रोडू पुत्र श्री मांगी जाति माली निवासी ग्राम नाड़ी, तहसील सावर, जिला अजमेर का कथन था कि उक्त ग्राम में स्थित खसरा नम्बर 7100/1031 का वर्ष 2013 में राजस्व कैम्प मे हुए गलत आवंटन को निरस्त करवाया जाकर सिवायचक भूमि दर्ज करवाई जावे।

इस सम्बन्ध में सचिवालय के प्रयासों से गलत आवंटन को निरस्त करवाने के सम्बन्ध में न्यायालय अपर कलेक्टर, अजमेर में प्रकरण संख्या 11/21 सरकार बनाम प्रहलाद दर्ज करवाया जा चुका है। चूंकि गलत आवंटन को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निरस्त करवाया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(472)लोआस/2018

परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद माली पुत्र श्री गोपाल, निवासी माली मौहल्ला, मस्जिद वाला रास्ता, श्रीमहावीरजी, तहसील हिण्डौन सिटी, करौली का अभिकथन था कि तहसीलदार हिण्डौन सिटी द्वारा उसकी रजिस्ट्रीशुदा भूमि का नामान्तरण दर्ज नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पक्ष में पंजीकृत हस्तान्तरण पत्र के अनुसार नामान्तरकरण निर्णित किया जाकर अमद–दरामद किया जा चुका है।

इस प्रकार प्रश्नगत भूमि का परिवादी के पक्ष नामान्तरकरणा करवाकर पूर्ण अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(637)लोआस/2018

परिवादी श्री कुलदीप शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा, निवासी ग्राम पंचायत नांगल खोड़िया, बहरोड़, अलवर का अभिकथन था कि उसे संविदा पर एस.डी.ओ. बहरोड़ में एल.ए.ओ. पर पर किये गये कार्य का वेतन नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को देय बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को उसकी बकाया राशि का भुगतान दिलवाकर राहत प्रदान की गई।

एफ.17(76)लोआस/2018

परिवादी श्री रामबाबू विजय पुत्र श्री जगदीश प्रसाद विजय निवासी 130, मंगल विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर का अभिकथन था कि भूखण्ड संख्या 31, मंगल विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर में अवैध रूप से किराये के प्लॉट पर लिटिल मिलेनियम प्री–स्कूल संचालित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 31, मंगल विहार, गोपालपुर बाईपास, जयपुर में अवैध रूप से किराये के प्लॉट पर संचालित लिटिल मिलेनियम प्री–स्कूल को बंद करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(191)लोआस / 2018

परिवादी श्री पूरण जायसवाल पुत्र श्री बिरजू सिंह निवासी मन्नाका रोड, लालकोठी के पास, अलवर का अभिकथन था कि मन्नाका रोड, लालकोठी के पास, अलवर में उनके घर के सामने नियम विरूद्ध सीवर लाईन डाली गई है तथा फ्लश के पास चैम्बर न बनाकर 60 फुट दूर चेम्बर बनाया गया एवं उसका कनेक्शन फ्लश से न कर ओवरफ्लो से किया गया है।

इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अमृत योजना में स्वीकृत सीवरेज कार्य के अन्तर्गत परिवादी का प्रोपर्टी कनेक्शन एवं हाउस सीवर चैम्बर से संबंधित कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कराये गये कार्य से परिवादी पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.33(5)लोआस / 2018

परिवादी श्री रघुवीर दयाल मीणा पुत्र श्री धनस्यारमा मीणा निवासी ग्राम पोस्ट झलाताला तहसील लक्षमणगढ, अलवर का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 6, 7, 11, 12, 13 व 19 ग्राम नारनौल कला, तह. लक्ष्मणगढ की पैमाईश भू–प्रबंध अधकारी से करवाने के आवेदन पत्र दिये जाने के उपरान्त भी पैमाईश नहीं की जा रही है।

इस सचिवालय के हस्तक्षेप उपरान्त जयपुर भू–प्रबंध विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सीमाज्ञान करवाकर, भू–प्रबंध अधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(90)लोआस / 2018

परिवादी श्री मीठू सिंह रावत निवासी ग्राम भडुको, पोस्ट टॉडगढ, अजमेर का अभिकथन था कि उसे एल.ए.ओ. बहरोड में भूमि अवाप्ति शाखा से सेवानिवृत्ति उपरान्त पेंशन परिलाभ नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कोषाधिकारी, ब्यावर की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री मीठू सिंह को पेंशन एरियर का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(131)लोआस / 2020

परिवादी श्री मधुसूदन पंवार पुत्र श्री सहदेव पंवार, निवासी नायो का बढ़, वीर मौहल्ला, जोधपुर का अभिकथन था कि कृषि विभाग, जोधपुर से वरिष्ठ सहायक के पद से सेवानिवृत्ति पर उसे गलत पीपीओ जारी किया गया है। इसे सही करवाकर उन्हें आर्थिक नुकसान की पूर्ति करवायी जाये और रिवाईज पेंशन दिलाई जावे।

इस सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही कर रिवाईज पीपीओ जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण कर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(20)लोआस / 2019

परिवादी श्री चंद्राराम पुत्र श्री घीसाराम, निवासी ग्राम फलका, तहसील जैतारण, पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का बकाया भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जीपीएफ राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जीपीएफ राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

माह फरवरी 2022

एफ.3(78)लोआस/2020

परिवादी श्री रमेश पुत्र श्री उंकार जटिया, निवासी जलिया, पिपलिया, थाना मोतवाली निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़ का अभिकथन था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 321/2020 में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ़, से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान उपरान्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर, विभिन्न धाराओं में चालान सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(98)लोआस/2019

परिवादी श्री मनकेश मीणा पुत्र श्री नथुआ राम मीणा, निवासी 101, कैलाशपुरी, रंगपुर रोड़, कोटा का अभिकथन था कि उसके द्वारा दर्ज मुकदमा संख्या 44/2019 में अभियुक्तगण द्वारा राजीनामा करने की धमकी व दबाव डालने पर पुलिस अधीक्षक, करौली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा दर्ज रिपोर्ट संख्या 44/19 व परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 43/19 में बाद अनुसंधान, आरोप पत्र सम्बन्धित न्यायालय में पेश

किया जा चुका है एवं भविष्य में किसी प्रकार की शांति भंग ना हो, इसलिए गांव के पंच–पटेलों को भी एसडीएम कोर्ट से पाबन्द कराया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(20)लोआस/2019

परिवादी श्री सुभाष गुप्ता पुत्र श्री आत्माराम, निवासी 128, कैलाशपुरी, बीकानेर का अभिकथन था कि उनकी पत्नी स्व0 श्रीमती रतन गुप्ता, अध्यापिका की 9 व 18 वर्ष की एसीपी व सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन स्थिरीकरण नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की पत्नी स्व0 श्रीमती रतन गुप्ता, अध्यापिका के बकाया चयनित वेतनमान का लाभ दिया जाकर, सातवें वेतन आयोग में वेतन स्थिरीकरण किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(2)लोआस/2014

परिवादी श्री सुखाड़िया लाल मीना पुत्र श्री बृजलाल मीना निवासी ग्राम दानालपुर, तहसील हिण्डौन सिटी, करौली का अभिकथन था कि उनके गांव में सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(240)लोआस/2017

परिवादी श्री लक्ष्मण गुर्जर पुत्र श्री नंदा गुर्जर निवासी ग्राम गोठड़ा, तहसील कोटड़ी, भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम गोठड़ा में करीब 100 बीघा चारागाह भूमि पर कुछ लोगो द्वारा किये गये अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत चारागाह भूमि पर विद्यमान अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 11(285)लोआस/2017

परिवादी श्री भीमसिंह जाट पुत्र श्री हरलाल जाट निवासी कोटकासिम, अलवर का अभिकथन था कि खसरा संख्या 2162/1 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा सिवायचक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवा दिया गया है । मौके पर कोई अतिक्रमण शेष नहीं है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(421)लोआस/2018

परिवादी श्री राजमल कुम्हार पुत्र श्री रघुनाथ कुम्हार निवासी कैथूदा, तहसील तालेड़ा, बून्दी का अभिकथन था कि तहसीलदार द्वारा उसकी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान, तरमीम व डिक्री आदेश की पालना नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सक्षम अदालत की डिक्री की अनुपालना करवा दी गई है।

इस प्रकार डिक्री आदेश की पालना करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(433)लोआस/2019

परिवादी श्री रामनारायण मीणा पुत्र श्री कन्हैयालाल मीणा निवासी ग्राम प्यारीवास पोस्ट मानपुरिया तहसील नांगल राजावतान, दौसा का अभिकथन था कि तहसील

नांगल स्थित खसरा संख्या 540 रकबा 5.61 है0 में से 2.00 है0 भूमि सरोज विद्या मंदिर समिति, नांगल राजावतान को स्कूल भवन एवं खेल मैदान व महिला विकास कार्य संचालन हेतु भवन निर्माण बाबत् 99 वर्ष की लीज आवंटन को निरस्त नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करवाकर भूमि को पूर्ववत चरागाह दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये गये।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(435)लोआस / 2018

परिवादी श्री भंवरलाल मेघवाल पुत्र श्री सोनाराम निवासी ग्राम गरवालियों, पो वायद, गढ़वाड़ा, पाली का अभिकथन था कि ग्राम गरवालियों में विभिन्न सरकारी भूमि पर दबंग लोगो द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(647)लोआस / 2016

परिवादी श्री लालचंद गढ़वाल पुत्र श्री नोरंगराम गढ़वाल निवासी ग्राम गढ़वाला की ढ़ाणी पोस्ट छावसरी वाया टिटनवाड़, झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत छावसरी के खसरां नं. 742 ब्राहमणों की ढ़ाणी के जोहड़ गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(385)लोआस/2018

परिवादी श्री अब्दुल हमीम पुत्र श्री अमीरदीन निवासी साकड़िया, नाचना, जैसलमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत पंजिका तला, पंचायत समिति जैसलमेर में मौके पर निर्माण कार्य हुए बिना ही नरेगा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाखों रूपए का विधिविरूद्ध भुगतान कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर एक दर्जन से अधिक शौचालय का निर्माण, पीने के पानी की सुविधा आदि उपलब्ध करवाई गई है। परिवादी ने भी उक्त तथ्य को स्वीकार किया है एवं संतुष्टि व्यक्त की है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष दिलवाकर राहत प्रदान की गई।

एफ.12(386)लोआस/2017

परिवादी श्री सुनील कुमार झा निवासी कैलाशपुरी मधुवन निम्बाहेड़ा रोड़, चित्तौड़गढ़ का अभिकथन था कि उनकी सेवानिवृति के 09 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी पेंशन प्रकरण निर्णित नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री झा को पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का समस्त बकाया भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को बकाया पेंशन परिलाभ दिलाया जाकर, अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(612)लोआस/2017

परिवादी श्री शिवराज देशमुख पुत्र श्री राजेश्वर देशमुख निवासी ग्राम आंधी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत आंधी के ग्राम

सेवक द्वारा सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिये गये है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(33)लोआस / 2019

परिवादी श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, निवासी 47, गंगा सागर कॉलेनी, आगरा रोड़, जयपुर का कथन था कि उनके प्लॉट के सामने स्थित आवासीय मकान में नमक का व्यवसाय करने से उनका मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत नमक का गोदाम खाली करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी के मकान को क्षतिग्रस्त होने से बचाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(45)लोआस / 2019

परिवादी श्री बृजमोहन हरिजन पुत्र स्व. श्री मोरिया निवासी वार्ड नं. 30, आंची का बास, मोतीनगर बांदीकुई, दौसा का अभिकथन था कि सरकारी जमीन पर बिना पट्‌टे निर्माण कर अतिक्रमण कर लिये गये है किन्तु इस संबध में नगर पालिका मण्डल, बांदीकुई द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(25)लोआस / 2019

परिवादी श्री योगेश कुमार लोहार पुत्र श्री शंकरलाल लोहार, निवासी वहीत्रावास तहसील सिरोही जिला सिरोही का अभिकथन था कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवंटित एलआईजी मकान संख्या 2/54 पर भूतल और प्रथम मंजिल निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एलआईजी मकान संख्या 2/54 पर प्रथम मंजिल निर्माण हेतु नियमानुसार स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(172)लोआस / 2018

परिवादी श्री राजेश कुमार अग्रवाल, चेयरमैन, महल आवासीय योजना निवासी बी 230, महल योजना, जेडीए स्कीम, अक्षयपात्र, जयपुर का अभिकथन था कि वार्ड नम्बर 47, महल रोड़, अक्षयपात्र चौराहे पर ट्रेफिक अधिक होने के कारण गम्भीर दुर्घटना से बचाव हेतु हाई मास्क लाईट नहीं लगी हुई है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार महल रोड़, अक्षयपात्र चौराहे पर हाई मास्क लाईट लगवा दी गई है।

इस प्रकार हाई मास्क लाईट लगवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.26(2)लोआस / 2018

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री हंस दत्त शर्मा, निवासी जैन कॉलेज के पीछे, इंडस्ट्रियल एरिया, रोड़ नं. 5, गंगाशहर, बीकानेर का अभिकथन था कि भू–अभिलेख निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किए

जाने के बाद भी उनका पेंशन प्रकरण, पेंशन विभाग में नहीं भिजवाया जा रहा है जिससे उन्हें पेंशन आदि का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहे है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार पेंशन स्वीकृत कर पी.पी.ओ. जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को पेंशन दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(18)लोआस / 2020

परिवादी श्री महादेव गुर्जर पुत्र श्री बालू गुर्जर, निवासी जोरावरपुरा (कंवलियास), तहसील हुरडा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम जोरावरपुरा की गैर मुमकिन आबादी व चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर किये गये प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(190)लोआस / 2019

परिवादी श्री केसरदेव प्रजापत पुत्र श्री उदाराम प्रजापत निवासी ग्राम पोस्ट धांधू, तहसील व जिला चूरू का अभिकथन था कि परसाराम जाट के पुत्र एवं पुत्रवधु राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुए भी श्री परसाराम जाट द्वारा गलत तरीके से राशन का लाभ लिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गलत रूप से उठाये गये राशन के सम्बन्ध में परसाराम जाट द्वारा 700 किलोग्राम गेहूँ की रिकवरी के रूप में 18,900 रूपए राजकोष में जमा करवा दिए गए हैं।

इस प्रकार दोषी से राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(276)लोआस / 2018

परिवादी श्री विक्रम सिंह शेखावत पुत्र श्री बहादुर सिंह शेखावत निवासी 78ए, चांद बिहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर का अभिकथन था कि उनके भूखण्ड संख्या 164, महाराणा प्रताप नगर के नियमन की पत्रावली निगम से गायब कर दी गयी और भवन निर्माण स्वीकृति नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड संख्या 164, महाराणा प्रताप नगर, खातीपुरा, जयपुर की भवन निर्माण की स्वीकृति नियमानुसार जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(290)लोआस / 2018

परिवादी श्री चिरंजीलाल महावर, निवासी रामविहार कॉलोनी, बाबाजी की छावनी, दौसा का अभिकथन था कि खैरातीलाल पुत्र पूनीराम महावर व विमला पत्नी खैराती द्वारा विमला पत्नी गंगाराम व गंगाराम उर्फ खैरातीलाल महावर पुत्र सुभाष के फर्जी दस्तावेज बनवाकर मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गंगाराम व विमला देवी द्वारा प्राप्त अवैध पेंशन राशि वापिस राजकोष में जमा करवादी गई है।

इस प्रकार अवैद्य रूप से प्राप्त पेंशन राशि वापिस राजकोष में जमा करवाकर परिवादी की समस्या का निराकरण किया गया।

एफ.35(350)लोआस / 2018

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी 202 ए, गोविन्द नगर–2, निवारू, झोटवाड़ा, जयपुर का अभिकथन था कि उनकी पत्नी स्व0 श्रीमती मधु का विद्युत करन्ट लगने से निधन पश्चात भी मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार स्व0 श्रीमती मधु का मृत्यु प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(429)लोआस / 2018

परिवादी श्री मनोज कुमार शारदा पुत्र स्व0 श्री श्रीकरण शारदा, निवासी 17, ''श्री आशीष'', दाता नगर, राम भवन के सामने, लोहागढ़ रोड़, अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम पुष्कर में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर लोगो द्वारा किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(21)लोआस / 2018

परिवादी श्री सत्यनारायण टांक पुत्र स्व0 श्री जेठमल टांक निवासी लाल बहादुर शास्त्री कॉलोनी, फुलेरा, जयपुर का अभिकथन था कि सेवानिवृति के उपरान्त उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को उसकी बकाया जीपीएफ राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जीपीएफ राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(31)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती घीसी मंडारिया पत्नी स्व0 श्री भैरूलाल मंडारिया, निवासी जगजीवन राम कॉलोनी, बैंक रोड़, बारां का अभिकथन था कि उनके पति की सेवानिवृति के उपरान्त उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(35)लोआस / 2019

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद ढाका पुत्र श्री सोहनलाल, निवासी मुकाम पोस्ट करणपुरा तहसील भादरा, हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। इस प्रकार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(37)लोआस / 2019

परिवादी श्री मुरारीलाल कुम्हार पुत्र श्री सेडू राम निवासी ए–28 / बी, बाईपास पुलिया, सीकर रोड़, जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जीपीएफ राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(88)लोआस/2019

परिवादी श्री रेवत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह, निवासी प्लॉट संख्या 116, 117 खसरा संख्या 120, धापी मार्बल, बनाड़ रोड़, नांदड़ी गौशाला रोड़, जोधपुर का अभिकथन था कि सेवानिवृत्ति उपरान्त उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जीपीएफ राशि का भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

माह मार्च 2022

एफ.3(194)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती मीरा बाई मीणा पत्नी श्री सुरेश मीणा, निवासी संग्रामपुरा, तहसील व थाना छोटीसादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ का अभिकथन था कि उनके पति की मृत्यु उपरान्त अभियुक्तगण उदयलाल, लालीबाई एवं भंवरसिंह द्वारा शराब पीकर अनाधिकृत रूप से उनके घर में घुसने का प्रयास किया गया, जिसकी लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना में पेश करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण उदयलाल एवं भंवरलाल के विरूद्ध धारा 448, 336 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(202)लोआस/2019

परिवादी श्री सोनू सिंह तनेजा पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह तनेजा, निवासी 109, सिंधु नगर, गुरूद्वारे के पास, भीलवाड़ा का अभिकथन था कि पुलिस थाना, सिटी कोतवाली, भीलवाड़ा पर एफ.आई.आर. संख्या 664/2018 धारा 406, 420, 467, 468, 471, 469, 120–बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज करवायी जाने के उपरान्त भी अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोपियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एफ.आई.आर. संख्या 664/2018, पुलिस थाना, सिटी कोतवाली, भीलवाड़ा में अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्तगण श्री जितेन्द्र सिंह तनेजा, श्री उमेश गर्ग, श्री ललित कुमार कोठारी व श्री मोतीलाल शर्मा के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 471 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट संख्या 129/2021 न्यायालय में पेश की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(134)लोआस/2018

परिवादी श्री सुबुद्धि सिंह गुर्जर पुत्र श्री मूलाराम गुर्जर, निवासी ग्राम पोस्ट महमदपुर, तहसील टोडाभीम, जिला करौली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त सीसीए नियम–17 के तहत चल रही जांच को समाप्त कर पेंशन प्रकरण के सभी परिलाभ (पी.एल. समर्पित भुगतान, पेंशन ग्रेच्युटी आदि) नहीं दिये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की विभागीय जांच कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है एवं पेंशन प्रकरण के सभी परिलाभ (पी.एल. समर्पित भुगतान, पेंशन ग्रेच्युटी आदि) दिये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(68)लोआस / 2020

परिवादी श्री बंशीलाल वर्मा पुत्र श्री गिरधारी, निवासी मुकाम पोस्ट मुण्डोती (नरूकान), राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बांदरसिन्दरी, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उसकी आराजी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी को आवेदन किये जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पटवारी हल्का मुण्डोती द्वारा परिवादी को आवेदित भूमि का सीमाज्ञान करवा दिया गया है।

इस प्रकार भूमि का सीमाज्ञान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(83)लोआस / 2019

परिवादी श्री केसाराम देवासी एवं अन्य, निवासी ग्राम मुरी, ग्राम पंचायत उन्दरा, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही का अभिकथन था कि ग्राम मुरी, ग्राम पंचायत उन्दरा, तहसील पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही स्थित पंचायत की गोचर भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सिरोही से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण को हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(85)लोआस/2019

परिवादी श्री सुरजभान जाट पुत्र श्री लालचन्द जाट, निवासी ग्राम कटराथल, तहसील सीकर, जिला सीकर का अभिकथन था कि ग्राम कटराथल में जोहड़ पायतान की भूमि खसरा नम्बर 1172 रकबा 7.78 हैक्ट. में नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा श्मशान हेतु गलत रूप से किये गये आवंटन को निरस्त नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जोहड़ पायतान की भूमि से श्मशान हेतु आरक्षित/आवंटित भूमि का आवंटन, नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(88)लोआस/2019

परिवादी श्री केसरीलाल मीणा पुत्र स्व0 श्री बजरंगलाल मीणा, निवासी ग्राम धाकड़खेड़ी, तहसील इंद्रगढ़, जिला बून्दी का अभिकथन था कि उनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिये जाने के सम्बन्ध में न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इंद्रगढ़ द्वारा अतिक्रमी को बेदखल करने हेतु पारित निर्णय की पालना में तहसीलदार, इंद्रगढ़ द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट, इंद्रगढ़ द्वारा अतिक्रमी को बेदखल करने हेतु पारित निर्णय की पालना में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के अनुसार कार्यवाही करते हुये पुलिस जाप्ता एवं जेसीबी की सहायता से उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(93)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती जलबाई पत्नी स्व0 श्री झब्बूराम, निवासी ग्राम कालवान, तहसील सिकराय, जिला दौसा का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 903, ग्राम कालवान के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा द्वारा दिये गये आदेश के बावजूद भी तहसीलदार, सिकराय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, सिकराय द्वारा मौके पर जाकर पत्थरगढ़ी सम्बन्धी कार्यवाही करवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(94)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती जाहिदा बेगम पत्नी स्व0 श्री अब्दुल गनी मोहम्मद, निवासी मकान नम्बर 1251/3, लोहाखान नई बस्ती, अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम किटाप, तहसील भिनाय, जिला अलवर में रजिस्ट्रीशुदा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि तहसीलदार, पटवारी की मिलीभगत से मात्र 800 गज रह गई है। रजिस्ट्रीशुदा भूमि का सही नाप नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की भूमि नक्शे के अनुसार सही है। मौके पर भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है।

इस प्रकार भूमि का सही नाप करवाया जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(143)लोआस/2017

परिवादी श्री देवीलाल वर्मा पुत्र श्री रामसुख रैगर, निवासी देइपोल चुंगी नाका, वार्ड नम्बर 16, नैनवा, बूंदी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को पेंशन दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(368)लोआस/2019

परिवादी श्री बुलाकीदास पुरोहित पुत्र स्व0 श्री चान्दरतन, निवासी मून्धड़ा चौक, बीकानेर का अभिकथन था कि उसके द्वारा प्रस्तुत गिफ्ट डीड का पंजीयन नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रवर्तन), पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत गिफ्ट डीड का पंजीयन कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(176)लोआस/2020

परिवादी श्री कालूलाल पुत्र स्व0 श्री शिवलाल, निवासी सादलवा रोड़, ग्राम कोट बालियान, तहसील बाली, जिला पाली का अभिकथन था कि ग्राम कोट बालियान के सार्वजनिक तालाब की पाल पर किये गये अतिक्रमण एवं आबादी भूमि में स्थित बरसाती नाले पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तालाब की पाल पर किये गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा आबादी भूमि में स्थित बरसाती नाला पर कोई अतिक्रमण नहीं है और पानी के बहाव में कोई अवरूद्ध नहीं है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(186)लोआस / 2019

परिवादी श्री शैतान सिंह पुत्र श्री वरध सिंह, निवासी ग्राम कांटोल पोस्ट नेनोल, तहसील सांचोर, जिला जालौर का अभिकथन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम सेवक द्वारा गलत सूची तैयार कर परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास नहीं दिलाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जालौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(98)लोआस / 2019

परिवादी श्री ओमप्रकाश अवस्थी पुत्र श्री भैरूलाल, निवासी अवस्थीयों का बास, सोजत सिटी, तहसील सोजत, पाली का अभिकथन था कि उनके पुश्तैनी मकान पर भवन निर्माण की स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सोजत सिटी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नियमानुसार भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

इस प्रकार भवन निर्माण की स्वीकृति दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(129)लोआस / 2018

परिवादी श्री बुद्धाराम प्रजापत पुत्र श्री भगवानाराम, निवासी वार्ड नम्बर 21, डाकमोरी बाहर, रामगढ़ शेखावटी, जिला सीकर का अभिकथन था कि वार्ड नम्बर 21,

भार्गव मौहल्ला के सामने अप्रार्थी पप्पू भार्गव द्वारा आम रास्ते पर दरवाजा व सीढ़ियाँ बनाकर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(881)लोआस / 2015

परिवादी श्री नवल किशोर विजय पुत्र स्व0 श्री अमरचन्द विजय, निवासी मकान नम्बर 31, पलटन बाजार, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें ए.एम.सी. नम्बर 362 / 1, 362 / 2 पर आवासीय नक्शा स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को आवासीय नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

इस प्रकार आवासीय नक्शे की स्वीकृति दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.31(3)लोआस / 2019

परिवादी श्री मोहनलाल धोबी पुत्र श्री गोपीलाल, वर्कचार्ज बेलदार, जल संसाधन खण्ड टोंक, उपखण्ड टोंक प्रथम, टोंक, निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील अलीगढ़, जिला टोंक का अभिकथन था कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार परिवादी की सेवाएं निरंतर मानते हुए पुनः पद पर पदस्थापित होने का अधिकारी मानते हुए उक्त अवधि के 50 प्रतिशत वेतन भत्ते एवं उस पर दिए जाने वाले सभी लाभ परिलाभ दिए जाने के आदेश की पालना श्री राधामोहन शर्मा, अधिशाषी अभियंता, जल

संसाधन विभाग द्वारा नहीं की जा रही है एवं अनावश्यक दबाव बनाकर रकम की मांग की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विभाग द्वारा परिवादी के मामले में पुनः उपस्थिति दिनांक तक का 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है एवं पूर्व की सेवा को निरन्तर मानते हुए सभी लाभ भी प्रदान कर दिये गए है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(92)लोआस / 2016

परिवादी श्री रूस्तम अली पुत्र श्री पीर बक्श, निवासी वार्ड नम्बर 32, प्लॉट नम्बर जे–111, गफूर भटटा, कच्ची बस्ती, जिला जैसलमेर का अभिकथन था कि उसे नगर परिषद, जैसलमेर द्वारा आवंटित प्लॉट नम्बर जे–111, गफूर भटटा, कच्ची बस्ती, जैसलमेर का कब्जा नहीं दिया जा रहा है एवं उक्त स्थान पर किये हुये अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा दिलाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(199)लोआस / 2019

परिवादी श्री मोहनराम धौलिया पुत्र श्री बालाराम, निवासी ग्राम पोस्ट डेहरू, तहसील मुण्डवा, पंचायत समिति खींवसर वाया नागौर, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(466)लोआस / 2018

परिवादी श्री रामअवतार अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल, निवासी अग्रवाल छाजेड़ों का मौहल्ला, मेड़ता सिटी, जिला नागौर का अभिकथन था कि मेड़ता पटवार क्षेत्र में स्थित खसरा नम्बर 2323 व 2324 की कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(32)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती संतोष चौहान पत्नी श्री फतेह सिंह चौहान, निवासी मकान नम्बर 99, सूरज नगर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(49)लोआस/2019

परिवादी श्री शिवकुमार शर्मा पुत्र श्री बंशीलाल शर्मा, निवासी शक्ति भवन के पास, हेमसिंह कटले के बाहर, महामन्दिर, जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(53)लोआस/2019

परिवादी श्री हरि सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री नरसिंह चौहान, निवासी ग्राम व पोस्ट खौड़, वाया रानी, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(54)लोआस/2019

परिवादी श्री किशोर सिंह पुत्र स्व0 श्री नरसिंह, निवासी 364, बापूनगर विस्तार, पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(57)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती सोहनी देवी साद पत्नी स्व0 श्री सत्यनारायण साद, निवासी माताजी का मन्दिर, ग्राम व पोस्ट ओसियां, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उनके पति की सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(73)लोआस / 2019

परिवादी श्री गणेशराम पुत्र श्री नारायणराम, निवासी मुकाम पोस्ट केकिन्दड़ा, वाया आ. कालु, तहसील जैतारण, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(81)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती सज्जन कंवर माथुर, निवासी 117 / 16, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें पी.पी.ओ. संख्या 10651(आर) के तहत सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत देय संशोधित पेंशन एवं 80 वर्ष से अधिक की आयु हो जाने पर उक्त आदेशों के अन्तर्गत नियमानुसार देय पेंशन सहित अब तक की बकाया राशि का भुगतान करवाया जावें।

इस सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को सातवें वेतनमान के अनुसार एवं 80 वर्षीय अतिरिक्त पेंशन परिलाभ हेतु कोषाधिकारी, पेंशन जयपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। कोषाधिकारी, पेंशन, जयपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर संबंधित बैंक को भुगतान हेतु लिख दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(91)लोआस / 2019

परिवादी श्री मोतीलाल शर्मा पुत्र श्री शिवदास शर्मा, निवासी बजरंग गढ़ मन्दिर के पास, ग्राम पोस्ट रियाबड़ी, नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(94)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री आदूराम, निवासी ग्राम पोस्ट जाटावास वाया रियाबड़ी, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(99)लोआस/2019

परिवादी श्री भंवरलाल तंवर पुत्र स्व0 श्री नेमीचन्द, निवासी मुकाम व पोस्ट रियाबड़ी, नागौर का अभिकथन था कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(104)लोआस/2019

परिवादी श्री सुवालाल मेघवाल पुत्र श्री छोगाराम मेघवाल, निवासी ग्राम पोस्ट जाटावास वाया रियाबड़ी, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(150)लोआस / 2019

परिवादी श्री गजराज सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह, निवासी रूप रजत राजपूत कॉलोनी, पीपाड़ शहर जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(160)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती दाखु देवी पत्नी श्री कालूराम, निवासी मकान नम्बर 58, प्रताप नगर, सरस डेयरी के पास, बांगड़ स्टेडियम के पास, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अप्रैल 2022

एफ.47(189)लोआस/2019

श्री देवाराम पुत्र श्री रतनाराम, निवासी मालवीय भवन, बस स्टैण्ड खैरवा, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(176)लोआस/2019

परिवादी श्री दलाराम प्रजापत पुत्र श्री प्रतापराम, निवासी मुकाम पोस्ट गंगाणी, बस स्टेण्ड के पास, वाया बनाड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(161)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती मायादेवी पत्नी श्री मधुर श्याम गुप्ता, निवासी आदर्श नगर, भीनमाल बाईपास रोड़, जिला जालौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(159)लोआस / 2019

परिवादी श्री रामनारायण वर्मा पुत्र श्री पीरूलाल वर्मा, निवासी चरीघाट रोड़, रावण जी का चौक, तेजाजी मंदिर चबूतरे के पास, बारां का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति पर जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बारां के अनुसार अंशदाता के पुत्र लेखराज राथल को राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के अनुसार वांछित दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध करवाने पर ब्याज सहित अवशेष राशि रूपए 49,769/– का समान अंशों में भुगतान कर दिया जावेगा।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(152)लोआस / 2019

परिवादी श्री जगन्नाथ शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी 102, राजेन्द्र नगर, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(149)लोआस / 2019

परिवादी श्री दयाशंकर पारीक पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला, मुकाम पोस्ट अटबड़ा, तहसील सोजत, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(146)लोआस / 2019

परिवादी चम्पालाल परिहार पुत्र श्री गोपालराम, निवासी हलाव का बेरा मण्डोर, पोस्ट मण्डोर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(143)लोआस/2019

श्री कल्याणसिंह पुत्र श्री चाँदसिंह, निवासी 216, जसवंत नगर, खातीपुरा, जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(139)लोआस/2019

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री केसाराम, निवासी मकान नम्बर 70, करण सिंह की चाली, स्टेशन रोड़, पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(138)लोआस/2019

परिवादी श्री गेन्द सिंह राजपूत पुत्र श्री सुल्तानसिंह, निवासी ग्राम पोस्ट जूजूंडा वाया जैतारण, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(135)लोआस/2019

परिवादी श्री नैनाराम जोशी पुत्र श्री मांगीलाल जोशी, निवासी जोशी मौहल्ला, जैतारण, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(131)लोआस/2019

परिवादी श्री गोपी किशन बोहरा पुत्र श्री मेघराज बोहरा, निवासी 84 क/107, जयनारायण व्यास कॉलोनी, न्यू चांदपोल रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(117)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती विष्णु कँवर पत्नी स्व0 श्री हुकम सिंह, निवासी मुकाम पोस्ट निम्बाहेड़ा कलां, तहसील रायपुर, जिला पाली का अभिकथन था कि उसके पति के सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(90)लोआस/2019

परिवादी श्री भंवरलाल चौधरी पुत्र श्री गबरूराम, निवासी ग्राम सुरपुरा, पोस्ट जसवन्ताबाद वाया जसनगर, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(25)लोआस/2019

परिवादी श्री सुरेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री गोकुल चन्द्र शर्मा, निवासी 31/1 डी, सोना रिसोर्ट की पीछे, चित्रकूट नगर, सांगानेर रोड़, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(18)लोआस / 2021

परिवादी श्री नरेश कुमार पुत्र श्री भैरूलाल, निवासी दीनबन्धु कॉलोनी छत्रपुरा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(17)लोआस / 2019

परिवादी श्री हनुमानराम गुर्जर पुत्र श्री शिवलाल गुर्जर, निवासी भोलाराम नगर, गुर्जरों की ढाणी, ग्राम पोस्ट भोपालगढ़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(441)लोआस/2018

परिवादी श्री दामोदर प्रसाद मीना पुत्र स्व0 श्री गंगाराम मीना, निवासी ग्राम हरिकिशनपुरा, नाड़ी की ढ़ाणी, पोस्ट नायला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि सिलिकोसिस रोग से पीड़ित उनके पिता गंगाराम के आवेदन क्रमांक 1800005423 पर कार्यवाही करवाकर सहायता राशि दिलवाई जावें।

इस सम्बन्ध में खनि अभियंता एवं पदेन सचिव, डीएमएफटी, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित गंगाराम की मृत्यु हो चुकी है। उसके विधिक आश्रित उसकी पत्नी को सहायता राशि रूपये 3,00,000/– का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(90)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती सुशीला देवी कुम्हार पत्नी स्व0 श्री पूरणमल कुम्हार, निवासी नायकों का मोहल्ला, ग्राम पोस्ट त्योद वाया सांभर लेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित उनके पति स्व0 श्री पूरणमल की मृत्यु होने के उपरान्त उनके आश्रितों को सहायता/अनुग्रह राशि प्रदान नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मृतक स्व0 श्री पूरणमल कुम्हार की पत्नी श्रीमती सुशीला देवी को कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा नियमानुसार सहायता/अनुग्रह राशि प्रदान की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(89)लोआस / 2019

परिवादी श्री दीपक मीना पुत्र स्व0 श्री कानाराम मीना, निवासी सवाई जयसिंहपुरा, बापूगांव, जयपुर का अभिकथन था कि सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित उनके पिता स्व0 श्री कानाराम मीणा की मृत्यु उपरान्त मृतक के आश्रित को सहायता राशि प्रदान नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर–दक्षिण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(47)लोआस / 2020

परिवादी श्री चैन सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी वार्ड नम्बर 2, अनूपगढ़, तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति पश्चात नियमानुसार पेंशन का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार पेंशन का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(117)लोआस / 2018

परिवादी श्रीमती तारादेवी पत्नी श्री नन्द किशोर, निवासी प्लाट नम्बर बी 26, शिवपार्वती नगर, मान्यावास, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर का अभिकथन था

कि प्लॉट संख्या बी–26, शिवपार्वती नगर, न्यू सांगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर का पट्टा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्लॉट का पट्टा/लीजडीड नियमानुसार जारी कर दी गई है।

इस प्रकार पट्टा जारी करवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(319)लोआस/2018

परिवादी श्रीमती भगवन्ती देवी पत्नी श्री विशनदास, निवासी 84/135, मध्यम मार्ग, केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 5 के पास, मानसरोवर, जयपुर का अभिकथन था कि उनके द्वारा जय गोविन्दम् कॉम्पलेक्स, खजाने वालों का रास्ता, जयपुर में एक कमरा जरिए इकरारनामा क्रय किया था, जिस पर यूडी टैक्स जमा कराने के नाम पर बिना सूचना दिये विधिविरूद्ध रूप से कमरा सील कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में उपायुक्त, हवामहल जोन (पश्चिम), नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती भगवन्ती देवी द्वारा बकाया नगरीय विकास कर जमा कराने पर उनकी दुकान सीज मुक्त कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(275)लोआस/2018

श्री जेठमल सोलंकी पुत्र श्री छोटूलाल सोलंकी निवासी बद्रीदास डागा के बंगले के पास, बंगला नगर, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि उनके द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति हेतु नक्शा पेश किया गया था किन्तु नगर निगम के उच्चाधिकारियों द्वारा तामीर की इजाजत नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में उपायुक्त, नगर निगम, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को तामीर निर्माण की डीम्ड अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(180)लोआस/2018

परिवादी डॉ. श्री अशोक कुमार शर्मा, निवासी दौसा नर्सिंग होम, पीजी कॉलेज के पास, आगरा रोड़, जिला दौसा का अभिकथन था कि उपायुक्त, मोती डूंगरी जोन, नगर निगम, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या सी–22, सेक्टर नम्बर 3, मालवीय नगर, जयपुर का पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कार्यालय आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा श्रीमती सुधी शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा के नाम से जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(141)लोआस/2021

परिवादी श्री हरपाल सिंह पाली पुत्र स्व0 श्री सरदार महताव सिंह, निवासी प्लाट नम्बर 21, अमर गार्डन एस.एम.एस. कॉलोनी, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर का अभिकथन था कि मौहल्ला हजारी का बाग, अलवर में स्थित अचल संपति पर माननीय न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा नगरपालिका, अलवर के कर्मचारियों/अधिकारियों की मिलीभगत से किये गये अवैध निर्माण को रोका नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर चल रहे अवैध निर्माण को रूकवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(114)लोआस / 2021

परिवादी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री गुरूचरण, निवासी लालखान अखेपुरा, चमेली बाग, अलवर का अभिकथन था कि सफाई कार्य की निविदाओं में किये गये भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा प्रस्तुत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, राजगढ़ अलवर के कार्यालय आदेश के अनुसार अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजगढ़, जिला अलवर द्वारा उक्त निविदा को निरस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(20)लोआस / 2021

परिवादी श्री दयाराम सैनी पुत्र श्री मन्नालाल सैनी, निवासी वार्ड संख्या 28, मुगलों के कुंए के पास रेलवे स्टेशन, फतेहपुर शेखावाटी, जिला सीकर का अभिकथन था कि उसकी सेवानिवृति उपरान्त पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पेंशन प्रकरण की जांच उपरान्त पेंशन विभाग द्वारा नियमानुसार पीपीओ जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी के पेंशन प्रकरण के निस्तारण उपरान्त उसे पीपीओ प्रदान करवाकर अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.14(3)लोआस / 2019

परिवादी श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी 427, कप्तान छुट्टन लाल मीणा कॉलोनी, पुराणा रूपवास, जिला अलवर का अभिकथन था कि उनके सेवानिवृत होने पर पेंशन प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पीपीओ, जीपीओ एवं सीपीओ नियमानुसार जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(406)लोआस / 2019

परिवादी श्री विपुल शर्मा पुत्र श्री नत्थीलाल शर्मा, निवासी 1 एच 8, न्यू हाउसिंग बोर्ड, एस.टी.सी. कॉलोनी, भरतपुर का अभिकथन था कि संभागीय आयुक्त, भरतपुर द्वारा तहसीलदार, डीग को आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया गया किन्तु अभी तक अतिक्रमण को हटाया नहीं गया है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, डीग से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार सार्वजनिक भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटावाकर परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(353)लोआस / 2019

परिवादी श्री मनोज कुमार बैरवा पुत्र स्व0 श्री हंसराज बैरवा, निवासी ग्राम महमदपुर, तहसील सपोटरा, जिला करौली का अभिकथन था कि उन्हें अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), प्रशासन–2, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को लिपिक ग्रेड द्वितीय में नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार अनुकम्पा नियुक्ति दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(247)लोआस/2018

परिवादी श्री योगेन्द्र कुमार कुमावत पुत्र श्री भागचन्द कुमावत, निवासी बैंक ऑफ बड़ोदा के सामने, ग्राम सिलोरा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत सिलोरा की राजकीय भूमि एवं परिवादी की भूमि पर श्री चांदमल कुमावत एवं उसके पुत्र आदित्य कुमावत द्वारा किये गये अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में संयुक्त शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिलोरा की उपस्थिति में उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण को हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(197)लोआस/2020

परिवादी श्री विशाल सिंह पुत्र श्री जालम सिंह, निवासी सोवनिया तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि वर्ष 1995–96 में राज्य सरकार द्वारा जनता आवास योजना के तहत पक्के आवास हेतु अन्य लाभार्थियों के साथ उसका भी चयन हुआ, किन्तु ग्राम पंचायत, मादलिया के तत्कालीन ग्राम सचिव श्री ओम प्रकाश भाकर द्वारा उन्हें नियमानुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पीपाड़ शहर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री विशाल सिंह को नियमानुसार भुगतान किये जाने हेतु वांछित दस्तावेज जमा कराने हेतु पत्र जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(26)लोआस / 2019

परिवादी श्री लक्ष्मीनारायण तेली पुत्र श्री रामदेव तेली, निवासी ग्राम जालिया द्वितीय, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत जालिया, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर की 8 जर्जर दुकाने, जो किराये पर है, के गिरने की आशंका होने के बावजूद सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा उक्त दुकाने खाली नहीं करवायी जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर अधिकारी/जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रश्नगत जर्जर 08 दुकाने मौका पर्चा अनुसार खाली करवा दी गयी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(25)लोआस / 2021

परिवादी श्री हेमराज महावर, निवासी 120, महावर बस्ती करवाड़, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत ख्यावदाप, पंचायत समिति में निविदा शर्तो का उल्लंघन करने पर कमेटी के सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप निविदा में भाग लेने वाली पूर्व सरपंच चन्द्रकला बैरवा के पति व बेटे की फर्म अनिल मैटेरियल सप्लायर्स व यशवंत सिंह मैटेरियल सप्लायर्स को तीन वर्ष की कालावधि के लिये विवर्जित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(258)लोआस/2018

परिवादी श्री अर्जुनलाल सैनी पुत्र श्री भगवान सहाय सैनी, निवासी ग्राम बालाजी नगर, तहसील खंडेला, जिला सीकर का अभिकथन था कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर ग्राम पंचायत थोई, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, में स्थित सरकारी भूमि पर नियम–विरूद्ध पट्टे जारी कर राजकोष को करोड़ो रूपए का नुकसान पहुँचाया गया।

इस सम्बन्ध में प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति खण्डेला की बैठक के निर्णय के अनुसार नियम–विरूद्ध जारी किये गये 20 व्यक्तियों के पट्टे खारिज/निरस्त कर दिये गये है। आरोपी लोकसेवक श्री पन्नालाल, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, थोई के सेवानिवृत हो जाने एवं घटना सेवानिवृति के 04 वर्ष पूर्व की होने के कारण श्री पन्नालाल के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी, किन्तु प्रकरण को विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर को निर्देशित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(582)लोआस/2018

परिवादी श्री मोहनराम जाट पुत्र श्री हीराराम जाट, निवासी ग्राम मोड़ीकलाँ, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि तहसील रियांबड़ी के गांव मोड़ीकलाँ में सिवायचक भूमि से अतिक्रमणों को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिवायचक भूमि पर अवस्थित प्रश्नगत अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार अतिक्रमण को हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(419)लोआस/2018

परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र श्री राजकुमार मीणा, निवासी ग्राम खेड़ली, पोस्ट देवती, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम खेड़ली, तहसील राजगढ़, जिला अलवर की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 605 पर निजी व्यक्तियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 का प्रकरण बनाकर सहायक वन संरक्षक एवं प्राधिकृत अधिकारी, राजगढ़ के न्यायालय में पेश कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(149)लोआस/2019

परिवादी श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री घुड़ाराम यादव, निवासी ग्राम कुरबड़ा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था कि प्रशासन द्वारा ग्राम कुरबड़ा में अवस्थित चारागाह भूमियों पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नायब तहसीलदार, भू–राजस्व निरीक्षक, नीमकाथाना व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करावाकर भौतिक रूप से प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण को हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(80)लोआस/2019

परिवादी श्री विजेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी मालाखेड़ा बाजार, राजगढ़, अलवर का अभिकथन था कि तहसीलदार, बसवा द्वारा परिवादी के

मृतक भाई स्व0 श्री राजकुमार की जायदाद का नामान्तकरण परिवादी व उसके भाई–बहनों के नाम नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर दिनांक 10.12. 2019 को मृतक का नामान्तकरण खोलने की तहरीर जारी की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(36)लोआस / 2018

परिवादी श्री सत्यवीर सिंह यादव पुत्र श्री तुलाराम यादव, निवासी ग्राम शिवदान सिंह पुरा, पोस्ट खोहर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर का अभिकथन था कि कालाबाजारी करने पर राशन डीलर श्री सुभाषचन्द के विरूद्ध जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त राशन डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1586/2012 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण व विनियमन) आदेश, 1976 के तहत निरस्त कर दिया गया है एवं राशन डीलर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश भी पारित किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(61)लोआस / 2017

परिवादी श्री बलवान शर्मा पुत्र श्री मनीराम शर्मा, निवासी मुकाम पोस्ट लाखलाण, बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू का अभिकथन था कि प्रेरक महिन्द्रा कुमारी तथा प्रेरक श्री राकेश कुमार, ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति, ग्राम मुकाम

पोस्ट लाखलाण, बड़ी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू द्वारा सरकारी राशि व सामान का गबन किया गया है किन्तु दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी प्रेरकों श्री राकेश कुमार व श्रीमती महिन्द्रा कुमारी के विरूद्ध विभागीय स्तर पर कार्यवाही की जाकर उन्हें पद से हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(48)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती उषा किरण सोलंकी पत्नी श्री बहादुर सिंह, निवासी पीपली का चौक, गुलाब सागर की नहर के पास, जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(149)लोआस / 2020

परिवादी सुश्री मनीषा दाधीच पुत्री श्री प्रदीप कुमार दाधीच, निवासी जी 47, तरूण पथ, श्याम नगर, सोडाला, न्यू सांगानेर रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनके प्रकरण संख्या 73/2020 महिला थाना दक्षिण, जयपुर में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण से सांठ–गांठ कर निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त दक्षिण, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में बाद जांच आरोपी ऋषभ बंसल के विरूद्ध

धारा 498–ए भादसं. का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर, आरोप–पत्र संख्या 74/2020 किता कर, न्यायालय एम.एम. 12, जयपुर महानगर में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(78)लोआस/2021

परिवादी श्रीमती संतरा पत्नी श्री सुवालाल बैरवा, निवासी ग्राम निम्हेड़ा, पोस्ट झिराना, तहसील पीपलू, जिला टोंक का अभिकथन था कि पुलिस थाना पीपलू जिला टोंक के थानाधिकारी द्वारा अपने लोकपदीय कर्तव्यों का दुरूपयोग कर मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान पश्चात् आरोपी हेमराज के विरूद्ध धारा 363, 366ए भा.द.सं. का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट कता की गई एवं न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(238)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती गौरंति देवी बैरवा पत्नी श्री कमलेश बैरवा, निवासी चांदसैन अम्बेडकर कॉलोनी, कृष्णा आई.टी.आई. के पास, राजकीय पायलेट कॉलेज के सामने, लालसोट, दौसा का अभिकथन था कि प्रार्थीया के साथ श्री सोहनलाल बैरवा व अन्य द्वारा मारपीट करने पर पुलिस थाना, लालसोट द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल श्री सोहनलाल, श्री भगवान सहाय व रामजीलाल के विरूद्ध धारा 107, 116(3) सीआरपीसी में इस्तगासा दिनांक 26.09.2019 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लालसोट में पेश किया गया, जिस पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा गैरसायल

को 20,000/– रूपये के जमानती मुचलकों पर 6 माह के लिये शांति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह मई 2022

एफ.2(3)लोआस/2021

परिवादी श्री रामावतार पुत्र श्री माकाराम, निवासी 47 ई ब्लाक, वार्ड नम्बर 19, निरकांरी भवन के पास, रायसिंह नगर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि फसल कटाई के प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज के आँकड़ों के अभाव में बकाया फसल बीमा का क्लेम नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक, कृषि (फसल बीमा), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नियमानुसार क्लेम प्रदान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(152)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती रेशमा पिंगोलिया पुत्री श्री किशोर कुमार, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, ग्राम सामोद, जिला जयपुर का अभिकथन था कि दहेज प्रताड़ना के आरोप के सम्बन्ध में पुलिस थाना, सामोद पर एफआईआर संख्या 90/2019 दर्ज करवायी गयी थी। अनुसंधान अधिकारी श्री अरूण सिंह मुलजिमान के प्रभाव में आ जाने से उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त श्रीपाल डबरिया के विरूद्ध धारा 498–ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप

पत्र संख्या 160/2020 दिनांक 27.08.2020 किता किया जाकर, चालान न्यायालय एसीजेएम, चौमूं में दिनांक 31.08.2020 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(251)लोआस/2019

परिवादी श्री श्रवणसिंह रेबारी पुत्र श्री बालकिशन, निवासी ग्राम बालापुरा, तहसील इंदरगढ़, जिला बूंदी का अभिकथन था कि पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में अभियोग संख्या 150/2019 दर्ज करवाया था, किन्तु अनुसंधान अधिकारी श्री हंसराज एएसआई द्वारा मुलजिमों से रिश्वत लेकर उन्हें गिरफ्तार करने में शिथिलता बरती जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुलजिमान श्री नानकराम मीणा, श्री नन्दपाल मीणा, श्री गिरधारी रैवारी, श्री रामकल्याण गुर्जर व श्री सांवलराम मीणा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 308, 147, 148, 149 भादसं. प्रमाणित पाये जाने पर इनके विरूद्ध चार्जशीट संख्या 144 दिनांक 11.10.2019 किता की जाकर चालान न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़ में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(331)लोआस/2019

परिवादी श्री मेघाराम पुत्र श्री निम्बाराम, निवासी ग्राम आलवाड़ा, तहसील सायला, जिला जालौर का अभिकथन था कि मुकदमा संख्या 21/2017 अन्तर्गत जुर्म धारा 420, 406, 120बी भादसं. एवं धारा 3, 4, 5 प्राईज एण्ड चिट फण्ड परिचालन स्कीम अधिनियम में पुलिस थाना सायला की ओर से मुलजिमान को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस अपराध शाखा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अनुसंधान उपरान्त, आपराधिक साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण करताराम, वगताराम, हीराराम, सुरेश कुमार, मगनाराम,

अजाराम उर्फ अर्जुन, कालूराम के विरूद्ध जुर्म धारा 420, 406, 120बी भादसं. एवं धारा 3, 4, 5 प्राईज एण्ड चिट फण्ड परिचालन स्कीम अधिनियम, 1978 का अपराध प्रमाणित पाते हुये, उन्हें गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान पूर्ण किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(103)लोआस / 2018

परिवादी श्री सिद्धार्थ मीना पुत्र स्व0 श्री रत्तीराम मीना, निवासी ग्राम जोध्या, पोस्ट फर्राशपुरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा का अभिकथन था कि उसके पिता स्व0 श्री रत्तीराम मीणा की राजकीय सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा द्वारा उसे अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दौसा द्वारा परिवादी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सवासा, लालसोट, दौसा में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करवाई जाकर, अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(133)लोआस / 2018

परिवादी श्री प्रधुम्न धूत पुत्र श्री रामावतार धूत, निवासी निदेशक स्टार किड्स स्कूल, मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टोंक द्वारा स्टार किड्स स्कूल, मालपुरा, टोंक की वर्ष 2014–15 की आरटी पुर्नभरण राशि रूपये 105570/– का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार वांछित भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(30)लोआस/2018

परिवादी श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री प्रेम नारायण शर्मा, निवासी मुण्डावर, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर का अभिकथन था कि तत्कालीन राशन डीलर श्री सुनील कुमार कौशिक, दुकान नम्बर 681, ग्राम पंचायत मुण्डावर द्वारा करोड़ो रूपये की धांधली की गई है एवं निलम्बन के बाद भी रसद सामग्री उठाकर खुर्दबुर्द की गई है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन राशन डीलर श्री सुनील कुमार कौशिक, दुकान नम्बर 681, ग्राम पंचायत मुण्डावर को जारी किया गया प्राधिकार–पत्र खारिज कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.9(48)लोआस/2020

परिवादी श्री प्रेम कुमार पुत्र श्री साहबराम, निवासी वीपीओ संघर, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि ग्राम संघर में निर्मित गौरव पथ में मापदण्डों के अनुसार सड़क निर्माण नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की उपस्थिति में मौके पर सड़क का निरीक्षण करवाकर क्षतिग्रस्त सड़क को सुधार दिया गया है तथा संबंधित अभियंताओं द्वारा सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच करवायी जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.9(52)लोआस/2020

परिवादी श्री महेन्द्र गहलोत पुत्र श्री चेनाराम गहलोत, निवासी ग्राम पोस्ट बलुन्दा, तहसील जैतारण, जिला पाली का अभिकथन था कि ग्राम बलुन्दा में बस स्टेण्ड से तेजपुरा रोड़ पर 900 मीटर लम्बा गौरव पथ का निर्माण करने में निर्धारित मापदण्डों

के अनुसार निर्माण सामग्री का उपयोग नहीं कर, घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सर्वे एवं गुण नियंत्रक खण्ड, पाली की अध्यक्षता में गठित तकनीकी कमेटी द्वारा जाँच किये जाने पर ड्राइक्लीन कांकरीट की मोटाई सही पायी गयी तथा सीसी ब्लाक की मजबूती संतोषजनक पायी गयी एवं तकनीकी अधिकारियों द्वारा सड़क किनारे जहाँ मकान बने हुये है, वहाँ नाली का निर्माण किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(33)लोआस/2020

परिवादी श्री गजराज सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान बिजली वर्कर्स फैडरेशन (एटक) बिजली घर का चौराहा, डीजल पावस हाउस, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम परसा का बास में दो कृषि कनेक्शनों की अवैध शिफ्टिंग एवं सिंगल फेज द्वारा थ्री फेज बनाकर 24 घण्टे की सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही है।

इस सम्बन्ध में सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप विद्युत विभाग द्वारा प्रश्नगत अवैध कनेक्शन काटकर उसकी शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(382)लोआस/2017

परिवादी श्री भागीरथ मेघवाल पुत्र श्री गोरखाराम मेघवाल, निवासी ग्राम गौरीसर, तहसील रतनगढ़, जिला चुरू का अभिकथन था कि ग्राम गौरीसर स्थित बस स्टेण्ड के समीप स्थित गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर, चुरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैरमुमकिन गौचर भूमि पर अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई एवं अतिक्रमियों को भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(73)लोआस / 2020

परिवादी श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा, निवासी ग्राम बादेड़, पोस्ट बाकलिया, तहसील लाडनू, जिला नागौर का अभिकथन था कि खेत खसरा नम्बर 88 बाड़ेला पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रक्रमण को हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(235)लोआस / 2019

परिवादी श्री भंवर सिंह दरोगा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद दरोगा, निवासी ग्राम जूनिया आनन्दपुरा, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर का अभिकथन था कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय, आनन्दपुरा, तहसील केकड़ी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6544 / 3872 से अतिक्रमण नहीं हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी स्कूल, आनन्तपुरा विद्यालय की भूमि से अवैध अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(19)लोआस / 2021

परिवादी श्री बबलू सैनी पुत्र श्री कालूलाल सैनी, निवासी ग्राम छत्रपुरा, पोस्ट मोहनपुरा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि ग्राम छत्रपुरा के ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानीराम मीणा की मिलीभगत से पवन कुमार द्वारा आम रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत के उप सरपंच, सरपंच, वार्ड पंच, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक व गांव के मोतबीरों की उपस्थिति में प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(91)लोआस / 2019

परिवादी श्री ओमप्रकाश विश्नोई पुत्र श्री मानाराम विश्नोई, निवासी ग्राम पोस्ट उपरला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत उपरला में सरकारी कार्य योजनाओं के कार्यों में मनरेगा टांकों तथा ग्रेवल सड़क व स्वच्छ भारत मिशन में घटिया सामग्री का उपयोग कर सरकार को लाखों रूपयों का आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप वर्ष 2014–15 में ग्राम पंचायत उपरला में सरकारी कार्य योजनाओं एवं स्वच्छ भारत मिशन में घटिया सामग्री का उपयोग कर सरकार को लाखों रूपयों का आर्थिक नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में शिकायत की जांच के दौरान परिवादी को ग्राम विकास अधिकारी द्वारा समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन करवाया गया। जिससे परिवादी संतुष्ट पाया गया।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण किया गया।

एफ.12(115)लोआस / 2021

परिवादी श्री अमराराम पुत्र श्री रामाराम, निवासी रूगाणियों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत केशरपुरा, पंचायत समिति पाटोदी, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत टांका निर्माण कार्य में हुये घोटाले की निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के खेत का टांका निर्माण कार्य ग्राम पंचायत केसरपुरा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत हुआ था, जिसे वर्तमान में सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति कर मौके पर नियमित निरीक्षण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है एवं उक्त कार्य महात्मा गांधी नरेगा साईट पर भौतिक रूप से पूर्ण किया हुआ है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(46)लोआस / 2019

परिवादी श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जयराम शर्मा, निवासी 60, मलवा, टोंक रोड़, शिवदासपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये अमानत राशि नहीं लौटायी जा रही है।

इस सम्बन्ध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को धरोहर राशि लौटा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(117)लोआस / 2021

परिवादी श्री महेश कुमार पुत्र श्री झूंथाराम, निवासी मौहल्ला नवहालों का, वार्ड नं. 11, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अभिकथन था कि पड़ौसी नानगराम नवहाल के भूखण्ड में स्थित टीकर का पेड़ मेरे घर के ऊपर गिरने की संभावनाओं के चलते

तहसीलदार को पेड़ कटवाने हेतु प्रार्थना पत्र पर दिये आदेश की पालना नगरपालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पड़ौसी नानगराम नवहाल की भूमि में स्थित प्रश्नगत टीकर के पेड़ के सम्बन्ध में नगरपालिका, श्रीमाधोपुर द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करवाकर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(163)लोआस / 2017

परिवादी श्री रामजीलाल मीणा पुत्र श्री कंवरपाल मीणा, निवासी 25, महाराणा प्रताप कॉलोनी, जिला सवाईमाधोपुर का अभिकथन था कि भूखण्ड संख्या 111, महाराणा प्रताप कॉलोनी, सवाईमाधोपुर का पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा नियमानुसार जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(164)लोआस / 2015

परिवादी आगाज सेवा समिति (एनजीओ) जरिए सचिव अब्दुल वाहिद, पुराना पावर हाउस के सामने, डिस्पेन्सरी नम्बर 02 के पास, देवीपुरा रोड़, सीकर का अभिकथन था कि श्री दिलीप सोनी बी / 12, तोदी नगर, सांवली रोड़, सीकर द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 व 245 की अवहेलना कर, बिना स्वीकृति, बिना सेट बैक छोड़े, नक्शे के विपरीत दो मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सेटबैक में भूखण्डधारी द्वारा किये गये ग्राउण्ड व प्रथम मंजिल निर्माण को पूर्ण रूपेण हटवा दिया गया है। सेटबैक में किया गया अवैध निर्माण भी पूर्णतया हटवा दिया गया है।

इस प्रकार प्रश्नगत अवैध निर्माण के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(169)लोआस/2018

परिवादी श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल, निवासी अग्रवाल बेकर्स, बस स्टैण्ड, देवली, जिला टोंक का अभिकथन था कि श्रीमती शिखा जैन द्वारा आवासीय भवन में वोडाफोन का ऑफिस बनाकर आवासीय भूमि को व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में नगरपालिका, देवली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत आवासीय भवन में दुकान बन्द है तथा वोडाफोन का कारोबार संचालित नही हो रहा है। इसकी विडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी करवायी गई।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(295)लोआस/2018

परिवादी श्री फूलचंद सैनी पुत्र स्व0 श्री देवाराम सैनी, निवासी ग्राम ढ़ाणी राकड़िया की, वार्ड नम्बर 20, दिल्ली रोड़, शाहपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि नगरपालिका, शाहपुरा द्वारा वार्ड संख्या 20 एन.एच. 8, ढ़ाणी राकड़िया होकर गायत्री नगर जाजैखुर्द होकर वार्ड नम्बर 21 व अन्य ढ़ाणियों को जोड़ने वाले मुख्य सड़क को निर्माण के नाम पर खोद–खोदकर काम को रोक दिया गया।

इस सम्बन्ध में उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स कृष्णा कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी, शाहपुरा को

कार्यादेश दिया गया था जिसके क्रम में फर्म द्वारा सीसी सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(496)लोआस / 2017

परिवादी श्री सुरेश कुमार सैनी पुत्र श्री गगोली राम सैनी, निवासी वार्ड नम्बर 30, तीन गोदी, मौहल्ला कामां गेट, डीग, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि नगर पालिका, डीग द्वारा अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी करने के उपरान्त भी श्री शोभाराम द्वारा अपने मकान के आगे आम–रास्ते पर अतिक्रमण कर रास्ता बन्द कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिका, डीग द्वारा प्रश्नगत आम रास्ते के अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार आम रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(547)लोआस / 2018

परिवादी श्री एस.एन. गुप्ता पुत्र श्री एम.एल. गुप्ता, निवासी ए–17–ए, अनिता कॉलोनी, बजाज नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनकी दुकान के आगे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों द्वारा कचरा एकत्रित किया जा रहा है एवं दुकानों के आगे ऑटोवालों द्वारा अवैध पार्किंग की हुई है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा मार्केट व आस–पास के क्षेत्र में सफाई करवाकर कचरा उठवा दिया गया है एवं पुलिस आयुक्त,

यातायात, जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की दुकान के सामने खड़े ऑटो चालकों को समझाईश कर उक्त स्थान पर लगने वाले ऑटो को भविष्य में अन्य स्थान पर लगाने की हिदायत देते हुये ऑटो स्टैण्ड हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(762)लोआस/2015

परिवादी श्री श्रीचन्द महरिया पुत्र श्री कजोड़, निवासी भास्कर हार्डवेयर, मुकुन्दगढ़ रोड़, वार्ड नम्बर 15, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर का अभिकथन था कि श्रीमती प्रियंका बुड़ानिया, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ द्वारा रिश्वत लेकर सरकार को नुकसान पहुंचाकर शहर में अवैध निर्माण करवाये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती प्रियंका बुड़ानिया, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसका स्पष्टीकरण लेते हुये कार्यवाही ड्रोप की गई और हिदायत दी गई कि भविष्य में नगरपालिका हित के मामलों, राजस्व सम्बन्धी मामलों एवं आवश्यक प्रकरणों में उसके द्वारा त्वरित गति से निस्तारण कार्य सम्पन्न करवाया जावें।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(166)लोआस/2018

परिवादी श्री कैलाश चन्द, लक्ष्मी ट्रेडर्स, निवासी 27, विकास पथ, जिला अलवर का अभिकथन था कि आवासन मण्डल, अलवर द्वारा उनकी फर्म लक्ष्मी ट्रेडर्स के नाम से बनवाई हुई एफ.डी. की राशि भविष्य निधि के मद्दे रोक ली गई है और राशि नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी फर्म की सम्पूर्ण राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.30(12)लोआस/2017

परिवादी श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिवृत्त शर्मा, निवासी राजकीय सीनियर सैकेण्ड्री गर्ल्स स्कूल के सामने, पुराने पुलिस थाने के पास, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि उनकी पुत्री करिश्मा शर्मा एवं पूजा लवानियां को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की पुत्री करिश्मा शर्मा एवं पूजा लवानियां को नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.31(64)लोआस/2018

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री बसंतलाल गोयल, निवासी 8, राम कुटीर स्वामी, दयानन्द मार्ग, जिला अलवर का अभिकथन था कि तीन साल से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है एवं पिछले चार माह से तो एक बून्द पानी नहीं आया है। इस सम्बन्ध में जलदाय विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के निवास पर उच्च जलाशय से लगभग 50 से 55 मिनट की अवधि के लिये पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(5)लोआस / 2020

परिवादी श्री गुरभाग सिंह पुत्र श्री हरमंदर सिंह, निवासी वार्ड 2, केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि परविन्दर सिंह, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संगम द्वारा परिवादी का पानी काटकर गुरदीप सिंह के खाते में बांधा गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन, उत्तर खण्ड, श्रीगंगानगर द्वारा खण्ड कार्यालय में परिवादी व उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में बाराबंदी से मिलान किया गया। जिसके अनुसार परिवादी द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई।

इस प्रकार परिवादी की समस्या का निराकरण किया गया।

एफ.35(101)लोआस / 2016

परिवादी श्री रामबिलास गुर्जर पुत्र श्री बद्री लाल गुर्जर, निवासी ग्राम व पोस्ट ककोड़, तहसील उनियारा, जिला टोंक का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 1488 व 1489 जो सार्वजनिक तालाब की भूमि है, में पानी की आवक बन्द करवाकर कॉलोनी काट दी गयी है। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक, उपखण्ड अधिकारी, उनियारा एवं नायब तहसीलदार, बनेठा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप प्रश्नगत भूमि पर से अवैध प्लाटिंग के निशानात हटा दिये गये है एवं श्री गोलछा से वसूली योग्य राशि 4,19,898.82/— में से 2,76,069/— रू. की वसूली कर ली गई है एवं 1,43,829.82/— रु. के सम्बन्ध में प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(107)लोआस/2019

परिवादी श्री हरीश देवंदा पुत्र श्री मालीराम, निवासी मुकाम पोस्ट गोवास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था गैर मुमकिन नदी/नाला को अवरूद्ध कर नदी/नाला की भूमि पर अनधिकृत रूप से मिट्टी डालकर समतल कर अतिक्रमण कर लिये गये है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर एवं उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(394)लोआस/2018

परिवादी श्री रामलाल बैरवा पुत्र श्री गोपी बैरवा, निवासी ग्राम हाड़िकला, तहसील पीपलू, जिला टोंक का अभिकथन था कि मुकदमा संख्या 29/2018, थाना घाड़, जिला टोंक में पीड़ितों को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दूसरी किश्त की राशि नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दूसरी किश्त की राशि प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(410)लोआस/2018

परिवादी श्री रविन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र श्री हुकम सिंह परमार, निवासी ग्राम पोस्ट तसीमौं, तहसील सैंपऊ, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 2471 पर वर्ष 2010 में फर्जी पट्टे के आधार पर किये गये अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत तसीमौं द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बारानी गोखा सिवाय चक जमीन के जारी किये गये पट्टे को विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सैंपऊ द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(426)लोआस/2018

परिवादी श्री बाबूलाल शर्मा, निवासी 139, महाराणा प्रताप नगर, केशव विद्यापीठ, जामड़ोली, जिला जयपुर एवं श्री कैलाश चन्द गुप्ता पुत्र श्री ब्रजमोहन गुप्ता, निवासी पुरानी अनाज मण्डी, दौसा का अभिकथन था आपातकाल 1975 के विरोध में सत्याग्रह करने वाले बंधुओं को राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र सेनानी घोषित कर पेंशन का लाभ देने के आदेश की पालना में दौसा कलक्टर द्वारा 30 बंधुओं को लोकतंत्र सेनानी मानते हुये उनकी पेंशन स्वीकृति के आदेश दिय गये थे लेकिन इसके बावजूद भी डिप्टी डायरेक्टर, पेंशन विभाग श्रीमती दीपा गुप्ता द्वारा पेंशन आदेश जारी नहीं किये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के प्रकरणों का निस्तारण कर उनके पीपीओ, संबंधित कोषागार को भुगतान हेतु भिजवा दिये गये हैं।

इस प्रकार परिवादीं को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(431)लोआस/2018

परिवादी श्रीमती अनीता देवी चौहान पत्नी श्री छीतरमल चौहान, निवासी वार्ड नम्बर 23, धायल अस्पताल के पीछे, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर का अभिकथन था कि उनके आवासीय मकान के ऊपर से विद्युत उच्च वोल्ट (11 केवी) की लाईन हटवाई नहीं जा रही है जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रींगस, जिला सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लाईन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(3)लोआस / 2021

परिवादी श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री कुन्दन, निवासी खेड़ला बुजुर्ग, तहसील महुआ, जिला दौसा का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(19)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती चन्द्रकान्ता माथुर पत्नी स्व0 श्री भवानीशंकर माथुर, निवासी 117 / 420, थड़ी मार्केट, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उनके पति की मृत्यु उपरान्त उन्हें पारिवारिक पेंशन नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया भुगतान के साथ पारिवारिक पेंशन शुरू कर दी गयी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(51)लोआस / 2019

परिवादी श्री भंवरलाल गुर्जर पुत्र श्री तेजाराम गुर्जर, निवासी 20, विद्या पार्क नंबर 01, सेन्ट्रल स्कूल रोड़, एयरफोर्स, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(93)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व0 श्री प्रभुराम सैन, निवासी मुकाम पोस्ट पादूकलां, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें उनके पति की सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(110)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 श्री मदननाथ, निवासी जड़ाऊ कच्चा मार्ग, रियाबड़ी, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(164)लोआस/2019

परिवादी श्री चन्द्र शेखर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, निवासी ग्राम पोस्ट इन्द्रोका, वाया तिंवरी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कार्यालय, जोधपुर द्वारा परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(165)लोआस/2019

परिवादी श्री जगदीश चंद जोशी पुत्र श्री घीसुलाल जोशी, निवासी सुथारों का बास, पिपलिया कलां, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह जून 2022

एफ.3(414)लोआस / 2019

परिवादी श्री पूनमचंद जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन, निवासी आरटीआई कार्यकर्ता बटक भैरूपाड़ा, जिला बूंदी का अभिकथन था कि श्री कजोड़ सिंह एच.सी. संख्या 554 पुलिस थाना सदर द्वारा गलत रूप से चालान किया गया व सही राशि राज्य सरकार में जमा नहीं करवायी गयी।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी को सीसीए नियम 17 के तहत आरोप पत्र जारी कर, कार्मिक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रकरण निर्णीत कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(145)लोआस / 2021

परिवादी श्री हरीश कुमार पुत्र स्व0 श्री किशनलाल, निवासी ग्राम दूधवा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 189 / 2021 व 190 / 2021 पुलिस थाना पिलानी, झुंझुनू के अनुसंधान अधिकारी श्री सुभाष चंद लाम्बा द्वारा पद का दुरूपयोग, भ्रष्ट आचरण एवं विधि विरूद्ध कृत्य कर दोनों प्राथमिकियों का निष्पक्ष एवं विधि सम्मत अनुसंधान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 189 / 2021 में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 94 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 190 / 2021 में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 108 किता किये जाकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(42)लोआस / 2019

परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह जाट पुत्र श्री मानसिंह जाट, निवासी ग्राम नंगला देशवाल पोस्ट जाटोली (थून), तहसील डीग, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 462/18 थाना कुम्हेर, जिला भरतपुर में दर्ज दहेज–हत्या प्रकरण 304–बी के आरोपियों को घटना के छः माह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 462/18 पुलिस थाना कुम्हेर के मामले में अभियुक्तगण श्री मनोज, श्री किशनसिंह व श्रीमती चन्द्रवती को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाकर, उनके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(59)लोआस / 2018

परिवादी श्री राधेश्याम सैन पुत्र श्री गोपीचंद सैन, निवासी एजेंसी एरिया देवली, जिला टोंक का अभिकथन था कि उनकी पत्नी शीला सैन, जो कि राजकीय सेवा में थी, की आकस्मिक मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पुत्र को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार इस सचिवालय के हस्तक्षेप उपरान्त परिवादी को वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.9(7)लोआस / 2021

परिवादी श्री भंवरलाल पूनिया पुत्र स्व0 श्री सुगना राम, मैसर्स पूनिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी पड़िहारा, जिला चूरू का अभिकथन था कि मैसर्स पूनिया कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी को आवंटित कार्य से संबंधित बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता (पथ) एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स पूनिया कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को संबंधित बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.9(9)लोआस/2019

परिवादी श्री प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री सतीशचंद्र अग्रवाल, निवासी मकान नम्बर 70–ए, राजेन्द्र विहार, न्यू आकाशवाणी कॉलोनी, नयापुरा, जिला कोटा का अभिकथन था कि उनके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, कोटा में किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों के अंतिम बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के अंतिम बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(92)लोआस/2018

परिवादी श्री अमीलाल सुथार पुत्र श्री पूर्णराम सुथार, निवासी 6–डी–124, जय नारायण व्यास कॉलोनी, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि कृषि भूमि चक 8 एमएल नेतेवाला, जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 5 में मार्च 1969 से लिये गये विद्युत कनेक्शन को कनिष्ठ अभियंता व उनके स्टाफ द्वारा अनधिकृत रूप से 5 एमएल मुरब्बा नम्बर 101 के किला नम्बर 6 में शिफ्ट कर दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी अमीलाल सुथार ने अपने भाइयों से आपसी विवाद के कारण शिकायत की है। प्रकरण में कृषि कनेक्शन दो भाईयों के नाम से संयुक्त रूप में

जारी किया गया था। कनेक्शन के स्थान परिवर्तन से पूर्व अन्य नामधारी से सहमति ली जानी आवश्यक थी और चूंकि जहां पूर्व में कनेक्शन चल रहा था उसका भूमि स्वामित्व परिवादी अमीलाल का भी था इसलिए उसकी सहमति आवश्यक थी। जिसके लिये संबंधित सहायक अभियंता (ग्रामीण), श्रीगंगानगर द्वारा यह सहमति नहीं ली गई। सहायक अभियंता (ग्रामीण), श्रीगंगानगर के विरूद्ध विभागीय जांच की जाकर आरोप–पत्र जारी किया गया। सहायक अभियंता को भविष्य में सजग रहने की चेतावनी देते हुए उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

इस प्रकार इस सचिवालय के द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाकर अपचारी लोकसेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(101)लोआस / 2020

परिवादी श्री उमाराम रबारी पुत्र श्री जगमालजी रबारी, निवासी लुणोल, तहसील रेवदर, जिला सिरोही का अभिकथन था कि उनके पिता के नाम दर्ज भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सिरोही से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पिता के नाम से स्थित खातेदारी भूमि की राजस्व नक्शे में तरमीम कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(967)लोआस / 2016

परिवादी श्री संदीप भटैया पुत्र श्री सुबेसिंह, निवासी ग्राम झेरली, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम झेरली स्थित खसरा नम्बर 215 गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को स्थानीय प्रशासन को शिकायत किये जाने पर भी हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण को हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(304)लोआस/2019

परिवादी श्री शंकर लाल सुथार पुत्र श्री लक्ष्मण सुथार, निवासी ग्राम उपरेड़ा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत उपरेड़ा, पंचायत समिति बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा के सहायक सचिव गोपाल बैरवा एवं मेटो द्वारा मिलीभगत कर नरेगा में फर्जी हाजिरी भरकर राशि उठाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अप्रशिक्षित व कक्षा तीन उत्तीर्ण श्रीमती उदी/गोपाल बैरवा को नियम विरूद्ध मेट नियोजित किया जाकर अनियमित रूप से मस्टरोलों की भुगतान की गई राशि की वसूली कर, पंचायत समिति कार्यालय में जमा करवाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.30(19)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती मन्नीदेवी कुमावत पत्नी स्व0 श्री गोपीराम कुमावत, निवासी वार्ड नम्बर 1, दादू दयाल नगर, किशनगढ़ रेनवाल, जिला जयपुर का अभिकथन था कि सिलिकोसिस पीड़ित मृतक श्रमिक गोपीराम कुमावत की आश्रिता को सहायता राशि प्रदान नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारी के पंजीयन क्रमांक

बी14/2017/0001354 से विभागीय पोर्टल पर सिलिकोसिस योजना के तहत परिवादी को सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(138)लोआस/2021

परिवादी श्री नवीन प्रकाश शर्मा पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी गीता भवन आईपीएस स्कूल के पास, बम्भोर रोड़, अन्नपूर्ण कॉलोनी, जिला टोंक का अभिकथन था कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2016 (संशोधित) अंग्रेजी (एल 2) में चयन उपरान्त भी प्रार्थी की नियुक्ति में प्रशासन द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(236)लोआस/2017

परिवादी श्री रामखिलाड़ी जाटव पुत्र श्री हरमुख जाटव, निवासी गौलारा, तहसील मासलपुर, जिला करौली का अभिकथन था कि आराजी खसरा नम्बर 14/1 रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा झारखण्ड वाले वन भूमि पर अतिचार कर हरे वृक्षों को काटकर जमीन समतलीकरण कर बाउण्ड्री किया जाना बताते हुये भूमाफिया के चंगुल से उक्त भूमि को मुक्त नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर अतिक्रमियों को बेदखल कर अतिक्रमण हटा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(258)लोआस / 2015

परिवादी श्रीमती अन्नू कंवर पत्नी श्री भरत सिंह, निवासी 30, शिवपुरी कॉलोनी, कालवाड़ रोड़, झोटवाड़ा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि भूखण्ड संख्या 31, शिवपुरी कॉलोनी, कालवाड़ रोड़ में जिला एवं सेशन न्यायालय के आदेश के बावजूद नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं पुलिस प्रशासन से सांठगांठ कर भूस्वामी द्वारा बिना सेटबैक छोड़े अवैध रूप से बेसमेन्ट एवं व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में इस सचिवालय के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप प्रश्नगत भूखण्ड पर अवैध निर्माण के विरूद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गयी। भूखण्ड संख्या 31 के स्वामी द्वारा भूखण्ड संख्या 30 की ओर सेटबैक भी छोड़ दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(260)लोआस / 2019

परिवादी श्री डालूराम मीना पुत्र श्री छीतरमल मीना, निवासी ग्राम भगवतसर कांकरियां, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि तहसीलदार कोटखावदा के आदेश की पालना में मय पुलिस जाप्ता कोटखावदा के खसरा नम्बर 176, 521, 540, 541, 545, 546, 522–556 कुल क्षेत्रफल 5.54 हैक्ट. का सीमाज्ञान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर (भू अभिलेख), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा उक्त खसरों का परिवादी एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(14)लोआस / 2021

परिवादी श्री चिरनजी लाल शर्मा पुत्र स्व0 श्री श्याम लाल शर्मा, निवासी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ़ गुमान सिंह की आटा चक्की के पास, तहसील श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर का अभिकथन था कि भू अभिलेख निरीक्षक, तहसील बिग्गा, जिला डूंगरगढ़ के पद से सेवानिवृत हुआ किन्तु आदिनांक तक उनकी पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पीपीओ एवं सीपीओ स्वीकृत किया जाकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(15)लोआस / 2021

परिवादी श्री मोईनुद्दीन पुत्र श्री ख्वाज मोहम्मद, निवासी पावर हाऊस के पास, न्यू कॉलोनी, सावर, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(16)लोआस / 2021

परिवादी श्री घीसालाल शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट भीमड़ावार वाया कदेड़ा, जिला अजमेर का अभिकथन था उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(114)लोआस/2019

परिवादी श्री देवाराम चौहान पुत्र श्री प्रतापराम, निवासी मुकाम पोस्ट मोहराई, तहसील जैतारण, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(115)लोआस/2019

परिवादी श्री नरपत सिंह भाटी पुत्र श्री राम सिंह, निवासी ग्राम गोड़ावट, पोस्ट खवासपुरा, वाया पीपाड़ सिटी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(167)लोआस / 2019

परिवादी श्री विनोद कुमार दवे पुत्र श्री गंगाशंकर, निवासी ब्रह्मपुरी, रोहट, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(168)लोआस / 2019

परिवादी श्री जगदीश चंद्र जोशी पुत्र श्री काशीराम, निवासी मुकाम पोस्ट खौड़, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह जुलाई 2022

एफ.3(196)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती सत्यवती पत्नी श्री नवल सिंह, निवासी नगला पुढ़िया पंचायत समिति रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि उनके द्वारा दर्ज करवायी गई

प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा ना तो वाहन को जप्त किया जा रहा है और ना ही चालान न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना कारित बोलेरो संख्या आरजे–यूए 2047 को पुलिस द्वारा जप्त कर लिया गया है तथा वाहन चालक मानवीर सिंह के विरूद्ध धारा 279 व 304ए भा.दं.सं. का अपराध प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर चालान सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(132)लोआस/2018

परिवादी श्री मनोज कुमार शर्मा, निवासी बयाना दरवाजा, दत्तात्रेय मौहल्ला, वैर, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि बकाया यात्रा भत्ता बिल राशि लगभग 18000/– रूपये का 07 वर्षों से भुगतान लम्बित है किन्तु अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री मनोज कुमार की बकाया यात्रा भत्ता बिलों की राशि का भुगतान उसे कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.7(40)लोआस/2018

परिवादी श्री रविन्द्र सिंह जादौन मार्फत सचिन होटल एण्ड बार सालोदा, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर का अभिकथन था कि महूकलां, गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर में फर्जी तरीके से डीलर बने व्यक्ति श्री सुखवीर चौधरी, प्राधिकार पत्र संख्या 86/2016 के विरूद्ध जांच करा, कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जांच पश्चात् श्री सुखवीर सिंह चौधरी, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत महूकलां, तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(23)लोआस/2021

परिवादी श्री कैलाश चन्द मीना पुत्र श्री हीरालाल मीना, निवासी ग्राम पोस्ट चांदनहोली, तहसील बामनवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि उन्हें संस्थापन अधिकारी पद के वेतन का भुगतान एवं अधिशेष उपार्जित अवकाश का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के संस्थापन अधिकारी के पद के वेतन का भुगतान एवं अधिशेष उपार्जित अवकाश का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(9)लोआस/2019

परिवादी श्री जालम सिंह भाटी पुत्र श्री भवानी सिंह भाटी, निवासी भाटियों का बेरा, निंबलाना, जिला जालौर का अभिकथन था कि उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत दिये जा रहे ग्रुपवार घरेलु विद्युत कनेक्शन का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(27)लोआस / 2021

परिवादी श्री जयराम पुत्र श्री मालाराम, निवासी मुकाम पोस्ट तौगडां कलां वाया डूमरा, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि कृषि कनेक्शन हेतु सभी राशि / डिमाण्ड राशि आदि जमा करवाने के बावजूद भी कृषि कनेक्शन जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता (योजना), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(321)लोआस / 2021

परिवादी श्री मुरारी पुत्र श्री हीरा, निवासी कालीमाटी मुहाल, तहसील शाहबाद, जिला बारां का अभिकथन था कि परिवादी को आवंटित खसरा संख्या 208 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा भूमि को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में नाम इन्द्राज नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को आवंटित भूमि का राजस्व–रिकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में अमल दरामद किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(335)लोआस / 2021

परिवादी श्री नरपत सिंह पुत्र स्व0 श्री नारायण सिंह, निवासी 316, हनुवन्त ए सेक्टर बीजेएस कॉलोनी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम सिलारी के राजस्व खाता संख्या 117 की खातेदारी भूमि में से प्रत्येक उतराधिकारी के भूमि हिस्से 2.08 हैक्टेयर में से 0.42 हैक्टेयर भूमि घटा दी गयी, प्रश्नगत भूमि बिना किसी

बेचान/हस्तान्तरण किये ही, प्रत्येक खातेदार की भूमि में से कुल 1.26 हैक्टेयर की हानि पहुंचायी गयी।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार पीपाड़ ने राजस्व–रिकार्ड में आवश्यक संशोधन कर दिया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(434)लोआस/2019

परिवादी श्री सुरेश कुमार देवासी पुत्र श्री चेनाराम, निवासी ग्राम सामराणी, पोस्ट कोड़का तहसील रानीवाड़ा, जिला जालौर का अभिकथन था कि गौचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में मुकदमा संख्या 114/19 न्यायालय रानीवाड़ा, जिला जालौर राजस्थान पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किये जाने पर भी पटवारी व आर.आई. द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जालौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, रानीवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 114/2019 में पारित आदेश की पालना करते हुये प्रश्नगत भूमि पर से केबिन को हटवाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(441)लोआस/2015

परिवादी श्री नारायणदास पुत्र श्री शिवनाथ राय, निवासी वार्ड नम्बर 2, श्रीकरणपुर, गंगानगर का अभिकथन था कि श्री हरजीत सिंह हुन्दल द्वारा पंचायत समिति श्रीकरणपुर के विकास अधिकारी के पद पर रहते हुए राजकीय राशि का गबन किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार निलम्बित लोकसेवक श्री

हरजीत सिंह हुन्दल से गबन की राशि में से नियमानुसार अधिकांश राशि की वसूली की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(538)लोआस / 2018

परिवादी श्री श्रवण कुमार शर्मा पुत्र श्री शम्भुलाल शर्मा, निवासी राणाजी का गुढ़ा, तहसील बिजोलिया, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि राजकीय भूमि खसरा नम्बर 471, गांव गुढ़ा, तहसील बिजोलिया, भीलवाड़ा पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर उसके खेत में जाने का रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(587)लोआस / 2018

परिवादी श्री ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री हीरालाल महाजन, निवासी राहुवास, तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा का अभिकथन था कि एन.एच. 11 चौड़ाईकरण में व्यावसायिक एवं आवासीय पट्टा होने के बावजूद अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को व्यावसायिक दर से मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(96)लोआस / 2017

परिवादी श्री विनोद कुमार मेघवाल पुत्र श्री मूलाराम मेघवाल, निवासी डूंगरसिंहपुरा, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि मेरे मकान के सामने सार्वजनिक

भूमि पर पड़ौसी श्री नत्थूराम ने ग्राम पंचायत डूंगरसिंहपुरा के सरपंच व सचिव की शह पर अतिक्रमण कर कमरे का निर्माण कर लिया है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(794)लोआस / 2017

परिवादी सुश्री सुमन मीणा पुत्री श्री गिर्राज प्रसाद, निवासी ग्राम खेड़ली, पोस्ट देवती, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि उन्हें शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि एवं राशन का गेहूं नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय जिला परिषद, अलवर द्वारा परिवादी के परिवार को शौचालय प्रोत्साहन की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.15(10)लोआस / 2019

परिवादी श्री जीधराज भील पुत्र स्व0 श्री नाथूलाल, निवासी नमाना रोड़, तहसील व जिला बून्दी का अभिकथन था कि उन्हें उनकी स्वर्गीय माता कालीबाई की पीएल की बकाया राशि का भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को पीएल राशि का नकद भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(76)लोआस / 2021

परिवादी श्री ख्वाज मोहम्मद पुत्र श्री हमीद खां उर्फ उम्मेद खां, निवासी प्लाट नम्बर 63बी, रानी कॉलोनी, नीलकण्ठ मंदिर के पास, झोटवाड़ा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि मौहल्ला निर्बाणान वार्ड नम्बर 22 कस्बा सांभर में सरकारी रास्ते की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर डण्डा निर्माण किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(157)लोआस / 2016

परिवादी श्री एच एस मेहता, निवासी 104, एलआईसी कॉलोनी, वैशाली नगर, जिला अजमेर का अभिकथन था कि परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना एवं राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, जयपुर द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करके एवं परिवादी को अनुचित हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अपनी पदीय शक्तियों का दुरूपयोग कर अजमेर विकास प्राधिकरण की अनुशंषा के बाद भी परिवादी को देय भुगतान का अनुमोदन नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में सचिवालय द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप परिवादी फर्म द्वारा किये गये प्रश्नगत कार्य के संदर्भ में अंतिम बिल का राज्य सरकार के स्तर का भुगतान किया जाकर सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। केवल केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि 4.31 करोड़ रूपये का भुगतान शेष है जिसके लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र एवं अर्द्धशासकीय–पत्र लिखे जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को राज्य सरकार के स्तर पर वांछित अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(239)लोआस/2018

परिवादी श्रीमती अणसी देवी कालमा पत्नी श्री खेताराम कालमा, निवासी भील बस्ती, कलमा भवन, शिव चौराहा, बालोतरा, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि बाड़मेर शहर के कीर्ति नगर में प्लॉट संख्या 35 व 36 श्रीमती अणसी देवी पत्नी खेताराम भील के नाम से दो पत्रावलियां तैयार कर पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किये जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में नगर परिषद, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को आवासीय पट्टा फ्री होल्ड कृषि भूमि नियमन के तहत जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(550)लोआस/2018

परिवादी श्रीमती केसरदेवी धोबी पत्नी श्री रामस्वरूप, निवासी मोदी मौहल्ला, वार्ड नम्बर 10, टोड़ारायसिंह, जिला टोंक व अन्य निवासियों का अभिकथन था कि टोड़ारायसिंह में प्रश्नगत नाला पूर्वजों के समय से बना हुआ है जिसमें पानी की निकासी में कोई समस्या नहीं है। अतः उस पर सड़क का निर्माण किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये परिवाद में ग्रामवासियों द्वारा नाले के स्वरूप को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गई।

इस सम्बन्ध में उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका, टोड़ारायसिंह द्वारा सी0सी0 रोड़, निर्माण कार्य शुरू किया गया था किन्तु मौहल्लावासियों द्वारा विरोध करने पर मैसर्स चिराग कन्स्ट्रक्शन के कार्यादेश को निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(20)लोआस / 2019

परिवादी श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री पूरन चंद जैन, निवासी सेल टैक्स ऑफिस के पास, वर्धमान नगर, हिण्डोन सिटी, जिला करौली का अभिकथन था कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित नीलामी में व्यावसायिक भूखण्ड क्रय किया था तथा भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त लीज सहित तथा पट्टे से संबंधित स्टाम्प व कागजी कार्यवाही भी पूर्ण कर विभाग में जमा करा दी किन्तु पट्टा व भूखण्ड प्राप्त नहीं हुआ है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को प्लाट संख्या ई–1, पत्रकार कॉलोनी, कार्नर प्लाट का कब्जा, पट्टा इत्यादि प्रदान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(132)लोआस / 2019

परिवादी श्री साबिर हुसैन पुत्र श्री अहमद हुसैन, निवासी रायपुरा चौराहा, डीसीएम रोड़, रायपुरा, जिला कोटा का अभिकथन था कि पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध इस्तगासा पेश कर पुलिस थाना कैथून में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 172/2019 दर्ज करायी किन्तु अनुसंधान अधिकारी श्री निरंजन सिंह द्वारा मुलजिमान से सांठगांठ कर उसके मुकदमे में एफआर लगा दी। अतः तहसीलदार लाड़पुरा श्री कालूलाल जांगिड़, भू–अभिलेख निरीक्षक श्री जगदीश शर्मा एवं अनुसंधान अधिकारी श्री निरंजन सिंह, थाना कैथून, कोटा के विरूद्ध पद का दुरूपयोग कर मुलजिमान को सदोष लाभ पहुंचाने व अवैध पारितोषण प्राप्त कर भ्रष्टाचार करने के सम्बन्ध में कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गई।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चूंकि परिवादी द्वारा पहले ही एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी थी इसी लिये तहसीलदार द्वारा पुनः एफआईआर नही करवाई गई। परिवादी ने अपनी

समस्या का निराकरण होने सम्बन्धित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और वह अब परिवाद में अन्य कोई कार्यवाही नही चाहता है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(162)लोआस / 2019

परिवादी श्री गोविन्द सिंह मांगलिया पुत्र श्री इंद्र सिंह, निवासी चांदपोल चौका, हनुमान मंदिर के पीछे, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(215)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती संतोष घंवर पुत्री श्री मोहनलाल, निवासी मकान नम्बर 16 / 18, बड़े पोस्ट ऑफिस के पीछे, पुरानी मंडी, चूड़ी बाजार, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(388)लोआस / 2018

परिवादी श्री हरीश कुमार देवंदा पुत्र श्री मालीराम देवंदा, निवासी ग्राम पोस्ट गोदावास, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था कि नगरपालिका के वार्ड नम्बर 24, गोपाल गौशाला के सामने खाली पड़ी सरकारी जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर दुकान का निर्माण करवाने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(3)लोआस / 2020

परिवादी श्रीमति उमी देवी पत्नी श्री बालूराम चौधरी, निवासी गांव पोस्ट कपुरियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(9)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती कमला व्यास पुत्री श्री गोरधन दास व्यास, निवासी 4 एफ / 31, न्यू पावर हाऊस रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(10)लोआस/2021

परिवादी श्री प्रदीप कुमार मिश्रा पुत्र श्री महेश चन्द्र मिश्रा, निवासी 25 ए, कमला नेहरू नगर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(11)लोआस/2021

परिवादी श्री धनराज पंवार पुत्र श्री कालूराम, निवासी नयों का बास, फलोदी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(21)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद, निवासी मकान नम्बर 70, करण सिंह की चाली, रेलवे स्टेशन रोड़, पाली मारवाड़, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(76)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती खातून बानू पत्नी श्री मोइनुद्दीन कुरेशी, निवासी बस स्टैण्ड रियांबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(107)लोआस / 2019

परिवादी श्री भंवर सिंह भाटी पुत्र श्री कुशाल सिंह, निवासी ग्राम थरासणी, पोस्ट मेव, तहसील सोजत, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(109)लोआस/2019

परिवादी श्री गंगाराम पुत्र श्री रूपाराम, निवासी ग्राम पोस्ट खारियानींव, तहसील सोजत, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(113)लोआस/2019

परिवादी श्री प्रेमसुख सुथार पुत्र श्री देवीलाल सुथार, निवासी रामदेवजी मंदिर के पास, ग्राम पोस्ट खौड़, वाया–रानी, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(119)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह आसायछ, निवासी प्लॉट नम्बर 83, आर.के. नगर, बी.आर. बिड़ला स्कूल के सामने, पुरानी झंवर रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(128)लोआस/2019

परिवादी श्री अब्दुल वाहिद पुत्र श्री अब्दुल गफूर, निवासी टॉकिज के पीछे, गुरूद्वारा रोड़, बॉटम लाखेरी, पोस्ट लाखेरी, जिला बूंदी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(140)लोआस/2019

परिवादी श्री मांगीलाल विक्रम पुत्र श्री मोडाराम विक्रम, निवासी मकान नम्बर 6, संजय स्मृति, जोधपुर कैन्ट स्टेशन के सामने, जमना नगर, बनाड़ रोड़, जिला जोधपुर

का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(144)लोआस / 2019

परिवादी श्री भंवरलाल पालीवाल पुत्र श्री देवीलाल पालीवाल, निवासी मुकाम पोस्ट झीतड़ा, तहसील रोहट, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(151)लोआस / 2019

परिवादी श्री दयाल सिंह पुत्र श्री गंगासिंह, निवासी पहाड़गंज द्वितीय बिजली घर के पीछे, लालसागर, मण्डोर रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(156)लोआस / 2019

परिवादी श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री छोगा लाल, निवासी मुकाम पोस्ट रामसर वाया नसीराबार, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(166)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती राजकुमारी शर्मा पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा, निवासी सांकड़ी गली, सेवकों का बास, सोजत सिटी, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(170)लोआस / 2019

परिवादी श्री मल्लाराम मेघवाल पुत्र श्री धुलाराम, निवासी ग्राम डूकिया, पोस्ट भंवाल, तहसील रियांबडी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(187)लोआस / 2019

परिवादी श्री शम्भू सिंह राठौड़ पुत्र श्री भैरू सिंह, निवासी ठिकाना–बाली पोस्ट–माण्डा वाया सोजत रोड़, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अगस्त 2022

एफ.3(220)लोआस / 2019

परिवादी श्री दीपचंद पुत्र श्री घांसीलाल, निवासी ग्राम व पोस्ट मंडावर, तहसील असनावर, जिला झालावाड़ का अभिकथन था कि उसकी गाड़ी (बोलेरो) अज्ञात व्यक्ति चुराकर ले गए। पुलिस थाना मण्डावर में रिपोर्ट करवाने गया तो थानाधिकारी श्री रमेश चंद मेरोठा व एएसआई श्री दिनेश कुमार ने उसके और उसके पुत्र के साथ मारपीट की तथा धमकी दी कि यह बात किसी को बतायी तो जेल में बन्द कर देंगे।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, झालावाड़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा अपनी बोलेरो चोरी हो जाने पर पुलिस थाना

मण्डावर पर प्रकरण संख्या 85/2019 अन्तर्गत धारा 379 भादसं. में दर्ज करवाया था जिसमें शक के आधार पर परिवादी श्री दीपचंद के पुत्र श्री महावीर से पूछताछ की गयी। श्री महावीर के साथ किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। परिवादी की गाड़ी मिल गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(56)लोआस/2019

परिवादी श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री लीलाराम शर्मा, निवासी भगवती कॉलोनी, बयाना, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि संचालक, मेरीगोल्ड पब्लिक स्कूल, बयाना, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना विद्यालय भवन को बार–बार बदलता रहता है। उक्त विद्यालय का कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया है। उक्त विद्यालय का स्वयं का भवन तथा क्रीड़ास्थल नहीं है जबकि विद्यालय के विद्यार्थियों के लिये यह आवश्यक है। उक्त विद्यालय के संचालक द्वारा कथित विद्यालय का संचालन भवन में नहीं कर, भवन में चल रहे नृसिंह, आईटीआई प्रा.लि. के विद्यार्थियों के उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के नियम 7(2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मेरी गोल्ड पब्लिक स्कूल बयाना, भरतपुर की माध्यमिक स्तर कक्षा 9 व 10 क्रमोन्नति वर्ष 2022–23 व 2023–24 हेतु निलम्बित कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(40)लोआस/2019

परिवादी श्री रामफूल मीणा एवं अन्य, निवासी ग्राम बालाहेड़ी, तहसील महवा, जिला दौसा का अभिकथन था कि ग्राम बालाहेड़ी में खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50

हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम सिवायचक में पटवारी मनीषा गुर्जर द्वारा कथित रूप से रिश्वत लेकर न्यायालय का स्टे आदेश होने के बावजूद अवैध दुकानों का निर्माण किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(111)लोआस / 2018

परिवादी श्री हरीश कुमार जाट पुत्र श्री सतपाल जाट, निवासी 93–बी, अर्नियावाली सिरसा (हरियाणा) का अभिकथन था कि उनके स्वर्गीय पिता श्री सतपाल ने ग्राम कुम्भासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के खसरा नम्बर 30 व 31 में कुल 24.06 बीघा, मूल खातेदार केशुराम से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 191 दर्ज कर दिया गया था। उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध विक्रेता केशुराम ने एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर), बीकानेर के समक्ष प्रकरण संख्या (5) 18 / 1986 उनवानी केशुराम बनाम सतपाल प्रस्तुत की, जिसका निर्णय कर अपील निरस्त कर दी गई है। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील आदि नहीं होने से यह निर्णय अंतिम हो गया।

इसी दौरान सन् 1986 में सरकार द्वारा सेना के लिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बनाई गई व लूणकरणसर तहसील के 34 गांवों को मुआवजे के साथ–साथ कृषि योग्य भूमि भी दी गई, लेकिन तत्समय स्व0 श्री सतपाल की भूमि का मामला न्यायालय में लम्बित होने के कारण उन्हें न तो मुआवजा दिया गया, न ही भूमि दी गई।

परिवादी के पिता स्व0 श्री सतपाल ने अपने जीवनकाल में ही मुआवजा प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर, बीकानेर, जिनके पास मुआवजा जमा है, के समक्ष प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत कर दिया था और समस्त वांछित दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिये थे, परन्तु आज दिनांक तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त उपनिवेदशन, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री हरीश कुमार जाट को चक 5 आर.एम. में 12 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(137)लोआस / 2017

परिवादी श्री लल्लूराम खंगार पुत्र श्री भंवरलाल खंगार, निवासी ग्राम अलीगढ़, राजकीय स्कूल के पास, तहसील उनियारा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें भू–अभिलेख निरीक्षक, तहसील पीपलु, जिला टोंक के पद से सेवानिवृत्ति के 23 माह पश्चात भी पेंशन नहीं दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पेंशन प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(57)लोआस / 2018

परिवादी श्री गिर्राज प्रसाद मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा, निवासी ग्राम पंचायत थली, पंचायत समिति जमवारामगढ़, जिला जयपुर द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर अभिकथन किया गया कि नियम विरूद्ध पट्टे जारी किये जाने के दोषी लोक सेवकगण अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर श्रीमती अनिता चौधरी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जमवारामगढ़ श्री राजेश मीना एवं जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत, थली के पूर्व सरपंच श्री मोहनलाल मीणा के द्वारा नियम विरूद्ध पट्‌टे जारी किये जाने से संबंधित प्रकरण में उसे दोषी पाये जाने पर पांच वर्ष तक की अवधि हेतु चुने जाने के लिये अपात्र घोषित किया गया है। तत्कालीन ग्राम सेवक भी दोषी पाया गया परन्तु उसकी मृत्यु हो चुकी है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम विरूद्ध जारी 412 पट्‌टों के विरूद्ध प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष अपील पेश की जा चुकी है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया कि 41 पट्‌टों के निरस्तीकरण हेतु अतिरिक्त कलक्टर–प्रथम, जयपुर के समक्ष निगरानी दायर की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(96)लोआस / 2020

परिवादी श्री रामुराम मेघवाल पुत्र श्री चेतनाराम मेघवाल, निवासी ग्राम सडु बड़ी, तहसील बीदासर, जिला चूरू का अभिकथन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 2017–18 व 2019 में शौचालय बनाया था, लेकिन शौचालय की राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की पत्नी श्रीमती सोनादेवी के नाम शौचालय की स्वीकृति पूर्व में ही जारी की जा चुकी थी। संचालन पोर्टल अपडेशन की प्रक्रिया में होने के कारण भुगतान नहीं हो सका था। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सडू छोटी की रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की पत्नी को शौचालय का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(183)लोआस/2021

परिवादी श्रीमती लतेश देवी पत्नी श्री गजराज सिंह, निवासी ढ़ाणी बाल की तन रामसिंह की ढ़ाणी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था कि मेरी सास श्रीमती अन्तर देवी की वृद्धावस्था पेंशन की राशि अवैध तरीके से बन्द कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्रीमती लतेश देवी की सास श्रीमती अन्तर देवी की वृद्धावस्था की पेंशन पुनः चालू कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(509)लोआस/2018

परिवादी श्री मुकेश जांगिड़ पुत्र श्री रामस्वरूप खाती, निवासी ग्राम देवड़ावास, तहसील दूनी, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम देवड़ावास में सरस डेयरी के सामने 35 फीट चौड़े रपटे का निर्माण पंचायत प्रशासन द्वारा करवाया गया था जिसमें तालाब की ओर से अतिक्रमण करते हुए पीछे की तरफ रपट की चौड़ाई मात्र 10 फीट रखी गई है। उसमें भी मिट्टी डाल रखी है, जिससे गांव के पानी की निकासी पूर्णतः बन्द हो गई है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत देवड़ावास द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(521)लोआस/2018

परिवादी श्री भंवरसिंह राजपूत पुत्र श्री चैनसिंह राजपूत, निवासी पृथ्वीराजसिंह नगर पोस्ट व ग्राम पंचायत बामणु, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत समिति फलौदी की ग्राम पंचायत बामणू के राजस्व ग्राम पृथ्वीराज सिंह नगर में अपात्र व्यक्तियों के नाम प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्तर्गत चयनित है।

इन लोगो के पक्के मकान पहले से ही बने हुए है, इसलिए ये लोग प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। इसलिए इनका नाम चयनित सूची में से हटाया जाए।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत 11 प्रार्थियों को जांच में अपात्र पाये जाने पर विधिवत प्रक्रिया के तहत उनके नाम वरीयता सूची में से हटा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(545)लोआस / 2015

परिवादी श्री लालचन्द शर्मा पुत्र श्री रघुनाथ शर्मा, निवासी मुकाम पोस्ट घाटोली, तहसील रामंगजमण्डी, जिला कोटा का अभिकथन था कि श्रम न्यायालय, कोटा द्वारा पारित अवार्ड, 2002 की पालना विकास अधिकारी, पंचायत समिति खेराबाद जिला रामगंज मण्डी, कोटा द्वारा नहीं की गई एवं परिवादी को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई।

इस सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्री लालचन्द को उसके वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर से राशि का भुगतान कर दिया गया।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(19)लोआस / 2019

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार बुनकर पुत्र स्व0 श्री सेडूराम, निवासी वार्ड नम्बर 10, शिव मंदिर के पास, बुनकर मौहल्ला, चौमू, जिला जयपुर का अभिकथन था कि वसीयत के आधार पर उसकी पैतृक संपत्ति का नामान्तकरण स्थानान्तरण अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, चौमू द्वारा नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी की पैतृक संपत्ति का हस्तान्तरण पत्र उसके नाम जारी हो जाने से परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(173)लोआस/2016

परिवादी श्री ओमप्रकाश गनेरिया पुत्र श्री रतन लाल गनेरिया, निवासीः ई–16–यू आईटी, क्वार्टर गोपालपुरा रोड़, शास्त्री नगर, जिला भीलवाडा का अभिकथन था कि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा की बैठक में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कोटे से रियायती दर पर भूखण्ड प्रदान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यास की विजयसिंह पथिक नगर योजना में भूखण्ड का आवंटन कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(65)लोआस/2021

परिवादी श्री जयसिंह पुत्र श्री गुगन सिंह, निवासी ग्राम रेबारी बास, पोस्ट जनाउ खारी, तहसील राजगढ़, जिला चूरू का अभिकथन था कि ग्राम रेबारी बास के सार्वजनिक चौक एवं रेबारी बास से नीमां जाने वाले सार्वाजनिक रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरू एवं अति0 जिला कलक्टर, चूरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(86)लोआस / 2021

परिवादी श्री भंवरलाल पालीवाल पुत्र श्री गोरधन लाल, निवासी पोस्ट बारनाऊ वाया पिलवा, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(144)लोआस / 2020

परिवादी श्रीमती प्रेमलता शर्मा पत्नी स्व0 श्री आदित्य चन्द्रा शर्मा, निवासी 1154, चम्पावत जी का मंदिर, जौहरी बाजार, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उसके ईलाज (अस्थमा सम्बन्धी बीमारी) के बिलों को पुनर्भरण हेतु, चिकित्सा पुनर्भरण बिल कोषालय, जयपुर को प्रस्तुत किया तो उन्होंने बिलों को आपातकालीन प्रकृति का नहीं होना बताते हुये वापस लौटा दिया है व बिलों का पुनर्भरण नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला सचिव एवं कोषाधिकारी, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी श्रीमती प्रेमलता शर्मा को चिकित्सा पुनर्भरण बिल का नियमानुसार भुगतान कार्यालय द्वारा संबंधित बैंक खाते में कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.45(37)लोआस / 2018

परिवादी श्री आसिफ शकूर खान पुत्र स्व0 श्री हामिद शकूर खान, निवासी इमामबाड़ा पुरानी टोंक, जिला टोंक का अभिकथन था कि खसरा संख्या 381 वाके ग्राम

रसूलपुरा, जिला टोंक में ठेकेदार द्वारा अनियंत्रित रूप से नियम विरूद्ध खनन करके खान विभाग के लोकसेवक खनि अभियंता, टोंक व तहसीलदार टोंक की मिलीभगत से भूमि का स्वरूप बिगाड़कर राज्य सरकार को राजस्व हानि पहुंचाई गई।

इस सम्बन्ध में सहायक खनि अभियंता, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 381 में पुराने खनन पिट अनियमित आकार में होने पाये गये, जिनमें वर्तमान में किसी प्रकार का खनन होना नही मिला। मौके पर घास–फूस उगी हुई है जिसे आस–पास के ग्रामीणों द्वारा पशु चराने के उपयोग में लिया जा रहा है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(14)लोआस / 2022

परिवादी श्री देदाराम पुत्र श्री केसाराम, निवासी ग्राम ओमपुरा पोस्ट जाखण वाया चाड़ी, तहसील बापिणी ओसियां, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(29)लोआस / 2021

परिवादी श्री ओमप्रकाश सिसोदिया पुत्र श्री गिरधारीलाल सिसोदिया, निवासी राठौड़ मार्केट, सूर्या कॉलोनी बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(32)लोआस / 2021

परिवादी श्री मोहनलाल पुत्र श्री चुन्नी लाल, निवासी सरगरों का बड़ा बास, बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(103)लोआस / 2019

परिवादी श्री अमर सिंह पुत्र श्री जीराम, निवासी ग्राम शेरपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(116)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती सरिता दवे पत्नी श्री पुरूषोत्तम शर्मा, निवासी 46, महावीर नगर, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(118)लोआस/2019

परिवादी श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपालसिंह, निवासी प्लाट नम्बर 83 आर.के. नगर, बी.आर. बिड़ला स्कूल के सामने, पुरानी झंवर रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(120)लोआस/2019

परिवादी श्री भूपसिंह ढ़ाका पुत्र श्री मालाराम, निवासी ग्राम जगासरी, बड़ी पोस्ट मुंडड़िया बड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(122)लोआस / 2019

परिवादी श्री हस्तीमल शर्मा पुत्र श्री शंकरलाल, निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला, मुकाम व पोस्ट रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(126)लोआस / 2019

परिवादी श्री चंद्र सिंह चौधरी पुत्र श्री करण सिंह, निवासी 46, जमुना विहार, दादीधाम रोड़, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(130)लोआस/2019

परिवादी श्री जब्बरसिंह गोयल पुत्र श्री विजयसिंह, निवासी मुकाम व पोस्ट मालियों की हथाई, जैतारण, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(133)लोआस/2019

परिवादी श्री हीरा सिंह चौधरी पुत्र श्री गुमानराम, निवासी डी–234, सरस्वती नगर, बासनी प्रथम चरण, जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(134)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती सौदामिनी नागर पत्नी श्री श्याम बिहारी शर्मा, निवासी एफ–103, महिमा पनॉश, जगतपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(155)लोआस / 2019

परिवादी श्री चैनसिंह खींची पुत्र श्री धोकल सिंह, निवासी 3–डी–12, न्यू हाऊसिंग बोर्ड, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(162)लोआस / 2019

परिवादी श्री कुईया राम पुत्र श्री हनाराम, निवासी मुकाम व पोस्ट उण, तहसील आहोर, जिला जालौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(163)लोआस/2019

परिवादी श्री हरजीराम मेघवाल पुत्र श्री कुपाराम, निवासी ग्राम व पोस्ट खारड़ा, तहसील राणी वाया नाडोल, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(169)लोआस/2019

परिवादी श्री जयसिंह पुत्र श्री लेखूराम, निवासी मुकाम व पोस्ट बैरासर छोटा, तहसील राजगढ़, जिला चूरू का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(185)लोआस/2019

परिवादी श्री रतन लाल सियाग पुत्र श्री नारायण राम, निवासी ग्राम व पोस्ट रूदिया वाया भोपालगढ़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह सितम्बर 2022

एफ.3(61)लोआस / 2018

परिवादी श्री सुर्जन सिंह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, निवासी खेरली रेल, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि पुलिस थाना, खेड़ली, जिला अलवर पर भारत बन्द के दौरान दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 149 / 2018 में उसे गलत तरीके से शामिल किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 149 / 2018 में बाद अनुसंधान कुल 21 अभियुक्तगण महेन्द्र व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 149, 283, 332, 336 भादसं. में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं परिवादी सुरजन सिंह सहित कुल 11 के विरूद्ध लम्बित अनुसंधान को विड्रा (बन्द) किया गया है एवं राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(68)लोआस / 2018

परिवादी श्री गोपाल परेवा पुत्र श्री मूलाराम, निवासी खेरलीरेल, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि पुलिस थाना, खेड़ली, जिला अलवर पर भारत बन्द के दौरान दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 149 / 2018 में उसे गलत तरीके से शामिल किया गया।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण संख्या 149/2018 में बाद अनुसंधान कुल 21 अभियुक्तगण महेन्द्र व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147, 149, 283, 332, 336 भादसं. में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं परिवादी गोपाल परेवा व अन्य कुल 11 के विरूद्ध लम्बित अनुसंधान को राज्य सरकार द्वारा वापस लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(95)लोआस/2021

परिवादी श्रीमती जाटा देवी पत्नी स्व0 श्री लखाराम, निवासी मूंडिया रामसर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि पुलिस थाना भांकरोटा, जिला जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 217/2021 में निष्पक्ष अनुसंधान करवाने तथा अनुसंधान पुलिस थाना भांकरोटा के किसी उच्चाधिकारी से करवाई जावे। उसने यह भी आरोप लगाया कि अनुसंधान अधिकारी श्री मुकेश चौधरी के विरूद्ध पदीय कर्त्तव्य का दुरूपयोग कर भ्रष्टातापूर्वक आचरण की जांच कर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), आयुक्तालय, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 217/2021 पुलिस थाना भांकरोटा में आरोप पत्र संख्या 167/2021 सक्षम न्यायालय में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(270)लोआस/2021

परिवादी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री गायड़ सिंह भाटी, निवासी बम्बई क्वाटर्स चौखा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि एक फर्जी बैंक वाला बनकर उसे लोन देने के बहाने उससे 35,000/— रू. धोखाधडीपूर्वक प्राप्त कर लिये। उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्यवाही नहीं गयी है।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त, जोधपुर (पश्चिम) से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के पिता श्री गोपाल सिंह भाटी ने थाने में रिपोर्ट दी थी। श्री अशोक कुमार नाम के व्यक्ति को लोन कराने के नाम से 35,000/– रू. पेटीएम से दिये थे। रिपोर्ट देने के बाद अशोक ने 10,000/– रू. वापिस दे दिये और बाकी रूपये भी देने को बोल रहा है। परिवादी के पिता पुलिस कार्यवाही से संतुष्ट है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.6(3)लोआस/2021

परिवादी डॉ. योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचरण लाल शर्मा, निवासी प्लॉट संख्या 52/48, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि पेंशन प्रकरण में पूर्व प्राचार्य डॉ. राजेन्द्र जोशी, प्राचार्य डॉ. किरण शुक्ला एवं श्री महेन्द्र पठिहीर, सहायक लेखाधिकारी ने आपस में सांठ–गांठ कर परिवादी के पेंशन कुलक प्रकरण के निपटान हेतु रू. 30,000/– की मांग की है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त कार्मिकों द्वारा पेंशन प्रकरण में आक्षेप लगाकर अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पेंशन प्रकरण, पेंशन विभाग भिजवा दिया गया है तथा उसके 6 यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(40)लोआस/2019

परिवादी श्री बंशीलाल मेघवाल पुत्र श्री गिरधारीराम, निवासी ग्राम व पोस्ट कारोला, तहसील सांचोर, जिला जालौर का अभिकथन था कि बिना विद्युत कनेक्शन एवं बिना मीटर लगाये विद्युत बिल जारी किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेश, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के घर के निकट स्थित पोल पर मीटर स्थापित कर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही परिवादी की सिर्फ स्थाई शुल्क की राशि यथावत रखते हुए बिलों का संशोधन कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(299)लोआस/2019

परिवादी श्री श्रवणलाल जाट पुत्र श्री महरूराम जाट, निवासी ग्राम पुनाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि चारागाह भूमि से अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार, आमेर ने उप तहसीलदार, मुण्डोता, जालसू, रामपुरा डाबडी व गठित टीम द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(655)लोआस/2018

परिवादी श्री मूलसिंह चम्पावत, पुत्र श्री मोतीसिंह, निवासी ग्राम रड़ावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली का अभिकथन था कि सेवानिवृत्ति के 14 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी उन्हें वांछित सेवानिवृत्ति के परिलाभ नहीं दिये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है और पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(655)लोआस / 2018

परिवादी श्री राधेश्याम दाधीच पुत्र श्री मिश्री लाल, निवासी ग्राम धांधलास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर का अभिकथन था कि खसरा नम्बर 74 में पत्थर डालकर रास्ते को अवरूद्ध किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 74 पर से अतिक्रमण हटा दिया गया हे।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(25)लोआस / 2019

परिवादी श्री जगदीश गुर्जर पुत्र श्री कानाराम गुर्जर, निवासी हनुमानपुरा, ग्राम पंचायत चांदसिंहपुरा, पोस्ट दूनी, जिला टोंक का अभिकथन था कि बीपीएल सर्वे में चयनित श्री मनराज पुत्र श्री रंगलाल गुर्जर एवं श्री प्रहलाद पुत्र श्री अर्जुन गुर्जर धनाढ्य व्यक्ति होते हुए भी उन्हें बीपीएल सूची वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया है। उनका नाम सूची से विलोपित नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त दोनों व्यक्तियों का नाम बीपीएल सूची वर्ष 2002 में से विलोपित कर दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(128)लोआस / 2019

परिवादी श्री रूपचंद पुत्र श्री सरदार, निवासी ग्राम चारेल, पोस्ट कुशलपाड़ा, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा का अभिकथन था कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत ''अपना खेत अपना काम'' के अन्तर्गत निजी कूप गहरा तथा बांधना करवाने हेतु ग्राम पंचायत कुशलपाड़ा, तहसील कुशलपाड़ा, जिला बांसवाड़ा में गत पांच माह से चक्कर लगा रहा हूं, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा मेरी आवेदन पत्रावली नहीं ली जा रही है, जिससे उसे सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला परिषद, बांसवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला कलक्टर व जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा परिवादी का निजी कूप निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर कूप स्वीकृत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(231)लोआस/2021

परिवादी श्री हरीराम चौधरी पुत्र श्री पुरखाराम, निवासी ग्राम पालड़ी मांगलिया, पोस्ट मण्डोर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत पालड़ी मांगलिया, पंचायत समिति, मण्डोर जिला जोधपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाभार्थी गांव भिरकाली निवासी भूराराम एवं उसकी पत्नी देवी दोनों के नाम पर 12—12 हजार रूपये, कुल 24 हजार रूपये उनके खाते में स्थानान्तरित कर वित्तीय अनियमितता तथा गबन किया गया, जो राशि वसूल करके राजकोष में जमा नहीं करवाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी भूराराम के द्वारा यह बताया गया कि उसका नाम पहले जोड़ा गया व भुगतान हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत समिति को प्रेषित करने के बाद, बावजूद राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उसने दोबारा सर्वे सूची में पत्नी का नाम जुड़वाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। उसके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया गया उपयोगिता प्रमाण पत्र का भुगतान उसके खाते में आ गया, जिसकी जानकारी उसे नहीं थी। भूराराम के द्वारा उसके खाते में जमा राशि मय ब्याज राजकोष में जमा करवा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(527)लोआस/2017

परिवादी श्री रामनारायण चौधरी पुत्र श्री पुसाराम, निवासी प्लाट नम्बर 39, खसरा नम्बर 124, लक्ष्मण नगर सी, बनाड़ रोड़, नान्दड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि पंचायत समिति मण्डोर में नये राशन कोर्ड जारी करते समय उपभोक्ताओं से शिक्षा कर के रूप में नियम राशि से अधिक राशि वसूल की गई तथा इसे विकास अधिकारी, मण्डोर व संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा मिलीभगत कर अपराधिक षड्यन्त्र रचकर शिक्षा कर के रूप में उपभोक्ता से वसूली की गई राशि को राजकोष में जमा नहीं करवाया गया।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा कर की वसूली की गई राशि विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मण्डोर, जोधपुर में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जमा करा दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(567)लोआस/2018

परिवादी श्री चुन्नीलाल गोदारा पुत्र श्री दीपाराम, निवासी झिपोणियों की ढ़ाणी, कुम्पलिया, तहसील गिड़ा, जिला बाड़मेर का अभिकथन था कि ग्रेवल मनरेगा सड़को का निर्माण नियम विरूद्ध हुआ है तथा इसमें घटिया सामग्री का उपयोग कर लाखों रूपयों का गबन किया है।

इस सम्बन्ध में जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा) एवं जिला कलक्टर, बाड़मेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में ग्राम पंचायत कुम्पलिया में 23 ग्रेवल सड़क निर्माण सम्बन्धी परिवाद की जांच पूर्व कमेटी द्वारा की गई थी जिसमें दो ग्रेवल सड़क निर्माण पर अधिक व्यय होने से, वसूली योग्य राशि राजकोष में जमा करवाकर प्रकरण को निस्तारित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(210)लोआस / 2014

परिवादी श्री राजेन्द्र कुमार एवं अन्य किसान कॉलोनी, वार्ड नम्बर 41, नवलगढ़ रोड़, जिला सीकर का अभिकथन था कि जवाहर नगर, किसान कॉलोनी, वार्ड नम्बर 41, सीकर के भूखण्ड संख्या ए–3 में नगर परिषद, सीकर की बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भू–स्वामी श्रीमती मूली देवी द्वारा स्वयं के स्तर पर प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा लिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(262)लोआस / 2018

परिवादी श्री कपिल कालरा पुत्र श्री भीम कालरा, निवासी बी–1, गोपाल टॉवर, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जिला जयपुर का अभिकथन था कि मकान बी–1, गोपाल टॉवर, कृष्णा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर के ऊपर प्रथम तल पर चावला रेस्टोरेन्ट के नाम से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित है जिसके सिलेण्डर जीने की तरफ रखे रहते है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम, हेरिटेज जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अवैध रूप से संचालित चावला रेस्टोरेन्ट को सीज कर, व्यावसायिक गतिविधि बन्द कर दी गयी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(560)लोआस / 2018

परिवादी श्री नंदराम कुकना पुत्र श्री लेखराम जाट, निवासी वार्ड नम्बर 07, आदर्श कॉलोनी, अनूपगढ़, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि श्री ललित चुघ द्वारा रास्ते की भूमि पर सेफ्टी टैंक का निर्माण कर अतिक्रमण किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नगरपालिका, अनूपगढ़ द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(17)लोआस/2017

परिवादी श्री रामकांत बम्ब पुत्र श्री रामजीलाल महाजन, निवासी 431, विजय नगर, तहसील अलवर, जिला अलवर का अभिकथन था कि व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 15 कृष्णा सरोवर में जयपुर विकास प्राधिकरण से खुली नीलामी में खरीदा गया था जिस पर भवन निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया, किन्तु स्वीकृति जारी नहीं की गई।

इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को व्यावसायिक निर्माण की स्वीकृति नियमानुसार जारी कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(54)लोआस/2021

परिवादी श्री अशोक कुमार मीना पुत्र श्री प्रहलाद मीना, सी–25/बी, जे0पी0 कॉलोनी, टोंक फाटक, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उसने भूखण्ड संख्या एस–118, व्यावसायिक भूखण्ड शॉपिंग सेन्टर की ऑनलाइन बिड प्रस्तुत की थी और उसके द्वारा जमा राशि में से मण्डल द्वारा 3,94,825/– रू. ही लौटाये गये किन्तु ईएमडी राशि 60,800/– रू. नहीं लौटायी गयी।

इस सम्बन्ध में सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के खाते में ईएमडी राशि के 60,800/– रूपये हस्तान्तरण कर दिये गये है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(67)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती सूरज कंवर पत्नी श्री पृथ्वी सिंह चौहान, निवासी 154–155, राठौड़ नगर, वैशाली नगर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उसके भूखण्ड संख्या 154–155 राठौड़ नगर, क्वीन्स रोड़, जयपुर को आवासीय से मिश्रित भू–उपयोग परिवर्तन करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण में पेश किया गया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के भूखण्ड संख्या 154–155 राठौड़ नगर के मिश्रित भू उपयोग के पट्टे जारी किये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.30(14)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती आशा देवी जाटव पत्नी श्री बृजलाल जाटव, निवासी ग्राम पोस्ट बागरैन, तहसील बयाना, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि उसने श्रमिक के रूप में राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल के हिताधिकारी के रूप में विकास अधिकारी, बयाना के यहाँ ऑफलाइन पंजीयन दर्ज करवाया था। उक्त ऑफलाइन पंजीयन को ऑनलाइन नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पंजीयन ऑनलाइन कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(16)लोआस / 2022

परिवादी श्री रणजीत व अन्य, निवासी वार्ड नम्बर 3, ग्राम 6 एल0एन0पी0, तहसील व जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि कृषि उपज मण्डी द्वारा बनवायी गयी आम सड़क पर ग्रामवासियों द्वारा मलबा गिरा दिया गया है, जिसके कारण सड़क

का लेवल खराब हो गया है और उसके घर के सामने पानी की निकासी नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा कार्यवाही करते हुए मौके पर से मलबा हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(119)लोआस / 2019

परिवादी श्री मनोहर लाल गुप्ता पुत्र श्री भोमाराम, निवासी मकान नम्बर 32, कमला नगर, गोकुल जी की प्याऊ, लालसागर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(136)लोआस / 2021

परिवादी श्री प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री भैरूलाल शर्मा, निवासी शाहपुरा गेट, जहाजपुरा रोड़, सावर, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(290)लोआस/2017

परिवादी श्री सतीश कुमार सहाय पुत्र श्री कल्याण सहाय, निवासी ग्राम पोस्ट राजपुर बड़ा, तहसील राजगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि खसरा संख्या 581 में श्री रघुवीर सिंह ने अवैध बोरिंग करा रखी है। बोरिंग का दुरूपयोग किया जा रहा है। बिजली की चोरी कर बोरिंग की मोटर चलायी जाती है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अवलर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विवादित खसरा संख्या 581 पर स्थित बोरिंग बन्द है एवं वर्तमान में ना तो विद्युत कनेक्शन है और ना ही निगम का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(10)लोआस/2020

परिवादी श्रीमती मिश्री देवी पत्नी स्व0 श्री तेजाराम, निवासी खेरचा कृषि फार्म खारिया मीठापुर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(106)लोआस/2019

परिवादी श्री जसाराम परासरिया पुत्र श्री हरजीराम परासरिया, निवासी मुकाम केरिया मांकड़ा, पोस्ट पादूखुर्द, तहसील रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ 47(124)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती मुन्नी देवी चौहान पत्नी श्री सत्यनारायण भाटी, निवासी मकान नम्बर 274, देवी रोड़, तृतीय विस्तार योजना, कमला नेहरू नगर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(186)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती अंतर कँवर पत्नी स्व0 श्री अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम गुड़ा भीमसिंह, पोस्ट देवली पाबूजी वाया नाडोल, तहसील रानी, जिला पाली का अभिकथन था कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके पति की जीपीएफ व राज्य बीमा की राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ एवं राज्य बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत अवशेष राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ एवं राज्य बीमा पॉलिसी की राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह अक्टूबर 2022

एफ.3(215)लोआस / 2021

परिवादी श्री ललित कुमार शर्मा पुत्र श्री श्याम सुन्दर शर्मा, निवासी 437–ए, रजनी विहार, हीरापुरा, अजमेर रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2019 में कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त (दक्षिण), जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार काश्तकारों को परिवादी के प्लाट के सम्बन्ध में हुई गलतफहमी के कारण परिवादी अपने प्लाट का कब्जा नहीं ले पाया। संबंधित कम्पनी द्वारा उस गलतफहमी को दूर कर प्लाट का कब्जा दे दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(514)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती भारती उर्फ नीलू बैरवा पुत्री श्री सूरजमल बैरवा, निवासी ग्राम दोनायचा, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाई माधोपुर का अभिकथन था कि पुलिस थाना सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना संख्या 96/19 पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में थानाधिकारी, पुलिस थाना मलारना डूंगर द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट बौंली के न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(124)लोआस / 2019

परिवादी श्री रूड़मल सैनी पुत्र श्री बीरदुराम सैनी, निवासी विजयपुरा, ग्राम पंचायत कासरड़ा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर का अभिकथन था कि दर्ज मुकदमा संख्या 67/19 में जांच अधिकारी, पुलिस थाना श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा जांच में देरी की जा रही है एवं मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एफ.आई.आर. नम्बर 67/2019 में आरोप पत्र अभियुक्त रामगोपाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120बी भा.दं.सं. का अपराध साबित पाये जाने पर अदालत में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया जा चुका है तथा उसके विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(137)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती भानु गहलोत पत्नी श्री विरेन्द्र, निवासी मायली मण्डावता मण्डोर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उसके ससुराल वालों द्वारा उसके साथ मारपीट करने एवं दहेज का सामान नहीं देने की रिपोर्ट उसके द्वारा पुलिस थाना रतनाड़ा में दर्ज करवायी गयी किन्तु तत्कालीन थानाधिकारी निशा भटनागर एवं हाल थानाधिकारी मन्जू चौधरी द्वारा आरोपीगण से मिलीभगत कर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इस सम्बन्ध में पुलिस उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आरोपीगण श्री विरेन्द्र पुत्र श्री दाऊलाल, श्रीमती सूरज देवी पत्नी श्री दाऊलाल, श्री धनराज पुत्र श्री गोपीलाल एवं श्रीमती सुनिता पुत्री श्री दाऊलाल के विरूद्ध बाद अनुसंधान आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 498ए, 406, 323 भा.दं. सं. महानगर मजिस्ट्रेट, संख्या–2, महानगर जोधपुर में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(249)लोआस / 2019

परिवादी श्री लच्छीराम मीणा पुत्र श्री बाबरू मीणा, निवासी उण्डावेला, ग्राम पंचायत साटोला थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ़ का अभिकथन था कि मृतक श्री नारायण पिता बाबरू मीणा की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर प्रकरण संख्या 03 / 2019 अन्तर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. में दर्ज कराया था, किन्तु अनुसंधान अधिकारी श्री उम्मेदसिंह हेड कान्स्टेबल, पुलिस थाना धोलापानी द्वारा सही रूप से जांच नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रथम सूचना संख्या 80 / 2019 में अनुसंधान अधिकारी श्री दौलतसिंह, पुलिस थाना धोलापानी द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्त भैरूलाल उर्फ भैरूसिंह के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र सक्षम न्यायालय पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(23)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती मोती देवी पत्नी श्री मोती लाल, निवासी सादड़ा, तहसील बाली, जिला पाली का अभिकथन था कि श्री भूताराम द्वारा घरेलू विद्युत कनेक्शन का आवेदन खसरा नम्बर 357 पर लेने के बाबत सहायक अभियंता को पेश किया था जिसे परिवादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 373 पर लगा दिया गया है। उक्त अवैध विद्युत कनेक्शन को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री भूताराम के यहाँ स्थापित विद्युत सम्बन्ध (दोनो विद्युत सम्बन्धों) को विच्छेद कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(8)लोआस/2019

परिवादी श्री सत्यनारायण ब्राह्मण पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी ग्राम वनस्थली, तहसील निवाई, जिला टोंक का अभिकथन था कि ग्राम वनस्थली के खसरा नम्बर 561/2 चारागाह भूमि के फर्जी पट्टे बनाकर भूमाफिया द्वारा सरकारी भूमि को खुर्द–बुर्द कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चारागाह की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को राजस्व कर्मचारी की टीम द्वारा हटवा दिया गया है एवं मौके पर उपलब्ध पांच ट्रोली पत्थर जब्त कर सरपंच, ग्राम पंचायत वनस्थली को सुपुर्द कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(24)लोआस/2019

परिवादी श्री नारायण सिंह पुत्र श्री माधुसिंह पुरावत, निवासी ग्राम रेडवास, तहसील कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा का अभिकथन था कि ग्राम रेडवास पटवार हल्का रेडवास के आराजी खसरा नम्बर 718 सरकारी भूमि पर झोंपड़ा बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(183)लोआस/2021

परिवादी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जन्सी लाल भटट, निवासी वार्ड नम्बर 09, उनियारा, जिला टोंक का अभिकथन था कि हल्का पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार उनियारा, जिला टोंक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त

होकर खसरा नम्बर 2631 एवं 2637 सिवायचक भूमि पर भू माफिया रामबाबू व गंगादेवी द्वारा कब्जा किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टोंक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम उनियारा के खसरा नम्बर 2631 व खसरा नम्बर 2637 पर रामबाबू सुनार द्वारा अतिक्रमण करने पर तहसीलदार, उनियारा द्वारा उसको तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(227)लोआस / 2018

परिवादी श्री विजय सिंह पुत्र श्री सुवालाल, निवासी ग्राम रूपारेल, पोस्ट पीपलाज, तहसील मसूदा, जिला अजमेर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत पीपलाज, तहसील मसूदा में स्थित चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन द्वारा चारागाह भूमि का अधिकांश अस्थाई अतिक्रमण हटा दिया गया है तथा शेष अस्थाई अतिक्रमण को स्वयं अतिक्रमी द्वारा हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(258)लोआस / 2019

परिवादी श्री गोपाल लखारा पुत्र श्री गिरधारी लाल लखारा, निवासी ग्राम ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर का अभिकथन था कि मौजा ईण्टाली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1244 किस्म चारागाह भूमि पर ग्राम प्रतिहारी जमनाशंकर लक्षकार द्वारा तहसीलदार मावली तथा पटवारी हल्का ईण्टाली से मिलीभगत कर अवैध और

अनैतिक रूप से कब्जा कर रखा है तथा ग्राम प्रतिहारी द्वारा पटवारी कार्यालय का समस्त रिकॉर्ड अपने घर पर रखा जाता है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, उदयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय तहसीलदार, सनवाड़ा में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(342)लोआस / 2021

परिवादी श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री गणपतराम, निवासी मल्लड़खेड़ा, तहसील टिब्बी हाल मकान नम्बर 8 / 66, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन, तहसील व जिला हनुमानगढ़ का अभिकथन था कि सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी द्वारा जारी की गई डिक्री का इंतकाल पटवारी श्री जगवीर नेहरा द्वारा दर्ज नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिक्री की पालना में नामान्तरकरण प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(368)लोआस / 2018

परिवादी श्री पूरण सिंह, निवासी इन्द्रा कॉलोनी अड्डा, वार्ड नम्बर 14, तहसील व जिला भरतपुर का अभिकथन था कि इन्द्रा कॉलोनी के वार्ड नम्बर 14 के रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटवाकर रास्ते को पक्का नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर नगर निगम, भरतपुर द्वारा आम रास्ते में सी0सी0 सड़क का निर्माण करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(374)लोआस/2018

परिवादी श्री दाताराम माली पुत्र श्री महादेव माली, निवासी वार्ड नम्बर 2, मौहल्ला खासापुरा, जिला अलवर का अभिकथन था कि उनके भूमि की खातेदारी देने के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ के कार्यालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसील बहरोड़ के आराजी खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.1957 ऐयर निष्कान्त भूमि की गैर खातेदारी से खातेदारी देने के आदेश जारी किये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(477)लोआस/2018

परिवादी श्री नरेश कुमार मीणा पुत्र श्री मदन मोहन मीणा, निवासी ग्राम गोणदी, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा का अभिकथन था कि भूमि खसरा नम्बर 969 ग्राम गणेशगंज तिराहे पर स्थित है और उक्त भूमि में कुछ लोगो ने दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर रखा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, कोटा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(756)लोआस / 2017

परिवादी श्री अंजला शर्मा, प्रधानाध्यापक प्रेसीडेन्सी स्कूल जयपुर अजमेर हाईवे गेगल पुलिस स्टेशन के सामने अंसल सुशांत सिटी गेगल, जिला अजमेर का अभिकथन था कि प्रेसीडेंसी स्कूल के पास अक्टूबर, 2014 में श्री नजमुद्दीन शेख द्वारा नजमुद्दीन पोल्ट्री फार्म स्थापित किया गया, जिसके कारण स्कूल के स्टाफ और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा आस–पास का वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है।

इस सम्बन्ध में अजमेर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत पोल्ट्री फार्म बन्द करवाया जाकर परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(239)लोआस / 2020

परिवादी श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह, निवासी भीलखेड़ा, ग्राम पंचायत कालादेह, तहसील भीम, जिला राजसमन्द का अभिकथन था कि महात्मा गांधी नरेगा में एफ.टी.ओ. द्वारा नरेगा सामग्री भुगतान की सूची जारी की गई थी, जिसमें उसकी तीन फर्म भी सम्मिलित थी, जिनका विकास अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए था किन्तु विकास अधिकारी ने प्रश्नगत सूची में उनकी फर्म्स से पहले तथा बाद की सभी सूचीबद्ध संस्थाओं को भुगतान कर दिया और द्वेषतापूर्ण कार्यवाही करते हुए उनको भुगतान नहीं किया गया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजसमन्द से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कालादेह ग्राम पंचायत के सामग्री बिलों का भुगतान हो गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.15(5)लोआस / 2020

परिवादी श्री भागसिंह एवं अन्य पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी वीपीओ मैंथना, तहसील कठूमर, जिला अलवर का अभिकथन था कि ग्राम मैंथना, तहसील कठूमर की राजस्व सीमा में 1452 बीघा भूमि वन विभाग के अभिलेख में दर्ज है जिसमें से लगभग 300 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है।

इस सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(85)लोआस / 2020

परिवादी श्री राकेश कोठारी पुत्र स्व0 श्री खींवकरण कोठारी, निवासी रामगढ़ीया दरवाजा के पास, सरावगी इम्पोरियम के सामने वाली गली, वार्ड संख्या 28, जिला चूरू का अभिकथन था कि कस्बा रामगढ़िया दरवाजा के पास उनके मकान के सामने संजीव वर्मा के द्वारा 8–10 फीट आम रास्ते की तरफ अपना मकान बढ़ाकर 3 फीट लम्बा रैम्प बनाकर अतिक्रमण कर लिया है।

इस सम्बन्ध में उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी के घर के मुख्य द्वार के सामने आम रास्ते पर नियम विरूद्ध बनाये गये रैम्प को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(140)लोआस / 2018

परिवादी श्री गोपालसिंह रावणा पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी खाईगढ़ मौहल्ला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर का अभिकथन था कि खाईगढ़ मौहल्ले में अप्रार्थी रफीक द्वारा 11 फीट चौड़े रास्ते पर अतिक्रमण कर नगरपालिका की अनुमति के बिना स्वयं के मकान की प्रथम मंजिल पर 16 फीट व दूसरी मंजिल पर अवैध नये छज्जे

निकाल लिये गये है। अधिशाषी अधिकारी, केकड़ी द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केकड़ी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हटा दिया गया है।

इस प्रकार अतिक्रमण हटवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(145)लोआस / 2018

परिवादी श्री पंकज जैन पुत्र स्व0 श्री भानु कुमार जैन, निवासी 116 / 183, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि आराजी खसरा नम्बर 179, वाके ग्राम दाऊदपुर, अलवर के प्लाट संख्या 7 व 8 के आवासीय प्रयोजन पट्टे नहीं दिलवाये जा रहे हैं।

इस सम्बन्ध में नगर विकास न्यास, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को भूखण्ड संख्या 544 / 7 खसरा नम्बर 179 का नियमन पट्टा जारी कर दिया गया एवं उसकी दूसरी पत्रावली भूखण्ड संख्या 8 खसरा नम्बर 179 में भी कार्यवाही पूर्ण कर दी गई किन्तु परिवादी स्वयं उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः कार्यवाही परिवादी की अनुपस्थिति के कारण लम्बित है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.17(158)लोआस / 2018

परिवादी श्री प्रेम चंद शर्मा पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा, निवासी ई–13, अयोध्यानगर, काना विहार, गांधी पथ पश्चिम, जिला जयपुर का अभिकथन था कि अप्रार्थी राजू कंवर द्वारा भूखण्ड संख्या ई–14, अयोध्या नगर, काना विहार, गांधी पथ पश्चिम, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण की बिना निर्माण स्वीकृति के निर्माण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा धारा 32 का नोटिस भी जारी किया गया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस सम्बन्ध में सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण एवं सम्पूर्ण कॉलोनी में सड़क सीमा में किये गये अतिक्रमण हटा दिये गये हैं।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(135)लोआस / 2021

परिवादी श्री उत्तम चन्द पुत्र श्री मूलचन्द, निवासी ग्राम पोस्ट प्रान्हेड़ा, वाया केकड़ी, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(4)लोआस / 2021

परिवादी श्री यासीन अली पुत्र श्री अल्लादीन, निवासी मुकाम पोस्ट देवल वाया लाम्बाहरिसिंह, तहसील मालपुरा, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(7)लोआस / 2021

परिवादी श्री चन्द्रशेखर दवे पुत्र प्रेम राज दवे, निवासी ग्राम व पोस्ट खींचन, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(24)लोआस / 2021

परिवादी श्री किशन सिंह भाटी पुत्र स्व0 श्री मनोहर सिंह भाटी, निवासी जैन मन्दिर के पीछे, ग्राम व पोस्ट ओसियां, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(28)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती आशालता जोशी पत्नी श्री जयप्रकाश नारायण जोशी, निवासी हाकमो की पोल, बनिया बाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(31)लोआस/2021

परिवादी श्री मोहम्मद युसुफ पठान पुत्र श्री अली मोहम्मद, निवासी गणेश नगर विस्तार योजना, गैस एजेन्सी के सामने, वार्ड नम्बर 06 लाखेरी, पोस्ट लाखेरी, जिला बूंदी का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(32)लोआस/2019

परिवादी श्री बशीर मोहम्मद पुत्र श्री अजी मुल्ला खान, निवासी कालेशाह बाबा की मस्जिद के सामने, रावण का चौक, जिला बारां का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(33)लोआस / 2021

परिवादी श्रीमती प्रेमलता माथुर पत्नी स्व0 श्री ओमनारायण माथुर, निवासी 36 हरिओम नगर, 17 ई के पास, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(84)लोआस / 2019

परिवादी श्री ओमप्रकाश जोशी पुत्र श्री भंवरलाल जोशी, निवासी जोशी मोहल्ला, झूठा, तहसील रायपुर, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(102)लोआस / 2019

परिवादी श्री सुखराम विश्नोई पुत्र श्री कानाराम विश्नोई, निवासी सी–222, कीर्तिनगर, के.यू.एम., मण्डोर रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(108)लोआस / 2019

परिवादी श्री दलाराम पालीवाल पुत्र श्री घासीराम, निवासी 11 ए, रामेश्वर नगर, बासनी प्रथम फेज, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(132)लोआस / 2019

परिवादी श्री जीवराज शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा, निवासी 589, राजेन्द्र नगर विस्तार, राधाकृष्ण मंदिर के पास, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(136)लोआस/2019

परिवादी श्री चुनाराम मेघवाल पुत्र पीथाराम, निवासी मुकाम व पोस्ट लुनावा, तहसील बाली, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(154)लोआस/2019

परिवादी श्री भवानी सिंह जोधा पुत्र श्री भैरू सिंह, निवासी ग्राम शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(177)लोआस/2019

परिवादी श्री सुभाष चन्द्र भार्गव पुत्र श्री भंवरलाल, निवासी भार्गव मोहल्ला, मुकाम पोस्ट आसोप बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(181)लोआस/2019

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री दीपचंद शर्मा, निवासी मकान नम्बर 1165/4, शिवनगर काजीपुरा रोड़, बड़ी नागफनी, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह नवम्बर 2022

एफ.2(11)लोआस/2021

परिवादी श्रीमती जसविन्द्र कौर पुत्री स्व0 श्री प्रितम सिंह, निवासी 3/218, पुराना हाउसिंग बोर्ड, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि उसके पति राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ कार्यालय में वाहन चालक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी किन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिली है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु उपरान्त मुआवजा राशि न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त, श्रीगंगानगर के यहां जमा करवा दिया गया है एवं

उपादान की राशि और मृत्यु क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में जमा करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(149)लोआस/2022

परिवादी श्री पूनमचन्द जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बून्दी का अभिकथन था कि श्री शिवराज सिंह, हैड कान्स्टेबल संख्या 793 हाल एएसआई को एमवी एक्ट में चालान कम्पाउण्ड करने का अधिकार नहीं होने पर भी उनके द्वारा एमवी एक्ट के 570 चालान कम्पाउण्ड किये गये।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी श्री शिवराज सिंह, हैड कान्स्टेबल को भविष्य में विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राजकार्य सम्पादन करने हेतु चेतावनी दी जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(489)लोआस/2018

परिवादी श्री पूनमचन्द जैन पुत्र श्री धर्मचन्द जैन, निवासी बटक भैरू पाड़ा, जिला बून्दी का अभिकथन था कि श्री कालूराम, हैड कान्स्टेबल संख्या 1186, पुलिस थाना हनुमान नगर, भीलवाड़ा द्वारा गलत रूप से 27 चालान बनाये गये जिनकी प्रति चालक को नहीं दी गयी और ना ही राशि जमा कराने की प्रति दी गयी।

इस सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी पुलिसकर्मी श्री कालूराम, हैड कान्स्टेबल संख्या 1186 को परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(58)लोआस / 2017

परिवादी श्री हरिशचन्द्र गहलोत पुत्र श्री धन्नाराम गहलोत, निवासी किराना स्टोर की गली, पंचालियों की नाड़ी, लाला लाजपत राय कॉलोनी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति उपरांत पेंशन व पीपीओ राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की पेंशन कुलक, सेवा पुस्तिका इत्यादि के गायब हो जाने पर पेंशन एवं पीपीओ में विलम्ब होने पर डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका जारी की गई, जिसमें समय लगा। परिवादी को पेंशन एवं पीपीओ राशि जारी करने के आदेश किये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.8(62)लोआस / 2018

परिवादी श्री डॉ. प्रदीप शर्मा पुत्र स्व0 श्री रतन प्रकाश शर्मा, निवासी प्लाट नम्बर 21, जगदम्बा कॉलोनी, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड़, जिला जयपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृति उपरांत पेंशन स्वीकृत नहीं की जा रही है।

इस संबंध में निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का चिकित्सा विभाग से कोई भुगतान शेष नहीं है एवं उनका पीपीओ नम्बर एवं जीपीएफ नम्बर जारी किया जा चुका है तथा इन्श्योरेन्स का भी भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.10(61)लोआस/2018

परिवादी श्री अमित कुमार सैनी पुत्र श्री मुरलीधर सैनी, निवासी रेलवे स्टेशन के पास, पोस्ट जीलो, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर का अभिकथन था कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर के आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा भूमि की पैमाइश नहीं करवाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाई जाकर कब्जा दिया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(45)लोआस/2019

परिवादी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री रमझोली, निवासी बाईजट्ट पोस्ट विजयपुरा, तहसील हिण्डौन, जिला करौली का अभिकथन था कि ग्राम बाईजट्ट में खसरा नम्बर 805 गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण को स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नायब तहसीलदार, सुरोठ द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उसे बेदखल कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(59)लोआस/2019

परिवादी श्री मंगलसिंह कुशवाह पुत्र श्री देवाराम कुशवाह, निवासी ग्राम खेरिया विल्लोच, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि ग्राम खेरिया विल्लोच

में विभिन्न राजकीय भूमि खसरा नम्बर 412, 407 एवं 374 पर किये हुये अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(196)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती राधा पत्नी श्री दयाराम मीणा, निवासी ग्राम बहादुरपुर, तहसील रैणी, जिला अलवर का अभिकथन था कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर के आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा भूमि की पैमाइश नहीं करवाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी की खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाई जाकर कब्जा दिया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(243)लोआस/2020

परिवादी श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री पुखराज, निवासी 74, महावीर नगर, जिला पाली का अभिकथन था कि उसकी फर्म के नाम से ई–मित्र समिति एवं जिला कलक्टर को टेंडर धरोहर राशि जमा करवाई गई, किन्तु उक्त धरोहर राशि जिला कलक्टर द्वारा नहीं लौटायी जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को धरोहर राशि वापिस लौटा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(63)लोआस/2019

परिवादी श्री शिवराज सिंह शेखावत पुत्र श्री किशोरसिंह शेखावत, निवासी वार्ड नम्बर 14, ग्राम पंचायत पंचलंगी, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत द्वारा अवैध खनन से पत्थर निकालकर खसरा नम्बर 1911 गैरमुमकिन चारागाह में अतिक्रमण कर सरकारी सम्पत्ति को खुर्द बुर्द कर राजस्व हानि पहुचाई जा रही है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवाद में वर्णित पत्थरों की नीलामी की गई। खसरा नम्बर 1482 में पड़े पत्थरों के पेटे राशि व खसरा नम्बर 1911 में पड़े पत्थरों के पेटे राशि प्राप्त हुई, जो राजकोष में जमा करवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(84)लोआस/2019

परिवादी श्री जगदीश जाट पुत्र श्री हरदयालराम जाट, निवासी समेजा कोठी, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा तोड़ी गई पुलिया पुनः बनाने बाबत रिश्वत व वोटों का दबाव दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा तोड़ी गई पुलिया को पुनः निर्मित किया जाकर पूर्ण करवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(140)लोआस/2018

परिवादी श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री सुल्तान सिंह, निवासी ग्राम गणेशपुरा, ग्राम पंचायत रवां, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत रवां,

पंचायत समिति खेतड़ी, जिला झुंझुनू के तत्कालीन ग्राम सेवक श्री महेन्द्र सिंह यादव, श्रीमती रेखा जेवरिया, सरपंच द्वारा श्रीमती शशीबाला, बीडीओ, पंचायत समिति खेतड़ी तथा श्री जे.पी. बुनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनू से मिलीभगत करके राजकीय राशि का दुरूपयोग एवं पद तथा कर्तव्यों की पालना न करने तथा जांच में गबन के दोषी पाये गये है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री महेन्द्र सिंह यादव, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं श्री विकास कुमार, तत्कालीन कनिष्ठ तकनीकी सहायक से वसूली योग्य राशि वसूल की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(364)लोआस/2018

परिवादी श्री बलकोर सिंह कुम्हार पुत्र श्री जोतराम, निवासी जीवनदेसर, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर का अभिकथन था कि जिस भूमि पर लोग बसे हुए है, उन्हें एवं स्वयं को पंचायती राज अधिनियम के तहत पट्टा जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को ग्राम पंचायत जीवनदेसर द्वारा आवासीय भूखण्ड का पट्टा संख्या 72 जारी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(457)लोआस/2018

परिवादी श्री महेन्द्र कुमार मेघवाल पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी ग्राम उटाम्बर, पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि जिन लोगो को पूर्व में इन्दिरा आवास योजना में लाभ दिया जा चुका है, उन्हीं लोगों को ग्राम विकास

अधिकारी एवं सरपंच द्वारा 10–10 हजार रूपये की रिश्वत लेकन पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना में नियम विरूद्ध लाभान्वित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में पूर्व में लाभान्वित परिवारों को पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दी गई सहायता राशि की वसूली संबंधित दोषी कार्मिक तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उटाम्बर श्री चेनसिंह के वेतन से की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(755)लोआस / 2016

परिवादी श्री ओम प्रकाश दाधीच पुत्र श्री रामचन्द्र दाधीच, निवासी वार्ड नम्बर 2, केशव विहार, एच.डी.एफ.सी. बैंक के ऊपर, तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी का अभिकथन था कि सेवानिवृत होने के उपरान्त पेंशन एवं समस्त परिलाभ नहीं दिये जा रहे है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार समायोजित कार्मिकों को उनकी सेवा पुस्तिका में अवशेष उपार्जित अवकाश का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है और अब कोई भुगतान शेष नहीं रहा है। परिवादी को पेंशन विभाग द्वारा पीपीओ, जीपीओ पूर्व में ही जारी कर दिये गये और उपार्जित अवकाश का बकाया भुगतान भी कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(152)लोआस / 2018

परिवादी श्री प्रभातीलाल कुमावत पुत्र श्री भैरूराम कुमावत, निवासी ग्राम अजबपुरा वाया पलसाना, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर का अभिकथन था कि

सम्पूर्ण राशि जमा करवाये जाने के बावजूद 13 वर्षों से आयुक्त, नगर परिषद, सीकर द्वारा पट्टा नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर परिषद, सीकर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को नियमानुसार पट्टा जारी किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(117)लोआस/2021

परिवादी श्री रतन लाल आर्य पुत्र श्री धन्शीराम आर्य, निवासी मुकाम पोस्ट पावटा, तहसील पावटा, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय के पास, जिला जयपुर का अभिकथन था कि श्री अजय सिंह यादव, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पावटा, श्रीमती नीरू मीणा तुलसीराम, बी.डी.ओ., पंचायत समिति, पावटा, श्री गिरीश कूलवाल, वी.डी.ओ. एवं श्री विक्की शर्मा, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका पावटा प्रागपुरा द्वारा बकाया मानदेय नहीं दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(163)लोआस/2019

परिवादी श्रीमती शारदा शर्मा पुत्र स्व0 श्री जुगल किशोर शर्मा, निवासी मकान नम्बर 60, महामंदिर तीसरी पोल, बड़ले के पास, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(240)लोआस / 2017

परिवादी श्री प्रीतम सुथार पुत्र श्री अर्जुनलाल, निवासी ग्राम रामगढ़, जिला जैसलमेर का अभिकथन था कि उनके पिता श्री अर्जुनलाल को उपनिवेशन तहसीलदार, रामगढ़ संख्या 2 द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या 194 को आवंटित किया गया था जिसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण राशि मय ब्याज उपनिवेशन तहसील रामगढ़ संख्या 2 में जमा कराने के बावजूद उसे कब्जा व पट्टा नहीं दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, जैसलमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत रामगढ़ द्वारा प्रकरण का विधिनुसार निस्तारण कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(241)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती आभा गर्ग पत्नी श्री राजनारायण गर्ग, निवासी ए–528, पंचशील नगर, माकड़वाली रोड़, जिला अजमेर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(2)लोआस / 2022

परिवादी श्री लखाराम पुत्र श्री भैरूदान, निवासी मुकाम व पोस्ट बापिणी वाया आऊ, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(3)लोआस / 2022

परिवादी श्री घेवरराम पुत्र श्री सोनाराम, निवासी मगरा नगर हाणियां, पोस्ट खिन्दाकौर, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ खाता एवं राज्य बीमा पॉलिसी की सम्पूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि एवं राज्य बीमा पॉलिसी की राशि का भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(5)लोआस / 2022

परिवादी श्री ओमप्रकाश चौहान पुत्र श्री राजाराम चौहान, निवासी सदर बाजार बिलाड़ा, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(30)लोआस / 2021

परिवादी श्री नरपत सिंह पुत्र श्री रामसिंह, निवासी प्लाट नम्बर 416, गली नम्बर 22, न्यू बीजेएस कॉलोनी, आरटीओ रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(85)लोआस / 2019

परिवादी श्री अशोक कुमार जोशी पुत्र श्री पुखराज जोशी, निवासी रामबारी के बाहर, रामदेव कॉलोनी, चांदपोल, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(142)लोआस/2019

परिवादी श्री गोरादान आशिया पुत्र श्री पाबूदान, निवासी श्री महालक्ष्मी के मन्दिर के सामने, नव चौकिया सोजत सिटी, जिला पाली का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(183)लोआस/2019

परिवादी श्री छोगाराम विश्नोई पुत्र श्री हरजीराम, निवासी प्लाट नम्बर 34, खसरा संख्या 28/2, श्रीराम नगर, डिफेन्स कॉलोनी, नान्दड़ी, बनाड़ रोड़, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरान्त जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

माह दिसम्बर 2022

एफ.3(134)लोआस / 2022

परिवादी श्री कालीचरन गुर्जर पुत्र श्री नथुआ गुर्जर, निवासी ग्राम चंदील पुरा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि उप निरीक्षक, थाना बसईडांग, जिला धौलपुर के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64 / 2021, 14 / 2022 एवं 32 / 2022 में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तीनों प्रकरण 64 / 2021, 14 / 2022 एवं 32 / 2022 पुलिस थाना, बसईडांग जिला धौलपुर में बाद अनुसंधान यथोचित कार्यवाही सम्पन्न की जाकर अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.3(136)लोआस / 2022

परिवादी सुश्री प्रियंका पुत्री स्व0 श्री चेनाराम, निवासी शिव कॉलोनी, रोहिसा रोड़, रियाबड़ी, जिला नागौर का अभिकथन था कि प्रथम सूचना संख्या 172 / 2022 में मारपीट करने व बलात्कार करने की कोशिश के आरोप में श्री हेमराज हलवाई के विरूद्ध पुलिस थाना, मांगलियावास, जिला अजमेर के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा संख्या 172 / 2022 पुलिस थाना, मांगलियावास में अनुसंधान अभियुक्त श्री हेमराज के विरूद्ध जुर्म धारा 354, 354(क)(1)(i), 323 भारतीय

दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित हो जाने पर बाद अनुसंधान नतीजा आरोप पत्र संख्या 170/2022 को धारा 354, 354(क)(1)(i), 323 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपी श्री हेमराज के विरूद्ध मूर्तिब किया जाकर न्यायालय जे.एम. नसीराबाद, जिला हेमराज में पेश किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.5(15)लोआस/2016

परिवादी श्री सुरेश चन्द मिश्रा पुत्र श्री हुकमचन्द मिश्रा, निवासी ग्राम जिन्दोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर का अभिकथन था कि उन्हें बकाया यात्रा भत्ता बिलों व चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को बकाया बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(103)लोआस/2020

परिवादी श्री चिरमोली पुत्र श्री डिब्बन, निवासी ग्राम सबलगढ़, तहसील कामां, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि ग्राम सबलगढ़ में गैर मुमकिन मरघट की आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 1.89 है0 भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 1.89 है0 गैर मुमकिन मरघट वाके ग्राम सबलगढ़ पर हुए अतिक्रमण को हटा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(164)लोआस / 2018

परिवादी श्री राम प्रताप शर्मा पुत्र स्व0 श्री नारायण प्रसाद शर्मा, निवासी 69 / 283, वीटी रोड़, मानसरोवर, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम गुसाईसर के खसरा नम्बर 47, 66, 127, 128, 129, 146 में शामिल खातेदारी उनकी पैतृक कृषि भूमि है। इसमें परिवादी का हिस्सा 1 / 8 है किन्तु तत्कालीन पटवारी द्वारा उनके हिस्से को 1 / 16 कर दिया गया। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, चुरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का वर्तमान जमाबंदी में भूमि का हिस्सा सही 1 / 8 दर्ज कर शुद्ध कर दिया गया। परिवादी को फसल खराबा संवत 2074 की मुआवजा राशि 3600 रूपये दिये गये थे, जो परिवादी के खाते में जमा हो चुके है तथा राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि होने के बाद शेष 1 / 16 हिस्से की राशि 3600 रूपये की राशि परिवादी के बैंक खाते में जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(195)लोआस / 2017

परिवादी श्री सुरेश चन्द पुत्र श्री रामजीलाल, निवासी ग्राम वरिधा, वाया पिचूना, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर का अभिकथन था कि ग्राम सैदपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 229 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, भरतपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सैदपुरा के खसरा नम्बर 229 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाकर अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(527)लोआस / 2018

परिवादी श्री लक्ष्मणराम पुरोहित पुत्र श्री बाबूलाल पुरोहित, निवासी छोटी ब्रह्मपुरी, जिला सिरोही का अभिकथन था कि उनकी कृषि भूमि पर जाने वाले आम रास्ते पर अतिक्रमण कर बंद किये जाने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर शिकायत की जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, सिरोही से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तहसील प्रशासन द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(199)लोआस / 2021

परिवादी श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह, निवासी मोती नगर, पुलिस लाईन रोड़, जिला बूंदी का अभिकथन था कि ग्राम दयालपुरा में अवस्थित सिवायचक भूमि पर शमशान, सरकारी रास्ते पर गांव के रसूखदार व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर रखा है और जिला कलक्टर, बूंदी को अवगत कराने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बूंदी से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(205)लोआस / 2021

परिवादी श्री गोविन्द प्रसाद खण्डेलवाल पुत्र श्री बाबूलाल खण्डेलवाल, निवासी कठूमर रोड़, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का अभिकथन था कि लक्ष्मणगढ़ मालाखेड़ा रोड़ स्थित खसरा नम्बर 2239 / 1129 चारागाह भूमि पर राजस्व विभाग की सांठ–गांठ के कारण श्री चतरसिंह खॉ पुत्र श्री चिन्या खॉ द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है तथा शिकायत करने के उपरांत भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, अलवर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(295)लोआस / 2021

परिवादी श्री सुरज सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह, निवासी ग्राम बिची, तहसील शाहबाद, जिला बारां का अभिकथन था कि ग्राम बिची में करीब 100 बीघा चारागाह भूमि पर वर्तमान सरपंच श्री बिन्दु सिंह तथा सरपंच के भाई श्री रामसिंह, अध्यापक, श्री प्राणसिंह, श्री भगतसिंह, श्री दर्शन सिंह व अन्य ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। पटवारी श्री लक्ष्मीबाई व तहसीलदार श्री गजेन्द्र शर्मा ने श्री रामसिंह, अध्यापक से मिलीभगत कर अतिक्रमण करवाये है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, बारां से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.11(372)लोआस / 2021

परिवादी श्री गोपालाराम राव पुत्र श्री मोहनराम राव, निवासी ग्राम रूपेली, तहसील बीदासर, जिला चुरू का अभिकथन था कि ग्राम रूपेली के गैर मुमकिन गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्व कार्मिकों द्वारा अतिक्रमियों के साथ सांठगांठ एवं प्रलोभन के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, चुरू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(239)लोआस / 2017

परिवादी श्री रामेश्वरलाल सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी, निवासी ढ़ाणी शेरवाला, ग्राम बबाई, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत, बबाई के सरपंच के खिलाफ शिकायतों की जांच पंचायत प्रसार अधिकारी श्री महावीर प्रसाद के द्वारा कराई गई थी। उक्त पंचायत प्रसार अधिकारी ने एक बड़ी रकम लेकर सरपंच को जांच में साफ–साफ बरी कर दिया।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर सरपंच ग्राम पंचायत, बाबई के द्वारा कराये गये कार्यो की जांच करवाई जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(366)लोआस / 2017

परिवादी श्री भीमसिंह चम्पावत पुत्र श्री मोतीसिंह चम्पावत, निवासी ग्राम दुदोड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली का अभिकथन था कि दुदोड़, पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 501 गोचर भूमि पर तथा उसके पास की स्वयं की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को सचिव ग्राम पंचायत दुदोड़ द्वारा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के निर्णय के उपरांत भी नहीं हटाया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मौके पर नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, थानाधिकारी, मारवाड़ जंक्शन, गठित टीम, सरपंच, ग्राम पंचायत दुदोड़ व परिवादी श्री भीमसिंह की उपस्थिति में मौजा दुदोड़ के खसरा नम्बर 527, 579 गैरमुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 501 गैरमुमकिन गोचर से मौके पर से अतिक्रमण को हटाया जाकर रास्ता खुलवाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(592)लोआस / 2017

परिवादी श्री रामनिवास पुत्र श्री छोटूराम, निवासी हनुमानपुरा, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत ढ़ीगाल के सरपंच व सचिव द्वारा उनकी फर्म के वर्ष 2013–14 व 2014–15 के सामग्री प्रदाय के बिलों का भुगतान नहीं किया गया तथा भुगतान के बदले रिश्वत मांगी गयी।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन सरपंच श्री मुकेश कुमार

मीणा एवं तत्कालीन ग्राम सेवक श्री शीशराम मीणा एवं इसके पश्चात तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुशीला एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री देवदत्त शर्मा को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली योग्य राशि वसूल की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(636)लोआस/2017

परिवादी श्री गौरीशंकर पलसानियां पुत्र श्री गिरधारी लाल पलसानियां, निवासी ढ़ाणी पीरावाली, करणीसागर, शाहपुरा, जिला जयपुर का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत चिमनपुरा, पंचायत समिति शाहपुरा के पूर्व सचिव श्री भागीरथ सैनी व सरपंच श्री दीपेन्द्र कुमार बुनकर द्वारा नियम विरूद्ध कार्य कार्य किया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दोषी कार्मिकों से वसूली योग्य राशि वसूल की जा चुकी है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.12(114)लोआस/2019

परिवादी श्री विजय पाल सिंह मील पुत्र स्व0 श्री हरफूल सिंह, निवासी 3/19, हाउसिंग बोर्ड आवासन मण्डल, जिला झुंझुनू का अभिकथन था कि ग्राम पंचायत हंसासर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू के ग्राम सचिव द्वारा विकास कार्यों में भारी अनियमितता कर भ्रष्टाचार किया गया है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, झुंझुनू से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अनियमित भुगतान राशि की वसूली ग्राम पंचायत हंसासर द्वारा पूर्व सरपंच आरती देवी एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री गोपाल सिंह से की गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.16(479)लोआस / 2018

परिवादी श्री दिनेश चौहान पुत्र श्री रिद्धकरण चौहान, निवासी ओमप्रकाश मार्ग बड़ा, तख्ता, जिला टोंक का अभिकथन था कि उन्हें यातायात पुलिस द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के बावजूद आयुक्त, नगर परिषद, टोंक द्वारा डेयरी बूथ आवंटित नहीं किया गया।

इस संबंध में उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार डेयरी बूथ आवंटन के संबंध में निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर से प्राप्त पत्रानुसार मुख्यमंत्री द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के द्वारा ''महिला सशक्तीकरण'' को दृष्टिगत रखते हुए महिला के नाम आवंटन करने हेतु निर्देश दिये गये थे। चूंकि आवेदनकर्ता महिला नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के आदेशों की पालना में उक्त आवंटन श्रीमती शाहिन पत्नी श्री इम्तियाज खाँ के नाम किया गया है। परिवादी की पत्नी श्रीमती सुमन साहू के नाम से डेयरी बूथ आवंटित कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(140)लोआस / 2017

परिवादी श्री डॉ. सत्यनारायण सिंह, अधिवक्ता, निवासी ए–318, गोविन्द मार्ग, प्रिन्स रोड़, अजमेर रोड़, विधुत नगर–ए, जिला जयपुर का अभिकथन था कि राज्य सरकार द्वारा करौली जिले के सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता हेतु 867 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है किन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस राशि में से पीड़ितों अथवा मृत्तकों के परिजनों को कोई सहायता प्रदान नहीं दी गई है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सिलिकोसिस पीड़ितों एवं मृतकों के मुआवजा राशि से संबंधित समस्त प्रकरणों का संबंधित जिला कलक्टर द्वारा निस्तारण कर दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(146)लोआस / 2017

परिवादी श्री मुकन्द बाबू चौधरी पुत्र श्री बरखण्डी, निवासी विसायतीपुरा, पोस्ट करीमपुर, तहसील सैपउ, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि चारागाह विकास क्षेत्र, खसरा संख्या 175 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा विसायतीपुरा, धौलपुर पर श्री नत्थी सिंह चौधरी, श्री मंगल सिंह चौधरी व श्री अनिल सिंह चौधरी आदि लोगो ने कब्जा कर रखा है।

इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटवा दिया गया है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(318)लोआस/2018

परिवादी श्री देवाराम देवासी पुत्र श्री मुलाराम देवासी, निवासी ग्राम कोसाना, ग्राम पंचायत पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि राजस्व ग्राम कोसाना के सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण हो हटवाकर ग्राम पंचायत द्वारा चारों ओर दीवार बनवा दी गई है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.35(128)लोआस/2019

परिवादी श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा, निवासी ग्राम वख्तुपुरा, तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर का अभिकथन था कि ग्राम वख्तुपुरा में स्थित कब्रिस्तान के लिए राज्य सरकार द्वारा खसरा संख्या 969 रकबा 19 बिस्वा जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं जा रहा है।

इस संबंध में जिला कलक्टर, धौलपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत अतिक्रमण को हटाया जा चुका है।

इस प्रकार परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(26)लोआस/2022

परिवादी श्री मंगलसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह, निवासी प्लॉट नम्बर 492, मोहन नगर, बीबीजेएस कॉलोनी, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(178)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती जानकी देवी पत्नी स्व0 श्री हीरालाल, निवासी मेघवालों का बास, खुड़ेचा, पोस्ट नानण, वाया पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

एफ.47(179)लोआस / 2019

परिवादी श्रीमती सोन कंवर राठौड़ पत्नी स्व0 श्री अनोप सिंह, निवासी गांव व पोस्ट खारियां खंगार, जिला जोधपुर का अभिकथन था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई । प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवादी को जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

इस प्रकार जीपीएफ राशि का पूर्ण भुगतान दिलवाकर परिवादी को अनुतोष प्रदान किया गया।

विविध

- लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि
- सचिव की पदस्थापन अवधि
- लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा
- परिवादीगणों द्वारा प्रेषित आभार पत्र
- छायाचित्र

विविध

लोकायुक्त एवं उप–लोकायुक्त की पदस्थापन अवधि

लोकायुक्त			
क्र स	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	माननीय न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ, पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय	28.08.1973	27.08.1978
2.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री डी.पी.गुप्ता, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	28.08.1978	05.08.1979
3.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल जोशी, पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश,	06.08.1979	07.08.1982
4.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री के.एस.सिद्धू, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	04.04.1984	03.01.1985
5.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहन लाल श्रीमाल, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय	04.01.1985	03.01.1990
6.	माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरूषोत्तम दास कुदाल, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	16.01.1990	06.03.1990

7.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	10.08.1990	30.09.1993
8.*	माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद शंकर दवे, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	21.01.1994	16.02.1994
9.	माननीय न्यायमूर्ति श्री महेन्द्र भूषण शर्मा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	06.07.1994	06.07.1999
10.	माननीय न्यायमूर्ति श्री मिलाप चन्द जैन, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय	26.11.1999	26.11.2004
11.	माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.एल.गुप्ता, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	01.05.2007	30.04.2012
12.	माननीय न्यायमूर्ति श्री सज्जन सिंह कोठारी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	25.03.2013	07-03-2019
13.	माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रताप कृष्ण लोहरा, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय	09.03.2021	निरन्तर

' कार्यवाहक लोकायुक्त

उप–लोकायुक्त			
1.	श्री के.पी.यू.मेनन आई.ए.एस. पूर्व मुख्य सचिव	05.06.1973	25.06.1974

सचिव की पदस्थापन अवधि

क्रम	नाम	दिनांक से	दिनांक तक
1.	श्री के.वी. शंकरन, IAS	20.09.1973	04.01.1974
2.	श्री एच.एस. रावत, IAS	21.01.1974	01.08.1977
3.	श्री टी.आर. अग्रवाल, IAS	04.12.1978	06.01.1981
4.	श्री एस.एन. मोदी, IAS	23.08.1983	31.03.1984
5.	श्री परमेश चन्द्र, IAS	31.03.1984	04.051984
6.	श्री ए.के. सिंह, RHJS	04.05.1984	24.11.1990
7.	श्री एस.एन. शाह, RHJS	24.11.1990	01.02.1992
8.	श्री हरबन्स लाल, RHJS	01.02.1992	06.05.1996
9.	श्री मनफूल राम, RHJS	06.05.1996	08.08.1999
10.	श्री प्रेमप्रताप सिंह, RHJS	06.01.2000	31.03.2002
11.	श्री भंवरु खां, RHJS	22.07.2002	06.01.2004
12.	डॉ. पदम कुमार जैन, RHJS	07.01.2004	12.01.2006
13.	श्री प्रकाश गुप्ता, RHJS	14.11.2007	22.12.2010
14.	श्री आर.के. बंसल, RHJS	19.01.2011	06.08.2012
15.	श्री पवन एन. चन्द्र, RHJS	18.04.2013	22.04.2014
16.	श्री प्रकाश चन्द जैन, RHJS(R)	14.05.2015	28.03.2017
17.	श्री उमाशंकर शर्मा, RJS (DJ)	31.03.2017	15.10.2019
18.	श्री गौरी शंकर शर्मा, RJS (DJ)	01.04.2021	निरन्तर

लोकायुक्त सचिवालय का संगठनात्मक ढांचा

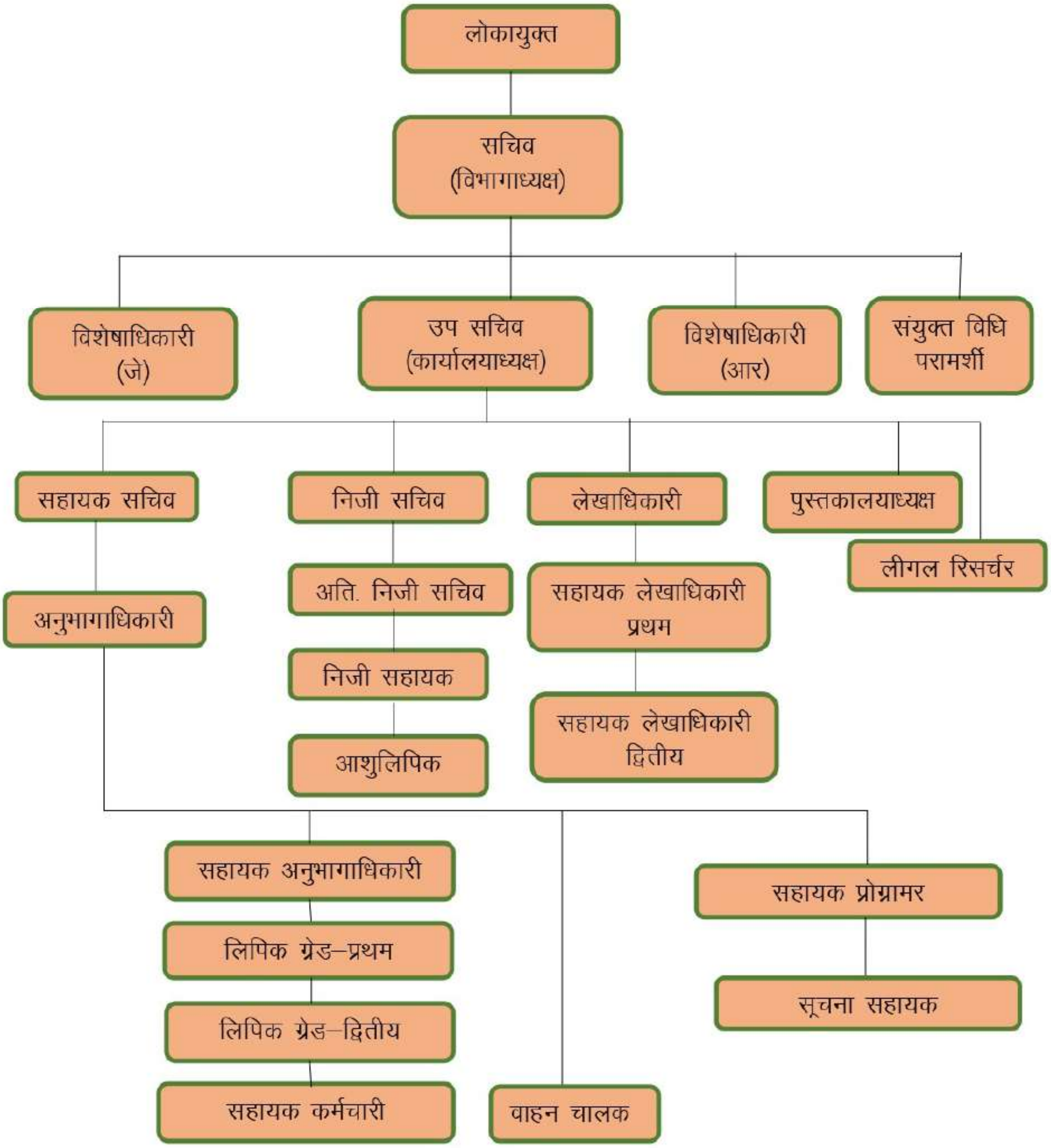

3/11/202
अभिलेख

माननीय लोकायुक्त सचिव
लोकायुक्त सचिवालय
शासन सचिवालय परिसर, जयपुर

प्रकरण सं. 47 (2)/LAS/2022

विषय :- मेरे द्वारा दिनांक 09.03.2022 को आपके कार्यालय में दर्ज प्रकरण का निस्तारण हो गया है उक्त प्रकरण को बंद करने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लखाराम निवासी मुकाम पोस्ट-बापिणी, वाया-आऊ, जिला-जोधपुर द्वारा संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जोधपुर ग्रामीण विरूद्ध एक प्रकरण दिनांक 09.03.2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। चुंकि संयुक्त निदेशक जोधपुर ग्रामीण ने मेरे जीपीएफ खाता सं. 469099 में बकाया अवशेष राशि का भुगतान दिनांक 10.06.2022 को राशि 94310 रू. व दिनांक 22.06.2022 को राशि 2868 रु मेरे बैक खाते में जमा करवा दिया। मैं उक्त भुगतान की गई राशि से संतुष्ट हूं एवं इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता हूं।

अतः निवेदन है कि मेरे द्वारा आपके कार्यालय में दर्ज प्रकरण का निस्तारण हो गया है उक्त प्रकरण की फाईल बंद की जावें। आप द्वारा जो सहयोग किया गया उसके लिये मै आपका अत्यन्त आभारी रहुंगा।

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
1 C NOV 2022
प्राप्तांक संख्या 10323

लखाराम

(लखाराम)
मुकाम पोस्ट-बापिणी, वाया-आऊ,
जिला-जोधपुर(राज.)

सेवा में

श्रीमान् लोकायुक्त महोदय,
राजस्थान सरकार,
लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर।

विषयः—प्लॉट संख्या ई—1 पत्रकार कॉलोनी परिवाद क्रमांक एफ—17(20)/लोआस/2019 संबंधी शिकायत को बंद कराने के क्रम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नम्र निवेदन है कि मैने जे.डी.ए. से प्लॉट संख्या ई—1 पत्रकार कॉलोनी कॉर्नर एक भूखण्ड खरीदा था। जिसका पट्टा मिलने में देरी के कारण मैनें एक परिवाद दायर की थी परंतु अब मुझे प्लॉट का कब्जा, पट्टा आदि सारी चीजें मिल चुकी हैं।

इसलिए आपसे से निवेदन है कि मेरा परिवाद क्रमांक एफ—17(20)/लोआस/2019 को निरस्त(समाप्त) करवाने की कृपा करावें।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

(अशोक कुमार जैन)
प्लॉट संख्या ई—1
पत्रकार कॉलोनी,
जयपुर।
मो0—9664328757

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
27 JUN 2022
3932

श्रीमान सचिव महोदय,

लोकायुक्त सचिवालय,

राजस्थान, जयपुर।

विषयः– मेरा परिवाद संख्या 17(17)लोआस/2017 में बन्द करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि लोकायुक्त सचिवालय द्वारा की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ। मुझे वांछित अनुतोष प्राप्त हो गया है। मैं मेरे उक्त परिवाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता।

अतः मेरा परिवाद संख्या 17(17)लोआस/2017 बन्द करने की कृपा करें।

प्रार्थी,

(रमाकान्त बम्ब)

431 विजय नगर,

अलवर।

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
08 SEP 2022
प्राप्तांक संख्या 7541

माननीय लोकायुक्त सचिव

लोकायुक्त सचिवालय

शासन सचिवालय परिसर, जयपुर

विषय :- मेरे द्वारा दिनांक 06.09.2019 को आपके कार्यालय में दर्ज प्रकरण क्रमांक 47(102)/LAS/2019 का निस्तारण हो गया है उक्त प्रकरण को बंद करने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैं सुखराम विश्नोई C-222 कीर्तिनगर पी. ओ. कृषि उपज मण्डी मण्डोर रोड़ जोधपुर द्वारा संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जोधपुर (शहर) के विरूद्ध एक प्रकरण क्रमांक 47(102)/LAS/2019 दिनांक 06.09.2019 को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। चुकिं संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जोधपुर (शहर) ने मेरे जीपीएफ खाता सं. 264291 में बकाया अवशेष राशि का भुगतान मार्च 2022 में राशि 23,816 रू. मेरे बैक खाते में जमा करवा दिया। मैं उक्त भुगतान की गई राशि से संतुष्ठ हूं एवं इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहता हूं।

अतः निवेदन है कि मेरे द्वारा आपके कार्यालय में दर्ज प्रकरण सं. 47(102)/LAS/2019 का निस्तारण हो गया है उक्त प्रकरण की फाईल बंद की जावें। आप द्वारा जो सहयोग किया गया उसके लिये मै आपका अत्यन्त आभारी रहुंगा।

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
16 AUG 2022
प्राप्तांक संख्या 6390

भवदीय

(सुखराम विश्नोई)

सी 122 कीर्ति नगर पीओ कृषि उपज मण्डी
मण्डोर रोड़ जोधपुर 342007

सेवामें

श्रीमान् लोकायुक्त महोदय,
लोकायुक्त सचिवालय,
शासन सचिवालय परिसर,
जयपुर।

विषयः— पत्रावली संख्या—47(19)लोआस/2021 में प्रार्थीया को पारिवारिक पेंशन दिलवाने के क्रम में आभार प्रकट करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बकाया एरियर राशि सहित पारिवारिक पेंशन प्रकरण का निपटारा पेंशन विभाग, जयपुर द्वारा नहीं किए जाने के सम्बन्ध में मुझ प्रार्थीया द्वारा लोकायुक्त सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई थी। इस क्रम में लोकायुक्त सचिवालय के हस्तक्षेप के उपरान्त मुझ प्रार्थीया को बकाया एरियर राशि का भुगतान प्राप्त हो गया है। साथ ही पारिवारिक पेंशन भी मिल रही है। अतः अब मुझे पेंशन विभाग से कोई शिकायत नहीं है। मेरी शिकायत सम्बन्धी पत्रावली बन्द कर दी जावे।

उक्त राहत प्रदान करने के लिए श्रीमान् लोकायुक्त महोदय, राजस्थान, जयपुर का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

प्रार्थीया,

चं० द्रकान्ता माथुर

लोकायुक्त सचिवालय
जयपुर (राज.)
10 MAY 2022
प्राप्तांक संख्या 1823

(चन्द्रकान्ता माथुर)
पत्नी स्व. श्री भवावनी शंकर माथुर,
117/420, थड़ी मार्केट, अग्रवा
फार्म, मानसरोवर, जयपुर

लोकायुक्त सचिवालय भवन में 'संविधान की प्रस्तावना' पट्टिका

लोकायुक्त सचिवालय भवन में 'संविधान की प्रस्तावना' पट्टिका का अनावरण करते माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार गौड़ एवं न्यायमूर्ति श्री पी.के. लोहरा, लोकायुक्त

माननीय लोकायुक्त से चर्चा के दौरान न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार गौड़

'आजादी का अमृत महोत्सव' में मोटरसाईकिल रैली का शुभारंभ करते हुए
माननीय लोकायुक्त श्री पी.के. लोहरा एवं सचिव श्री गौरी शंकर शर्मा

'आजादी का अमृत महोत्सव' में मोटरसाईकिल रैली को झंडी दिखाकर
रवाना करते माननीय लोकायुक्त श्री पी.के लोहरा व सचिव श्री गौरी शंकर शर्मा

'आजादी का अमृत महोत्सव' में स्वतंत्रता दिवस, 2022 के अवसर पर ध्वजारोहण एवं गार्ड ऑफ ऑनर समारोह में माननीय लोकायुक्त श्री पी.के लोहरा

उत्कृष्ट कार्य हेतु कर्मचारी को सम्मानित करते हुए माननीय लोकायुक्त एवं सचिव

Lokayukta Sachivalaya Rajasthan

Govt. Secretariat Premises, Janpath, Jaipur - 302005

Phone : 0141 2227145, Fax : 0141 2227083

E-mail : lokayukta@rajasthan.gov.in

website : lokayukta.rajasthan.gov.in